राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] बारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार;

17 जुलाई, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन। कल आपने क्वेश्चन आवर के अन्दर जो पढ़कर के सुनाया था शिक्षा मंत्री की चिट्‌ठी का वर्जन, उसमें मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि आपने वित्तीय स्वीकृति कहा है जबकि वित्तीय स्वीकृति सरकार ने अभी तक जारी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर होने दें उसके बाद आपको जो उठाना है वह उठाइयेगा। क्वेश्चन आवर होने दें। नो, यह 11 से लेकर के 12 तक का एक घंटा केवल क्वेश्चन ऑवर के लिए होता है, इसमें और इश्यूज नहीं उठाये जाते।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भाखरा सिंचाई प्रणाली एवं इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में जिला हनुमानगढ़ में पक्के खालों का निर्माण

31. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार भाखरा सिंचाई प्रणाली एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ एवं पीलीबंगा क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): जी हां। भाखरा सिंचाई प्रणाली हेतु स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होते ही पक्के खालों का निर्माण आरम्भ

(श्री सांवर लाल)

कराया जा सकेगा। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ तथा पीलीबंगा का कुल रकबा 75270 हैक्टेयर है जिसमें से 62343 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण मार्च, 2008 तक किया जा चुका है। शेष 12927 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण कार्य को वर्ष 2008-09 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, थोड़ी सी प्रश्न में लिखने में त्रुटि रह गई है, जो इन्दिरा गांधी नहर का प्रथम चरण है जिसमें रावतसर वगैरह मण्डी आती है, बीकानेर तक है और भाखड़ा क्षेत्र के अन्दर पीलीबंगा, हनुमानगढ़ और टिब्बी, ये काश्त के अलग-अलग क्षेत्र हैं। प्रथम चरण में तो 85 प्रतिशत के लगभग खाले बन गये हैं और भाखड़ा क्षेत्र में आज तक भी एक पक्का खाला नहीं बनाया है। पक्के खाले बनने से काश्तकार को 20 प्रतिशत पानी का फायदा होता है। भाखड़ा जो क्षेत्र है वह कृषि प्रधान क्षेत्र है और यदि खाले बना दिये जाते हैं तो 20 प्रतिशत खेती भी अधिक होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे काश्तकारों के खेत में सीधा पानी जाता है और कच्ची टूटने के कारण पानी का बिगाड़ भी नहीं होता, पानी का नुकसान भी नहीं होता। यदि पक्के खाले काश्तकार के खेत में भाखड़ा के अन्दर प्रथम चरण की तर्ज पर बनाये जाएं तो यह बहुत ही हित में रहेगा। इसके बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रथम चरण और भाखड़ा अलग-अलग क्षेत्र हैं। प्रथम चरण में तो खाले हैं पर भाखड़ा में एक भी पक्का खाला नहीं बना है इसलिए इसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि भाखड़ा में कोई प्रोग्राम है क्या पक्के खाले बनाने का?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें आप, भाषण नहीं दें। क्वेश्चन पूछिये, भाषण नहीं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पक्का खाला पूरी भाखड़ा में...

श्री अध्यक्ष: यह इतनी जोर से कौन बोल रहे हैं? मिस्टर हेमराज, आप बहुत जोर से बोल रहे हैं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): पिछली दफा सी.एम. साहब वहां गये थे उस टाइम इन्होंने अकाल राहत में हमारे को साढ़े पांच करोड़ रुपये पक्के खाले के दिये। जो मेरा अंतिम छोर है भाखड़ा का, वहां पानी पहुंचा, उस टाइम पहुंचा कि जिस टाइम पक्के खाले बने हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि भाखड़ा का पूरा एरिया यदि पक्के खालों में ले लिया जाए तो उसमें कुछ तो बन चुके हैं और उसमें 7 प्रतिशत से लेकर के 18 प्रतिशत तक पानी की बचत है। जैसे आपने नहरों की लाइनिंग की है, भाखड़ा में 300 किलोमीटर की लाइनिंग हुई है उसमें 140 क्यूसेक्स हमारे पानी की बचत हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि पूरी जो पक्की लाइनिंग नहरों की हुई है वह भी कहीं-कहीं बीच में पड़ी है उसको कराने का कष्ट करें। मेरा यही आपसे निवेदन है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की चिंता सही है कि अगर खाला पक्का होगा तो पानी की बचत होगी और ज्यादा एरिया उससे इर्रिगेट हो सकता है, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। भाखड़ा के अन्दर टोटल एरिया है वह 1,20,285 हैक्टेयर का है इसमें से केवल 7535 हैक्टेयर मोडिया वितरिका के 28 चक को छोड़ते हुए शेष 1,12,750 हैक्टेयर में पक्के खाले का निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए हमने योजना तैयार कर ली है और यह योजना भारत सरकार के पास हम एक सप्ताह में भेज देंगे। यह 267 करोड़ की योजना है और यह स्वीकृत होने के बाद भारत सरकार प्लस राज्य सरकार अपना अंशदान देकर के इस कार्य को करवायेगी, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में टेल-एंड की शाखाएं कच्ची पड़ी हुई हैं। उसके आदेश आपके थ्रू राज्य सरकार के कई दफे हो चुके लेकिन आज दिन तक उन आदेशों की कितनी पालना हुई है, कितने खाले टेल-एंड के पक्के बने हैं और कई जगह ऐसे खाले हैं जिस जगह पक्के नहीं बनने के कारण काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं। टिबरा माइनर को आप देखकर आये हैं, सैंकड़ों काश्तकारों को जमीन अलाटमेंट हो गई, 15-15 वर्ष हो गये लेकिन रेतीली धरती के कारण खालों का निर्माण नहीं होने के कारण काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न तो हनुमानगढ़ और टिब्बी का है और आप चले गये जैसलमेर।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): टेल-एंड का जैसलमेर नहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चिंता में चिंता प्रकट कर रहे हैं वह बिलकुल ठीक है। पहले सिस्टम ही यह होता था कि आखिरी जो खाला था और कुछ एरिया कच्चा ही रखा जाता था। जब बार-बार मुख्य मंत्रीजी के सामने यह बात आई कि अंतिम जो खाला बचा हुआ है उसको भी पक्का कराया जाना चाहिए तो मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रावधान भी किया और अंतिम खाले के लिए नरेगा से मजदूर वगैरह लेकर के कराने की बात हुई। पहले माननीय सदस्य ने कहा कि हम जन-सहयोग से मजदूरी दिलवा देंगे। यह सारी चीजें नहीं होने के बाद में अब हम मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ उसी पद्धति के आधार पर किया जाए तभी यह काम होगा तो यह प्रगति पर है और जल्दी ही हम इसको करवायेंगे।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सिद्धमुख-नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में पिछले डेढ़-दो साल से जो वाटर कोर्स कंस्ट्रक्शन का काम है वह बंद पड़ा है और ठेकेदारों ने वहां पर निविदाओं का भी बहिष्कार किया है। ठेकेदारों द्वारा पूर्व में किया हुआ जो काम था उसका रनिंग पेमेंट भी रोक दिया और जो काम चालू था वो खाला-नाला निर्माण अधूरा पड़ा है। राज्य सरकार वह कार्य कब तक शुरू करवा देगी और उन ठेकेदारों का जो बकाया पेमेंट है, रनिंग पेमेंट है वह कब तक पूरा कर देगी?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाले की कोस्ट को लेकर के कुछ मतभेद है और यह अंडर कंसीडरेशन है। आपके पुराने जो ठेकेदार हैं जिनका बकाया है वो पेमेंट शीघ्र हम करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमराराम धोद।

सहकारी बैंकों द्वारा ऋणी किसानों से सेवा शुल्क की वसूली

32. **श्री अमराराम** (धोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सहकारी बैंकों द्वारा ऋणी किसानों

(श्री अमराराम)

से ब्याज के अलावा सर्विस चार्जेज वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में जारी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों द्वारा राज्य के किसानों से 7 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (डा. एन. एस. गुर्जर): (1) जी हां। यह सही है कि राज्य में सहकारी बैंकों में ऋणी किसानों से ब्याज के अलावा सर्विस चार्ज वसूल किया जा रहा है। सर्विस चार्जेज की वसूली हेतु बैंकों के प्रबन्ध मण्डल अपने स्तर से समुचित निर्णय लेकर वसूल करने में स्वतन्त्र एवं सक्षम हैं। इस बाबत् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(दिशा-निर्देशों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(2) यह सही है कि दिनांक 1.4.2006 से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसली ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जा रहा है। किन्तु इन बैंकों द्वारा दूसरे प्रकार के ऋण जैसे कि मध्यकालीन कृषि/अकृषि ऋण मध्यकालीन परिवर्तित ऋण इत्यादि से 7 प्रतिशत की दर से अधिक ब्याज वसूल किया जा रहा है। वर्तमान में सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा सभी ऋणों पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर ली जा रही है1 किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर वित्त पुनर्भरण प्राप्त करने वाली संस्था द्वारा वसूल की जा रही ब्याज दर एवं स्वयं के संसाधनों की उपलब्धता एवं लागत दर पर निर्भर करता है तथा तदनानुसार ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सभी बैंक उक्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत रहते हुए ब्याज दर निर्धारण करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सर्विस चार्ज की रेट क्या है? सहकारी बैंकों में और विशेष तौर से सीकर में जो सर्विस चार्ज जो आपने कहा कि ले रहे हैं तो उसकी दर क्या है और सीकर में सहकारी बैंक ने कितनी वसूली इस सर्विस चार्ज के नाम से की है?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो सर्विस चार्ज या प्रशासनिक चार्ज या प्रोसेसिंग फीस, इसको लेने के लिए रिजर्व बैंक, नाबार्ड, ये समय-समय पर हर साल दिशा-निर्देश जारी करते हैं और हमारा विभाग भी इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करता है लेकिन जो संचालक मण्डल होता है बैंक का, वही इसके बारे में निर्णय करता है। यह जैसे

(डा. एन.एस. गुर्जर)

को-आपरेटिव बैंक है या भूमि विकास बैंक है, उनके अलग-अलग है। भूमि विकास बैंक में पहले 2005 तक एक प्रतिशत था, उसके बाद आज वह घटकर 0.25 प्रतिशत हो गया। इसी तरह से यह अलग-अलग ऋणों के ऊपर इसकी अलग-अलग कोस्ट आती है। इसमें जो फसली ऋण हैं, जो हम किसानों को 50,000 या 60,000 रुपये तक देते हैं, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रशासनिक चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज, अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है लेकिन ये जो दूसरे ऋण हैं, इसमें कृषक मित्र योजना के तहत कोई भी, जो पैक्स का मैम्बर नहीं होता है किसान, वह सीधा ही यदि मैम्बर बनकर बैंक से ऋण लेता है तो उससे यह जो बैंक का खर्चा होता है, वहां पर जाना मौके पर, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करवाना, 12 वर्ष तक स्वामित्व की जांच करना, तहसील या नगरपालिका, उस प्रोपर्टी को जो मार्गेज करते हैं, जो ज्यादा लोन लेते हैं, उसका जो खर्चा होता है, उसका केलकुलेशन करके वह निर्धारित करते हैं। यह स्वतंत्र है बोर्ड, संचालक मण्डल अपने आप ही तय करता है। हमारी तरफ से हम कोई तय नहीं करते हैं। केवल गाइड लाइन्स दी जाती हैं रिजर्व बैंक, नाबार्ड और हमारे विभाग की तरफ से, उसके अनुसार ही यह तय होता है।

जहां तक सीकर जिले का मामला है, कितना इसमें अब तक सर्विस टैक्स वसूल किया गया है? यह 2008 में 15,41,698 रुपये है, जो मेरे पास सूचना आई है। यह इसमें वसूल किया गया है जो आपने पूछा है सीकर का।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज किसान से कृषि के लिए लेते हैं, उस पर नहीं ले रहे हैं। मैं समझता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड कृषि के लिए ही लिया जाता है और उसमें दो लाख और डेढ़ लाख रुपये की जो सीमा है, आप कह रहे हैं कि ले नहीं रहे हैं और सीकर में नाम मैं बता सकता हूं जिनसे वसूल किया गया है। मेघराज, 3,208 रुपये वसूल किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वे तो खुद ही कह रहे हैं कि 15 लाख रुपये लिये गये हैं। वह तो बताया है ना उन्होंने कि सर्विस टैक्स वसूल किया गया है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा रेट क्या है? सीकर सहकारी बैंक का जो मैनेजमेंट है, उसमें कितना प्रतिशत किया है, आपने यह नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने आपमें सक्षम है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, टोटल अमाउंट तो बता दी ना।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, यह अमाउंट भी सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये, जिसका डेढ़ लाख रुपये का लोन है, उसका हर साल ले रहे हैं। मतलब सर्विस टैक्स तो एक दफा आपने जैसे-तैसे कार्ड बनवा लिया।

श्री अध्यक्ष: एक ही साल का बताया है उन्होंने, 2008 का ही बताया है। इसमें केवल इसी का ही बताया है।

श्री अमराराम (धोद): मैं 2008 का ही कह रहा हूं, अगले साल भी लेंगे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सीकर के मैनेजमेंट ने कितना प्रतिशत इसमें तय किया है और जब आप कह रहे हैं कि कृषि के लिए हम कोई सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं तो यह जो वसूल किया गया है नाजायज तरीके से, क्या आप उसको वापस किसान को डेबिट करने का विचार रखते हैं?

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, सदन में यह घोषणा हुई थी दो साल पहले कि सात प्रतिशत ब्याज लेंगे सहकारी ऋणों पर और सरकार ने इसकी वाहवाही ली थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान की पूरी कर्जा माफी इसी से जुड़ी हुई है और जब सात प्रतिशत की घोषणा हुई, मंत्रीजी जो जवाब दे रहे हैं, इन्होंने पाइंटेड प्रश्न किया है कि इसमें चार्ज लिया जाता है। ऊपर उन्होंने कहा कि हां, ऐसा सर्कुलर है। कितना ले रहे हैं, इनको बताना चाहिए था कि सात प्रतिशत से कितना ले रहे हैं और जिस पत्र का ये इसके अन्दर उल्लेख कर रहे हैं, इन्होंने उत्तर में दिया है कि इसके रिजर्व बैंक के निर्देश हैं। रिजर्व बैंक के निर्देश बिलकुल क्लियर हैं। रिजर्व बैंक कहता है कि अपनी निधियों की लागत, लेन-देन की लागत इत्यादि को ध्यान में रखकर अपनी प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से पारदर्शिता बरतते हुए इसको करें और यहां जो सदन में माननीय सदस्य हैं, उनको ही पता नहीं है कि कितना ऋण इन लोगों से इसके ऊपर लिया जा रहा है तो एक किसान को कैसे मालूम होगा। आपकी पारदर्शिता की गाइड लाइन हैं तो किसान जो लोन ले रहा है उसको भ्रम में नहीं रखा जाये और मंत्रीजी यह स्पष्ट बतायें कि सात प्रतिशत से ऊपर कितना ऋण किसानों से अतिरिक्त लिया जा रहा है? आपके विभाग के सहकारी बैंक हैं, उनकी अनएफिशिएंसी का बोझा पूरा किसान पर डाल दिया है तो यह जो भारत

(श्री भरत सिंह)

सरकार की गाइड लाइन है, उसके बिलकुल विपरीत हो रहा है, तो आप स्पष्ट करें। जब पारदर्शिता की बात है तो कम से कम इस सदन के माध्यम से, पूरे राजस्थान के किसानों को यह जानकारी तो मिले कि सात प्रतिशत के ऊपर हमारी सरकार और हमारे सहकारी बैंक कितना अधिक किसानों का शोषण कर रहे हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज दिन तक नये मेम्बर को, एक को भी लोन दिया हो तो यह मंत्रीजी, बता दें सदन में, एक मेम्बर को लोन नहीं दिया है। जितने पुराने मेम्बर हैं, उन्हीं को लोन दिया जा रहा है। सिंगल नये मेम्बर को अगर दिया हो तो मुझे बता दें आप। सारे किसान वहां सहकारी समितियों में भटकते फिरते हैं। नये मेम्बरों का चुनाव हो गया, सोसायटी में लोग आ गये, एक सिंगल मेम्बर को आज दिन तक लोन नहीं दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सिर्फ पाइंटेड दो बातें पूछना चाहता हूं। आपने अपने प्रश्न के उत्तर में रिजर्व बैंक की जिस गाइड लाइन को प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि सात प्रतिशत से अधिक ब्याज सूदखोरी की श्रेणी में आता है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा हूं कि भूमि विकास बैंक में सिरोही जिले के अन्दर सात प्रतिशत से ज्यादा ब्याज दर होने की वजह से लोन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है और इस वजह से सिरोही और शिवगंज में, दोनों जगहों के ब्रांच मैनेजर और लोन सुपरवाइजर को आपके बैंक ने, प्रशासन ने इसी महीने से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी तो क्या राज्य सरकार इसको रिव्यू करने का विचार रखती है?

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो जवाब दिलवायें, कितना प्रतिशत ले रहे हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह लोन का सम्बन्ध है, आपने पूछा कि सीकर में किस रेट पर ले रहे हैं? यह 1.1236 प्रतिशत सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, यह जो मैंने बताया है। यह जो आपने पूछा कि कितना लिया जा रहा है प्रतिशत, वह मैंने बता दिया।

श्री अमराराम (धोद): किस-किस पर लिया जा रहा है? आप कह रहे हैं एक तरफ किसानों पर सर्विस चार्जेज फसल के लिए लेंगे, उनसे ले नहीं रहे हैं तो यह एक बिन्दु...

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं बता रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा है कि, देखिये, यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन सदन में हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें। अध्यक्ष महोदय, यह दो-तीन तरह के लोन हम देते हैं। एक तो फसली ऋण है जो 50,000-60,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकते। यह अल्पकालीन ऋण होता है, शोर्ट टर्म लोन होता है। यह हम केवल सात प्रतिशत पर देते हैं, निश्चित रूप से हम सात प्रतिशत पर ही दे रहे हैं और इसमें कोई हम सर्विस टैक्स वसूल नहीं करते हैं किसान से। दूसरा लोन वह होता है जो पैक्स के मेम्बर नहीं हैं, डाइरेक्ट किसान बैंकों से लोन लेने आता है, यह जो आप ज्यादा कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स लिया जा रहा है, उन किसानों से लिया जा रहा है, जो ढाई लाख रुपये तक का लोन लेते हैं या उससे ज्यादा लेते हैं, उनसे सर्विस टैक्स लिया जाता है और जहां तक आपने भी कहा, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि ब्याज दर सात प्रतिशत से ज्यादा भी ली जाती है। यह सही है कि यह जो मध्यकालीन ऋण होता है या दीर्घकालीन ऋण होता है या पी.एल.डी.बीज. होती हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं, उसकी रेट यह जो सहकारी अल्पकालीन ऋण है, इससे अलग रेट होती है, उसमें हम ज्यादा ले सकते हैं और वह रिजर्व बैंक और नाबार्ड की जो गाइड लाइन है, उसके अनुसार तय होती है। उनकी रेट, कितनी रेट ब्याज पर ली जायेगी, उसमें भी अध्यक्ष महोदय, एक तो हम बोरो करते हैं नाबार्ड से, एक हमारी डिपोजिट्स होती हैं, उन दोनों का रेशो मिलाकर कितना खर्चा आता है, उसको केलकुलेट करके जो संचालक मण्डल होता है, वह किस ऋण पर कितनी उसकी ब्याज दर होगी, यह वह जो लोकल लेवल पर संचालक मण्डल होता है, वह तय करता है। इसमें हम केवल गाइड लाइन देते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज चाहे हम सात प्रतिशत पर दे रहे हैं या दूसरी इंट्रेस्ट रेट पर दे रहे हैं, सबमें हमारे बैंक को घाटा हो रहा है। चाहे पैक्स के लेवल पर ले लें, चाहे सी.सी.बी. लेवल पर ले लें, चाहे यहां पर ले लें अपेक्स बैंक पर, सभी में हमको घाटा हो रहा है। जितनी रेट पर हम दे रहे हैं, क्योंकि हमको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ रही है और कम में हम देते हैं इसलिए यह कहना कि किसानों से हम ज्यादा वसूल रहे हैं, बिलकुल कतई उचित नहीं है।

दूसरा जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, जो आपने जानकारी दी है कि सर्विस टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा लिया गया है, कल भी मैंने आपसे

(डा. एन.एस. गुर्जर)

पूछा था, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि अधिक वसूला है सर्विस टैक्स के रूप में किसानों से, तो मैं खातों का, पिछली बार जो सेशन था, उसमें भी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिक ब्याज रेट ली जा रही है, कहीं सर्विस टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, उसके तुरन्त बाद हमारे रजिस्ट्रार की तरफ से हमने, कि चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है, तो हमारे रजिस्ट्रार की तरफ से हमने एक सर्कुलर जारी कराया कि कोई भी मूलधन में ब्याज जोड़ कर उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जायेगा, यह हमने निर्देश दे दिये हैं बैंक्स को, तो इस तरह से सर्विस टैक्स के ऊपर जो आपने अभी जानकारी दी है, मैं वहां इसको पुनर्भरण वापिस किसानों के खातों में, उसको पुनर्भरण करवाने के निर्देश जारी करूंगा तुरन्त, मैं अभी यह निर्देश दे रहा हूं कि पुनर्भरण किया जाय यदि उनसे ज्यादा वसूल किया गया है तो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) नो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आपने खुद ने कहा है कि भूमि विकास बैंक की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कम्पीटीटिव मार्केट में आपके बैंक टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आ गई सारी बात। डाक्टर गोपाल बाहेती। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एम्पलाइज को क्यों रिटायर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कभी तो बात...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह किसानों से संबंधित मामला है, रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स के आधार पर राजस्थान में को-आपरेटिव बिलकुल काम नहीं कर रही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या बाकी रह गया । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड को आप फसली ऋण में मानते हैं या काहे में मानते हैं...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमको इनके बाद बोलने का मौका दें, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न से क्या ताल्लुक है आपका?

श्री अमराराम (धोद): क्योंकि फसली ऋण से, आप कह रहे हैं कि उनमें नहीं लेते, आपने कहा कि फसली ऋण में हम नहीं लेते...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं कभी क्वेश्चन आवर में डिस्टर्ब नहीं करता। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपने कहा कि फसली ऋण में हम नहीं लेते पचास और साठ हजार तक किसी भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्यों खड़े हैं आप तीनों।

श्री रामलाल (बनेड़ा): मेरा जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया मेरा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक व्यक्ति, यदि वह मान लीजिये एक व्यक्ति खड़ा है तो आप क्यों खड़े हैं। वह बोल रहे हैं मूल प्रश्नकर्ता, आप क्यों खड़े हैं बीच में, आप माननीय सदस्य, विराज लें।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सर्विस टैक्स जो 1.05 प्रतिशत के हिसाब से है, यह जो डेढ़ लाख का किसान क्रेडिट कार्ड है, एक प्रतिशत ही दो हजार से ज्यादा नहीं होता और इन्होंने लिया है 2800, 3200, 3500 और मैं स्पेशली...

श्री अध्यक्ष: तो वह तो वापिस दे रहे हैं न। आपको भुगतान वापिस करवा रहे हैं न उसका वह।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, नाजायज वसूल किया उन पर आप क्या कार्यवाही करेंगे और किसान क्रेडिट कार्ड तो वही है जो किसान अपनी फसल के लिए लेता है, वापिस जमा कराता है तो इसमें जो सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना है कि क्या इस किसान क्रेडिट कार्ड पर जो सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्या सरकार इसका इरादा रखती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा एक ही प्रश्न है और वह साफ है, क्या सरकार..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आपका भूमि विकास बैंक हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जब टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है तो एम्पलाइज को रिटायर करने का क्या औचित्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीगोपाल बाहेती। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ किया है, जवाब नहीं दे रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, आप तो यह बता दें कि किसान...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): किसानों को जो लूटा जा रहा है सहकारी बैंकों के माध्यम से, उसकी जानकारी आपको है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल से लगातार किसान क्रेडिट कार्ड में जो बैंक वालों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, किसानों को लूटा जा रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। नो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अध्यक्ष: I have called next question. (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है आपकी की मर्जी आये जब खड़े हो जायें, मर्जी आये जब पूछने लग जायें। नो। नो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको बता तो दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: आपको सारी इन्फोर्मेशन दे दी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: क्यों खड़े हैं आप ख्वामख्वाह हर काम में, जब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हो?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। आर्डर ।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अब आपको क्या कहना है। यह तो धींगामस्ती कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) नो। (व्यवधान) नहीं चलेगी यहां। नो, नो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: I won't allow. मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। यह धींगामस्ती नहीं चलेगी। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी आदत पड़ गई है रोजाना ही। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नो। कह दिया मैंने आपसे, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैं आपको कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रामलाल (बनेड़ा): × × ×

श्री अध्यक्ष: वह नहीं देंगे जवाब। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री रामलाल (बनेड़ा): × × ×

श्री अमराराम (धोद): × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने लोन नहीं देने की बात तो नहीं पूछी, आपने तो यह कहा है कि कितना उनसे अभी और एडिशनल चार्जेज के नाम से वसूला गया, यह पूछा है आपने तो बस।

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री अध्यक्ष: नहीं। लेकिन मैंने अब, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब दे दिया उन्होंने। उसका जवाब मंत्रीजी ने दे दिया।

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री अध्यक्ष: दे दिया उन्होंने। नहीं, यह नहीं है। उन्होंने वसूला है तो पुनर्भरण किया जायेगा, यह कह दिया उन्होंने। तो आ गया।

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कर लें आप। आप विराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): × × ×

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है। विराज जाइये। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): × × ×

श्री अध्यक्ष: डाक्टर गोपाल बाहेती प्रश्न पूछना चाहते हैं, इन्हें पूछने दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): × × ×

जयपुर में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था

33. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) (श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) के स्थान पर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में उपभोक्ताओं को रसोई गैस प्राप्त करने हेतु बुकिंग कराने के बाद दस-दस दिनों से भी ज्यादा समय तक इन्तजार करना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रसोई गैस कम्पनियों को सात दिन में गैस उपलब्ध कराने हेतु पाबंद करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गैस कम्पनियों द्वारा लगाई गई 21 दिन से पूर्व बुकिंग करने पर रोक को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी): (1) जी नहीं, आपूर्ति मांग के अनुसार की जाती है। सर्दियों में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग की तुलना में गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति कम होने के कारण कभी कुछ गैस एजेन्सीज पर आपूर्ति में विलम्ब हो जाता था। वर्तमान में अधिकांशतः वितरकों द्वारा 7 दिवस से अधिक की मांग को तुरन्त क्लियर कर दिया जाता है।

(2) अधिकांश वितरकों द्वारा सिंगल गैस कनेक्शनधारियों को 2 दिवस में तथा डबल गैस कनेक्शनधारियों को 7 दिवस के अन्दर सप्लाई दी जा रही है।

(3) तेल कम्पनियों द्वारा ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया हुआ है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जवाब...

श्री अध्यक्ष: कुछ दिन पूर्व तक तो था...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): बिलकुल सेट, जो विभाग ने लिख कर दिया है, वह है। धरातल में यह तीनों ही बातें गलत हैं। न तो गैस मिलती है दस दिन से पहले, दस दिन में मिल जावे तो मेहरबानी है। इसके अलावा बुकिंग बीस दिन से पहले वह करते ही नहीं हैं, कतई नहीं करते। इसके लिए जब आपकी तेल कम्पनियों का इन पर दवाब नहीं है बीस दिन के बाद का, तो क्यों मना करके वह कन्ज्यूमर को तंग करते हैं और इसके लिए सरकार ने

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

क्या हिदायत दी है विभाग को कि विभाग इस पर सख्त कार्यवाही करे और दूसरी बात कि गैस कनेक्शन टाइम पर वैसे नहीं मिलेगा, और ब्लैक में चाहे जब ले लें आप, इसका मतलब कमी तो नहीं है तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि ब्लैक नहीं हो और कंज्यूमर को सही समय पर गैस कनेक्शन मिल जाए और सही समय में उसकी बुकिंग हो जाए। यह बताने की कृपा करेंगे आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न जयपुर ज़िले के लिए माननीय लालचन्द कटारियाजी ने पूछा था परन्तु मैं सारी स्थिति आपको बता देता हूं। राजस्थान में इस समय कुल 429 गैस एजेंसियां हैं, 40 लाख 36 हजार राज्य के कुल उपभोक्ता हैं और 30 लाख गैस सिलेण्डर...

श्री अध्यक्ष: 40 लाख उपभोक्ता हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जी। 30 लाख गैस सिलेण्डर करीब प्रतिमाह हम वितरित कर रहे हैं। मतलब गैस एजेंसियां वितरित कर रही हैं और इससे अगर अंदाजा लगाएं तो एक परिवार में आमतौर पर एक वाले को एक महीने के अन्दर या एक महीना पांच दिन के अन्दर गैस सिलेण्डर मिल जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि सर्दियों में यह मांग 25-30 प्रतिशत बढ़ जाती है और सर्दियों में गैस कंपनियां इसकी सप्लाई नहीं बढ़ाती हैं और इस कारण से स्थिति खराब होती है। कारण क्या है? सर्दियों में शादी भी होती हैं, गैस की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसको बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए कई बार प्रशासनिक कारण से 21 दिन में या 20 दिन में या 15 दिन में बुकिंग करने के लिए कहते हैं। वह इसलिए कहते हैं कि जिनके दो सिलेण्डर हैं वह अगर उनको खतम हो जाता है तो 21 दिन के बाद वह बुक कराये। बार-बार बुक कराने से दो प्रकार की इसमें समस्या आ रही हैं। एक तो जो कामर्शियल सिलेण्डर है और जो घरेलू सिलेण्डर है उसमें तीन गुणी कीमत का अन्तर आ गया है। वह 1200 रुपए का है और यह साढ़े तीन सौ रुपए का है, यह बड़ा फर्क है। इस कारण से 30 प्रतिशत जो गैस है वह वास्तविक उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचती है। हमने बहुत जगह छापे भी मारे हैं और लेकिन वह किट जो है ना रखते वहीं कॉमर्शियल वाली और उसमें इस घरेलू गैस को लगाकर और उससे ट्रांसफर

(घनश्याम तिवाड़ी)

करने की मशीन भी आ गई, अभी महाराष्ट्र में घटना हो गई चार आदमी मर भी गये तो यह स्थिति है, इसके कारण से आम उपभोक्ता को थोड़ी गैस की समस्या होती है। दूसरा जो कारण था वह था कि यह जो एजेंसियां हैं वह टेलीफोन को अंगेज करके रखती थीं, बुक नहीं करती थीं, बुकिंग को लिखते नहीं थी तो इसके लिए हमने एसएमएस से गैस की बुकिंग की सुविधा जयपुर में सभी एजेंसियों में शुरू कर दी है और अब हम सारे राजस्थान भर में एसएमएस से गैस बुकिंग की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। यह काम हमने कर दिया है और इसके लिए हमने जयपुर में 56969 पर एसएमएस करने से गैस बुक हो जाती है तथा वापस मैसेज भी प्राप्त हो जाता है। जैसे कल एक उपभोक्ता ने बुक कराई, उनको तुरन्त मैसेज मिला "Dear consumer, your request for gas booking has been confirmed. Your booking number is so and so." इसी प्रकार से उसके लिए भी हम करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा काम था कि अब हम जयपुर में एक हैल्पलाइन प्रारम्भ कर रहे हैं डीएसओ के यहां पर और जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसका निस्तारण करने की हम कोशिश करेंगे और राजस्थान में भी हम एसएमएस से बुकिंग का काम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी जो कमी थी हमने बार-बार भारत सरकार से आग्रह किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार को, तेल कंपनियों को कि इस बार उन्होंने राजस्थान नई में 65 गैस एजेंसियां देने के लिए सूचना जारी कर दी है। उनमें से सात जयपुर में होगी क्योंकि सात लाख उपभोक्ता अकेले जयपुर में हैं। इस कारण से इस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और गैस का मिसयूज रोकने के लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं और डीएसओ कार्यालय में हमारा काम हो रहा है और आयल कंपनियों को लक्ष्य दिया गया है। उसके हिसाब से आयल कंपनियां भी काम कर रही हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गैस वितरण व्यवस्था में मूलतः गैस की नीति निर्धारण करने में या कब कनेक्शन देना है या कब नहीं देना है, इसमें तेल कंपनियों का काम है, राज्य सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पाती है। राज्य सरकार तो केवल प्रशासनिक आधार पर जितनी व्यवस्था हम कंपनियों से मिलकर करा सकते हैं, उसे कराने में सहयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस समय गैस की उपलब्धि ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो उसका प्रशासनिक स्तर पर निस्तारण करने का प्रयत्न करेंगे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

इस बात का है, इसमें यह आता है कि गैस जब ब्लैक में अवेलेबल है तो गैस कम नहीं हुई, इसको कम करने के लिए आपका प्रशासनिक विभाग, डीएसओ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि कन्ज्यूमर को बिना ब्लैक के टाइम पर गैस मिल जाए और उसकी बुकिंग टाइम पर हो जावे। यह दो काम की आप स्पष्ट घोषणा कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसमें मैंने कहा ना कि जयपुर में हमने एसएमएस से बुकिंग शुरू कर दी है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ठीक है, बुकिंग कर दी आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब सारे राजस्थान में कर रहे हैं। एनफोर्समेंट के द्वारा हमने कई बार छापे मारे हैं, लोगों को पकड़ा है फिर उसके बाद में जब पकड़ लेते हैं, शादी में कामर्शियल के बजाय घरेलू उपयोग होते हुए तो फिर आ जाता है फोन कि यह करो तो कई समस्याएं होती हैं इसकी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता को सही समय पर गैस उपलब्ध हो जाए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि आप उपभोक्ताओं को सुविधाएं देना चाहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या निवाई विधान सभा क्षेत्र में मंत्री महोदय कोई अलग से गैस एजेंसी खोलने का इरादा रखते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लेकिन उपभोक्ता को जैसे दिल्ली की सरकार ने पचास में चालीस रुपए माफ किए हैं, आप उपभोक्ता के ऊपर जो यहां बड़ी कीमत है, राजस्थान में आपने करोड़ों रुपए बटोर लिए...

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है, अलग से प्रश्न।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या कृपा करके आप उपभोक्ताओं को सहयोग करने के लिए तेल नियमों में सरकार की तरफ से सहयोग करेंगे ....(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत गम्भीर और ....(व्यवधान) प्रश्न है तेल कंपनियों के बारे में ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भारत सरकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि गैस और केरोसिन जो आम उपभोक्ता की चीज हैं उसके दाम नहीं बढ़ाये और उन्होंने बढ़ा दिये। हम पुनः आग्रह करेंगे कि दामों को वापिस ले लें।

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि निवाई में केवल एक गैस एजेंसी है उपखण्ड मुख्यालय पर ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, गैस के ऊपर जो टैक्स लगाया है यह जनता के ऊपर बर्डन है क्या आप उसको वापिस लेने का विचार रखते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जितना भारत सरकार का नाम ले रहे हो अरे भारत सरकार ही सक्षम होती तो ....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय आपूर्ति मंत्रीजी राजस्थान में गैस के ऊपर और केरोसिन के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, आपने टैक्स लगाया है, क्या आप उसको वापिस लेने का विचार रखते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बार-बार आपको कह रहा हूं कि जो पैसा बढ़ा है उससे उपभोक्ता की कमर टूट गई है और हम बार-बार लिख रहे हैं कि उपभोक्ता का पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, गैस का पैसा नहीं बढ़ना चाहिए ....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपभोक्ता की कमर तो आप तोड़ रहे हैं, आपने 28 प्रतिशत तो टैक्स लगा रखा है पेट्रोल पर और 20 प्रतिशत टैक्स लगा रखा है डीज़ल पर और प्रति लीटर आप उसमें सरचार्ज लेते हैं और गैस सिलेण्डर पर और केरोसिन पर राजस्थान में कभी टैक्स नहीं लगा, आपने टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ी है। क्या आप उस टैक्स को वापिस लेने का विचार रखते हैं ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ....(व्यवधान) यह महंगाई बढ़ाने का काम आपने किया है, मैं बार-बार कह रहा हूं गैस के दाम मत बढ़ाओ ...(व्यवधान) हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि गैस के पैसे कम किए जाएं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) आप इस टैक्स को वापिस लेना चाहते हैं क्या? ...(व्यवधान) नवम्बर में यह पैसा आपके ऊपर भारी पड़ेगा ...(व्यवधान) नवम्बर में यह आपके ऊपर भारी पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान के इतिहास में एक साथ पचास रुपए गैस सिलेण्डर पर बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह भारत सरकार ने किया है और आप उसकी हिमायत कर रहे हो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केरोसिन पर आप टैक्स लगाते हो, गरीब जनता पर आप टैक्स लगाते हो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पेट्रोल पर दाम बढ़ाये, गैस के दाम बढ़ाये, पचास रुपए सिलेण्डर का दाम बढाया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो इंटरनेशनल क़ीमतों के आधार पर बढ़ाया है ...(व्यवधान) और आपने जो टैक्स लगा रखा है ...(व्यवधान) आपने जो टैक्स लगाया है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भारत सरकार से कहो कि सस्ती करे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पिछले तीन सालों में कितने बढ़ाये दाम ...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने आम और अवाम को परेशान करने के लिए उनका गला घोटने का काम किया है ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी आंसू बहा रहीं है पैसे बढ़ाकर के ...(व्यवधान) केन्द्र में आपकी सरकार पैसे बढ़ाती रही ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जनता पर जो सेल टैक्स लगाया है आपने केरोसिन और गैस पर उसे कम करने की बात कीजिए आप और राज्यों ने भी कम करने की बात की है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितने पैसे बढ़ाये है, पहले कितना पैसा बढ़ाया है, कितनी बार बढ़ाया है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अरे, आप क्या कर रहे हो, आपने कितना कम किया, आपने क्या कम किया बताइए ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी आपको ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितने पैसे बढ़ाए हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): वहां बढ़ाये जो अलग बात है, आप कम करो ना।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): गैस के ऊपर कभी पचास रुपए बढ़े हैं क्या ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): चोरी आप करो, केरोसिन की कालाबाजारी आप करो ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह महंगाई बता देगी चुनाव में आपको ...(व्यवधान) पचास रुपए सिलेण्डर पर एक साथ बढ़ाये हैं, वोट लेने जाओगे तब बताएंगे तुम्हें लोग ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ...(व्यवधान) उसको भी कम करना नहीं चाहते, पूरे राजस्थान की जनता कह रही है ...(व्यवधान) पूरी राजस्थान की जनता देख रही है ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यहां बैठ कर के सेल टैक्स कम दिया, सेल टैक्स लगा दिया, पचास रुपए सिलेण्डर पर और पेट्रोल के दुगुने दाम और डीज़ल के दुगुने दाम तुम्हारे राज में हुए हैं ...(व्यवधान) यह जनता जानती है कि पैसे किसने बढ़ाये हैं ...(व्यवधान) आपके राज में महंगाई जिस कदर से बढ़ी है, आज 12 प्रतिशत के ऊपर महंगाई हो गई है और जब जनता से वोट लेने जाओगे, इस देश में आलू प्याज वालों का क्या हुआ ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): थोड़ी बहुत तो शर्म करो।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आज वह स्थिति आपने आम आदमी की बना रखी है, जब वोट लेने जाओगे तब पता लगेगा। आज महंगाई से जनता की कमर तोड़ी है वह तुम्हारी सरकार ने तोड़ी है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपने क्या किया यह बताइए ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बेशर्मी की सीमा खतम हो गयी है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): दिल्ली सरकार ने कम किया है, पंजाब ने कम किया, हरियाणा ने किया है, आपने क्या किया यह बताइये?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ...(व्यवधान) पेट्रोल पर पैसे बढ़ा दिये, डीजल पर बढ़ा दिये, गैस पर बढ़ा दिये ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): राजस्थान का सेल्स टैक्स कम कीजिये पहले आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। माननीय सदस्यगण, आसन पांवों पर। मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब आरोप लगा लिये। अपनी पूरी ताकत गले की और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत लगा ली। अब मैं समझती हूं कि दूसरे प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न पूछ लें। (व्यवधान) लगा लिए आरोप-प्रत्यारोप खूब लगा लिये आपने।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री अध्यक्ष: इन्होंने लगा लिये आपने लगा लिये अब आगे चलिये आप। नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नवनीत नीनामा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):××× ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। आज कहां चले गये आप शांत तो करायें। श्री नवनीत नीनामा। (व्यवधान)

जनजाति छात्रावासों में अधीक्षक पदों पर स्थाई नियुक्तियां

34. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनजाति छात्रावास चलाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने छात्रावास संचालित हैं? जिला व पंचायत समितिवार मय छात्र संख्या के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में संचालित कितने जनजाति छात्रावास स्थाई/अस्थाई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जनजाति छात्रावासों में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षकों (वार्डन) के स्थाई पदों पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है आपका। स्थान ग्रहण करें। मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) उनको कम करना होता तो कर देते अब आप खामख्वाह के अन्दर। नहीं करना। क्या बात हुई, करना होता तो कह देते आपको। करना हो तो कह देंगे। यह कोई तरीका नहीं है आपका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.44 बजे, 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय : 12.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऑन ए पाइट आफ एक्सप्लेनेशन।

सूचना

सुखाड़िया सर्किल, गंगानगर पर लगी लोकार्पण पट्‌टी को बदले जाने विषयक

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक बड़ी इम्पोरटेंट सूचना देना चाहता हूं। अभी तीन-चार दिन पहले गंगानगर में गंगानगर यूआईटी के चेयरमैन महोदय ने मंत्रीजी को गुमराह कर, अंधेरे में रखकर जिस सुखाड़िया सर्किल का लोकार्पण 1983 में हुआ था उसका दुबारा लोकापर्ण करवा दिया और जो पत्थर भी लगा हुआ था माननीय राष्ट्रपतिजी का उसको भी उखड़वा दिया।

श्री अध्यक्ष: वह उखड़वा दिया ...(व्यवधान) बड़ी गलत बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आप इस परम्परा को ठीक समझते हैं तो आपके द्वारा जो लगाई जायेगी, अगर यह परम्परा पड़ गई तो भविष्य में वो भी हटाये जाएंगे। यह परम्परा उचित नहीं है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अंधेरे में रखकर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आप शायद वहां पर जाते भी नहीं, यूआईटी वालों की जिम्मेदारी है। आप कृपया वहां जो पुरानी स्थिति थी उसको यथावत रखवाने की चेष्टा करें। यह परम्परा भविष्य के हिसाब से बहुत गलत होगी, यह मैं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य ने जो बात सदन में रखी है मेरा इसके सम्बन्ध में यही निवेदन है कि माननीय ज्ञानी जेलसिंहजी ने 1983 में पार्क में सुखाड़ियाजी की मूर्ति का अनावरण किया था वह एज-इट-इज है, सर्किल पर उनका पत्थर भी लगा हुआ है। मैंने तो मिशन अनुपम में, 8 लाख रुपये, यह संस्था है होमलैण्ड सिटी प्राजेक्ट, इसने 8 लाख रुपये खर्च किये थे नवीनीकरण करके, तो वह मिशन अनुपम में जो नवीनीकरण किया था उसका लोकार्पण किया था। बता दूं, मैं नगर सुधार न्यास गंगानगर मिशन अनुपम के तहत होमसिटी के सौजन्य से सुखाड़िया सर्किल के नवीनीकरण का सुरेन्द्र गोयल ने उद्‌घाटन किया। यह है नवीनीकरण का....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो सूचना दे रहे हैं फिर आपसे गलत कहलवाया है। आज गंगानगर के अखबारों में, राजस्थान पत्रिका में पुराना पत्थर जो लगा हुआ है उसकी फोटो छपी है1 नया रातों रात, जब कलक्टर को मालूम पड़ा तो उसने कहा कि क्या किया है, दुबारा लगवायें, उसकी भाषा में कोई मैं अपने लिये नहीं कह रहा हूं। मैं उस वक्त यूडीएच का मिनिस्टर था वह पट्‌टिका लगी है उसमें बहुत अन्तर है। जब इन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ, वह तो उखड़वाकर पटकवा दी यहां पर।

श्री अध्यक्ष: पट्टिका हटवा दी क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, बदलवा दिया पत्थर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास मंत्री): वह सूचना पट्टिका वहीं है, जो लोकार्पण का पत्थर है वह भी लगा हुआ है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अख़बार के आधार पर कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजें एक मिनिट, पूरी बात सुन लें ...(व्यवधान) आप सही जांच करा लें, जो पुराना पत्थर...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्लीज, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मुझे बोल लेने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अख़बार के आधार पर ही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं अख़बार के आधार पर ...(व्यवधान) हकीकत बता रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर्सनल नालेज है नहीं है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मुझे मालूम है आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर्सनल नालेज नहीं है... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आप जांच करा लीजिए, मैं यह नहीं कह रहा, हो सकता है मैं गलत हूं।

श्री अध्यक्ष: जांच करा लेगें, मंत्रीजी जांच करा लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह निश्चित है कि आज गंगानगर के सारे अख़बार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जांच करा लीजिएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक गलती की फिर दुबारा गलती करी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह आज हैडलाइन है वहां पर, एक गलती की फिर दुबारा गलती करी यह वहां के सारे अखबारों में लिखा है। भगवान के लिए यह परम्परा मत डालिये। गलत जानकारी के आधार पर ही आपसे करवाया और फिर आपको गलत सूचना और दी उन्होंने। यह बहुत भंयकर चीज है, इसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिये। जैसी यथास्थिति थी उसको आप कायम कर ले यही मेरा आपसे निवेदन है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसमें एण्ड करना चाहता हूं कि वहां जो भारत माता की मूर्ति लगी है क्या वह भारत माता की मूर्ति है, भारत माता की मूर्ति के ऊपर तिरंगे झण्डे के पीछे, उनके हाथ में तिरंगा झण्डा और पीछे भारत का नक्शा होता है आप स्वयं वहां मूर्ति का अनावरण करते हैं क्या वह भारत माता की मूर्ति है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन में चर्चा हो क्या यह उचित है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसमें जो झण्डा लगा हुआ है कौन से रंग का है, तिरंगा झण्डा है क्या उसके पीछे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यक्तिगत जानकारी में ही वह...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास मंत्री): भारत माता की मूर्ति है। भारत माता की मूर्ति का मैंने अनावरण किया है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): राजस्थान में आपने शुरूआत कर दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर तय हो गया, जांच करा देंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भारत माता की मूर्ति में तिरंगा हाथ में होता है पीछे भारत का नक्शा होता है, उसमें ऐसा नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है इसलिए......(व्यवधान) स्वायत्त शासन मंत्रीजी आपके साथ धोखा किया है उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे? यूआईटी के चेयरमैन ने आपसे अनावरण करवाया है सुखाडिया सर्किल का दुबारा, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ...(व्यवधान) विराजे अब आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इन सब बातों की ...(व्यवधान) आपने शुरूआत की है, आपने यह शुरूआत की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी, आप इस बात की तहकीकात कर लीजिएगा की ऐसा हुआ है क्या, हुआ है तो गलत हुआ है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आपको गलत सूचना दी, जो गलत सूचना दी है मैं इसकी जांच करवाऊंगा, कैसे क्यों दी, और मैंने मिशन अनुपम में जो नवीनीकरण किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो कोई भी ऐसा करता है चाहे कांग्रेस सरकार ने किया हो, चाहे और कोई सरकार करें, पहले के पत्थर को उखाड़कर दुबारा शिलान्यास करना या लोकार्पण करना गलत है, यह परम्परा नहीं पड़नी चाहिये। (व्यवधान) राजस्थान जैसे प्रदेश में यह बात नहीं होनी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह कह रहे हैं गलत किया ... (व्यवधान) कार्यवाही करेंगे सूचना देने पर भी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां ठीक है ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट आफ एक्स्प्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप सुनिये, आसन पांवों पर है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने मुझे क्वेश्चन आवर में भी...(व्यवधान)

संदेश

महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष: आसन निर्देश देना चाहता है कुछ सदन को। स्थान ग्रहण कर लें माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण राज्यपाल महोदय से जो संदेश प्राप्त हुआ है उन्होंने लिखा है, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि संविधान के अनुच्छेद-200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान विश्वविघालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक 2008 (2008 का विधेयक संख्या 4) पर महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है

"WHEREAS, I have carefully studied the provisions of the Rajasthan Universities Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Bill, 2008 (Bill No. 4 of 2008) as passed by the Rajasthan Vidhan Sabha on 19th March, 2008, and which has now been submitted to me for my Assent.

WHEREAS, I am fully in sympathy with the objective of the Bill to resolve the long standing problem of temporary teachers in the Universities of Rajasthan through absorption and substantive appointment of following screening of those, who fulfil the conditions of eligibility. I observe, however,

(श्री अध्यक्ष)

that the screening process prescribed would be the only occasion when the temporary teachers face selection for a regular University job. But for this generous Bill they would have had to face a much tougher and more competitive process of selection. Thus the composition of the Screening committee provided for in Section 4 of the Bill, acquires greater significance and purpose than such selection committee had earlier.

WHEREAS, traditionally, not only in the various Universities of Rajasthan, but in most Universities of the country, the Dean of the relevant Faculty is required to be a member of the selection process. Similar, and even more importantly, this Bill decrees that in an unprecedented and novel manner the Chancellor does not have any connection with the process as his nominee is denied by this Bill a place in the Selection process, while University teachers are being screened for appointment. It is somewhat invidious that the Bill permits the state government its representatives to be included in the selection process but excludes the Dean of the concerned faculty and the Chancellor's nominee.

WHEREAS, having had experience of University educational management, and having observed these things with personal involvement, I do have some idea about how Universities need to ensure that they attain all round better teaching, academics, research and moral and ethical standards. I therefore find this attempt to wipe out the Chancellor's capacity to over-see these processes through his nominee in the screening committee, unacceptable. I cannot but regret that our Assembly, failed to spare a thought for the future of healthy development of our Universities.

AND WHEREAS, I am of the view that the composition of the screening committee as per this Bill should be analogous to that of regular selection committee of the Universities. There appears to be no logic and no justification for not including the Dean of the concerned Faculty or the nominee of Chancellor in the Screening Committee.

NOW, THEREFORE, I Shilendra Kumar Singh, Governor of Rajasthan in pursuance of Article 200 and proviso thereof, of the Constitution of India, do hereby return the Bill and request the Rajasthan Vidhan Sabha through this message that the Bill be reconsidered to suitably amend it, to include and add the Dean of the concerned faculty and the nominee of the Chancellor as Members of the scree committee provide in section 4 of the Bill.

GOVERNOR OF RAJASTHAN."

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am very sorry to say. पर जब आप यह रीड कर रहे हैं गवर्नर का यह और उसके पहले गवर्नमेंट ने इण्ट्रोड्यूस कर दिया बिल What will be the fate of that Bill. I am very sorry to say it. M'am I am very sorry to say. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, अब वह विचार तो अभी नहीं हुआ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): M'am I do agree. I am very sorry to say. फर्स्ट डे आपने उस बिल को इण्ट्रोड्यूस करवा दिया without the information given to the Assembly as per the provision of the Rules and today you are referring the Governor's communication to us. Something is very funny that on the day you have introduced the Bill and today you communicating with this then what will be the fate of this Bill. You please ensure it whether the Bill which the Minister has introduced on that was correct or which you are communicating is correct. That thing you have to explain to us. . मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कुछ परम्पराओं का निर्वहन, आखिरी दिन है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिन चीजों के सम्बन्ध में हमसे जनता अपेक्षा करती है कि हम कानून बनाने वाले हैं, कानून का ध्यान रखें और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, यह इतनी बड़ी घटना हो गई है कि आपने फर्स्ट डे बिल को इण्ट्रोड्यूस करवा दिया और जो प्रोविजन था उसमें आपने गवर्नर के कम्युनिकेशन को हमको इन्फार्म नहीं किया which was desirable as per the provision of the Business Rules of the Assembly and today you are communicating it and let me know ki उस दिन जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया वह बिल सही है या आपके कम्युनिकेट करने के बाद जो मंत्रीजी बिल ला रहे हैं, वह सही है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है वह अब तो नया बिल आया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I am on a point of order. Please explain it. कम से कम भविष्य में लोगों को यह ध्यान रहे। इस विधान सभा का यह इतिहास रहा, यह परम्परा रही है, जिस विधान सभा की अध्यक्षा लम्बे समय तक पार्लियामेंटेरियन रही हैं, जो आज कॉमन-वेल्थ की पार्लियामेंट की एक्जीक्यूटिव मेम्बर हैं उसके निर्णय को कम से कम हम कोट कर सकें कि इस तरह की स्थिति बनी कि, राजस्थान की विधान सभा के लोग बाद में जिन्दगी में याद रख सकें कि ऐसा भी निर्णय हुआ था। इसलिये मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लीज इस विधान सभा की परम्पराओं को बनाये रखने के लिये आप इस पर व्यवस्था दें कि इस पाइण्ट आफ आर्डर पर आपकी व्यवस्था क्या है कि क्या वह बिल जो मंत्रीजी ने फर्स्ट डे इण्ट्रोड्यूस किया वह बिल सही है या आज जो गवर्नर के कम्युनिकेशन के बाद आप हमें इन्फार्म कर रहे हैं, अब जो बिल आयेगा वह सही है। उसके बारे में आप सदन को व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: बिल तो जो अब नया पेश किया है वही इण्ट्रोड्यूस हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): What was on that day? उस दिन क्या इण्ट्रोड्यूस हुआ, आपने हमें कम्युनिकेट किया। आप वैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें कम्युनिकेट किया, अभी असेम्बली सेक्रेटेरियट से कम्युनिकेट हुआ और मंत्रीजी ने उस दिन हाउस में इण्ट्रोड्यूस किया है, फिर वह चीज क्या है, वह हाऊस में है ही नहीं। मतलब, आप यह कहना चाहते हैं उस दिन का जो बिल हुआ वह हाऊस में है ही नहीं। Something is very funny. मतलब, मैं समझता हूं आप इस बारे में जो भी व्यवस्था दें, वह भविष्य के लिये भी स्थाई व्यवस्था होगी। आपको यह तो व्यवस्था देनी ही पड़ेगी। इस व्यवस्था से आप बच नहीं सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें निवेदन है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब सारा कबाड़ा करा दिया, अब क्या बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कबाड़ा क्या करा दिया इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं कहती हूं। ऐसा है कि जो भी आर्डिनेंस निकलते हैं वह फर्स्ट डे आते हैं असेम्बली में। तो चूंकि आर्डिनेंस निकल गया था गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में। इसलिये फर्स्ट डे होना ही था उसे तो ले-आउट। इसलिये यह रह गया। लेकिन एक्चुअली उससे पहले सुनाया जाना चाहिए था। इसलिये गलती को मैं स्वीकार करती हूं कि मुझे यह पहले सुनाना चाहिए था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाण्इट आफ एक्सप्लेनेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल शून्यकाल में राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के...

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे यह सुनने से पहले कुछ अनुपस्थिति की अनुमति, सदन को सूचित कर देती हूं।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री रमेश खींची, सदस्य को 14.7.2008 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रमेश खींची, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 14 जुलाई, 2008 से सत्रांत

(श्री अध्यक्ष)

तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि आना तो पहले ही दिन चाहिए था यह। लेकिन लास्ट डे भी अनुमति हो गई सदन की। ठीक है, कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर किरोड़ीलालजी का क्या है। किरोड़ीलालजी की हमको सूचना मिली है कि उन्होंने विधायक की सदस्यता से, विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। Is it right or wrong? What is the real position? और कोई एब्सेंट की सूचना भी नहीं है। कहीं इन्होंने गायब करा दिया हो घनश्यामजी ने या राजेन्द्रजी ने। चूंकि गुर्जर आन्दोलन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है सूचना, माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, जब आन्दोलन चल रहा था उस समय भी छपा था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन जानना चाहता है कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर किरोड़ीलालजी मीणा की क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कल आये जरुर थे किरोड़ीलालजी मीणा। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जैसी थी, एक कण्डीशनल रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है। तो कण्डीशनल रेजिग्नेशन किसी का भी असेप्ट किया नहीं जाता है। वह कुछ मानसिक अवसाद में थे, इसलिये मैंने उनसे कहा कि मैं बाद में बात करुंगी आपसे। और इसके बारे में पुनः उनको बुलाया है मैंने, वह आयेंगे तब बात उस बारे में करुंगी। यह वैसे ही त्यागपत्र कण्डीशनल है, त्याग-पत्र उनका। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या कण्डीशन दी है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य कांतिलालजी मीणा का क्या है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई आवश्यक नहीं है। यह कोई आवश्यक नहीं है, सदन को बताया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वे कई बार बीमार हो चुके हैं, आज कोई नई बात नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य, कांतिलालजी मीणा का क्या है। वे भी सदन में नहीं आ रहे हैं। क्या उन्होंने भी आपको इस्तीफा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे इलाज कराने के लिये दो बार विदेश जा चुके हैं। दो बार विदेश जा चुके हैं इलाज कराने के लिये भी। वे अवसाद में थे। कण्डीशनल है। मैं पुनः बात करुंगी उनसे और उसके बाद व्यवस्था करुंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय, उनके सिर में इतनी चोटें लगी हैं जिसके कारण उनका दिमाग ठीक नहीं...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गुर्जर आन्दोलन के कारण लगी हैं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गुर्जर आन्दोलन के कारण नहीं है। सवाई माधोपुर में जो रेलवे का, जो सवाई माधोपुर फैक्ट्री चलाने का आन्दोलन था उसमें जो उन्होंने रेल रोकी थी, उसके ऊपर इतना मारा इनको कि सिर पर इतनी चोटें लगी हैं जिसके कारण बार-बार उनको अस्पताल में जाना पड़ता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): असली तो मंत्रिमण्डल से हटाये जाने के बाद चोट लगी है। (व्यवधान) गहरा सदमा उसका है जो मंत्रिमण्डल से हटाया गया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्होंने कण्डीशनल इस्तीफा दिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी तो सूचना यह मिलती है कि त्यागपत्र इनकी पत्नी देकर गई। कभी सूचना यह मिलती है कि वे आपके घर गये, आप नहीं मिले। आपके पी.ए. को दे गये। अब आज आप यह कह रहे हैं कि आपको खुद को देकर गये लेकिन मानसिक सन्तुलन नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने मानसिक सन्तुलन नहीं बोला है। माननीय सदस्य, मैंने मानसिक सन्तुलन नहीं बोला। मैंने अवसाद बोला है। अवसाद का मतलब सन्तुलन बिगड़ना नहीं होता है। अवसाद का मतलब दुःख। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): टेन्शन, टेन्शन। टेन्शन में थे, डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन, डिप्रेशन में थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपका मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं लगता है हमको तो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जैसे कल आपने हेमारामजी की स्थिति बना दी थी, हेमारामजी की बना दी थी। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कल प्रतिपक्ष के नेता घायल हो गये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 52 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/07-62 दिनांक 7.2.2008 जिसके द्वारा मैसर्स जगुआर एण्ड कम्पनी लि. भिवाड़ी को राज्य एवं अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्यक प्रयोजनार्थ बाथरूम फिटिंग एवं अन्य काम आने वाले उत्पादों पर फॉर्म "सी" भरे जाने पर विक्रय कर की गणना एक प्रतिशत की गई है ।

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/07-63 दिनांक 7.2.2008 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-54 (ख) के अन्तर्गत आबंटन अथवा नियमन कर पट्टा जारी करने की स्थिति में पट्टा विलेख पर मुद्रांक शुल्क घटाये जाकर बाजार दर के स्थान पर शर्तों अनुसार लिये जाने बाबत् समयावधि दिनांक 31.12.2008 तक बढ़ाई गई है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(114)वित्त/कर/07-पार्ट-64 दिनांक 14.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-65 दिनांक 14.2.2008 जिसके द्वारा माइक्रो, स्माल एण्ड रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को कच्चे माल और उत्पाद के काम आने वाले तथा पैकेजिंग मैटेरियल (ईंधन को छोड़कर) को कर में छूट दी गई है ।

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-66 दिनांक 14.2.2008 जिसके द्वारा माइक्रो, स्माल और मिडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेन्ट एक्ट, 2006 की परिभाषा में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को को बेचे जाने वाले माल और उत्पाद पर कर की गणना 0.25 प्रतिशत की दर से सशर्त की गई है ।

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-67 दिनांक 14.2.2008 जिसके द्वारा माइक्रो एवं स्माल एन्टरप्राइजेज को, जो कि माइक्रो, स्माल और मिडियम एन्टरप्राइजेज डवलपमेन्ट एक्ट, 2006 की परिभाष में आते हैं, को स्थापित करने के लिये संयंत्रों पर लिये जाने वाले ऋण पर मुद्रांक शुल्क में कमी की गई है ।

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-68 दिनांक 14.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत माइक्रो एवं स्माल एन्टरप्राइजेज को उनके द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग/ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु काम में ली जाने वाली ऊर्जा पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में कमी की गई है ।

8- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/2008-69 दिनांक 16.2.2008 जिसके द्वारा फिल्म "तारे जमीन" को तीन माह की अवधि के लिये मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-70 दिनांक 21.2.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-65 दिनांक 14.2.2008 में संशोधन किया गया है ।

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-71 दिनांक 21.2.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/07-66 दिनांक 14.2.2008 में संशोधन किया गया है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

11- अधिसूचना संख्या : एफ.10(47)वित्त/कर/93-100 दिनांक 1.3.2008 जिसके द्वारा संस्कृत फिल्म मुद्राराक्षसम को मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-101 दिनांक 17.3.2008 जिसके द्वारा मुद्रांक शुल्क में विशेष राहत प्रदान की गई है ।

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-102 दिनांक 17.3.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में कतिपय संशोधन किया गया है ।

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-103 दिनांक 17.3.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14.1.2004 में संशोधन किया गया है ।

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-104 दिनांक 17.3.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(9)वित्त/कर/2006-155 दिनांक 31.3.2006 अतिष्ठित किया गया है ।

16- अधिसूचना संख्या : एफ.10(47)वित्त/कर/93-113 दिनांक 26.3.2008 जिसके द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दिवस समारोह के दौरान दिनांक 27-29 मार्च, 2008 को प्रदर्शित बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से परिहार किया गया है ।

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2005-114 दिनांक 27.3.2008 जिसके द्वारा नई टैक्सटाईल इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले नये ऋणों की जमानत के लिये निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर अधिकतम सीमा एक लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऋण राशि 0.10 प्रतिशत की दर से प्रभारित की गई है ।

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/05-115 दिनांक 27.3.2008 जिसके द्वारा टैक्सटाईल सैक्टर द्वारा उत्पादित माल और मरम्मत के प्रयोजनार्थ काम आने वाले बिजली प्रभार पर 75 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है ।

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(10)वित्त/कर/2005-116 दिनांक 27.3.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(10)वित्त/कर/2005-71 दिनांक 11.7.2006 में संशोधन किया गया है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(41)वित्त/कर/2006-117 दिनांक 27.3.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ।

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-01 दिनांक 2.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-02 दिनांक 2.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की सूची-1 में संशोधन किया गया है ।

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-03 दिनांक 2.4.2008 जिसके द्वारा वैट अधिनियम की सूची-3 में संशोधन किया गया है ।

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-04 दिनांक 8.4.2008 जिसके द्वारा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाओं पर लग्जरी टैक्स में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

25- अधिसूचना संख्या :एफ.12(15)वित्त/कर/08-05 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।

26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-06 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 के नियम-53 (1) के क्लॉज (1) में संशोधन किया गया है ।

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-07 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 के नियम-53 (1) के क्लाज (2) में संशोधन किया गया है ।

28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-08 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 के नियम-53 (1) के क्लाज (3)में संशोधन किया गया है ।

29- अधिसूचना संख्या : एफ.12(44)वित्त/कर/08-09 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा स्टैनलैस, स्टील, शीट व स्टैनलैस स्टील सर्किल को सी फॉर्म बेचने पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 0.5 प्रतिशत की गई है ।

30- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-10 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या :एफ.12(15)वित्त/कर/2008-95 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

31- अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-11 दिनांक 22.4.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/98-63 दिनांक 8.2.2008 में संशोधन किया गया है ।

32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(44)वित्त/कर/07-12 दिनांक 23.4.2008 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के द्वारा 8(5) में अधिसूचना जारी कर अन्तरराज्यीय व्यापार के क्रम में घोषणा पत्र-सी की समर्थन से स्टैनलैस स्टील यूटेन्सिल पर कर का परिहार किया गया है ।

33- अधिसूचना संख्या : एफ.2(71)वित्त/कर/07-13 दिनांक 5.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वर्ष 2001-02 में लिये गये 25 करोड़ अल्पावधि ऋण के सम्बन्ध में निष्पादित विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क का परिहार किया गया है ।

34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08पार्ट-14 दिनांक 15.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)वित्त/कर/08-15 दिनांक 15.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-18(1) (ई) में संशोधन किया गया है ।

36- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-16 दिनांक 2.6.2008 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों, नगर पालिका को नियमितीकरण हेतु मुद्रांक शुल्क में सशर्त छूट दी गई है ।

37- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-17 दिनांक 3.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है ।

38- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-18 दिनांक 3.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ।

39- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-19 दिनांक 3.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

40- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-20 दिनांक 3.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-76 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है ।

41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/08-21 दिनांक 5.6.2008 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को बायोमास पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिये प्रवेश कर में छूट दी गई है ।

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(113)वित्त/कर/07-22 दिनांक 12.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2003 की अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है ।

43- अधिसूचना संख्या : एफ.5(1)वित्त/कर/02-23 दिनांक 12.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 हेतु गठित समझौता बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई है ।

44- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-24 दिनांक 23.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस रूल्स, 2008 विरचित किये गये हैं ।

45- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)वित्त/कर/08-25 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-173 दिनांक 31.3.2006 को विखण्डित किया गया है ।

46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-26 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।

47- अधिसूचना संख्या:एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-27 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-06 दिनांक 17.4.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-28 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर-डिवी/99-159 दिनांक 26.3.1999 एवं अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-07 दिनांक 17.4.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

49- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-29 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-08 दिनांक 17.4.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) को खण्डित किया गया है ।

50- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-30 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)/ग्रुप-4/89-29 दिनांक 11.5.1989 एवं अधिसूचना संख्या : एफ.4(17)वित्त/कर-डिवी/2000-344 दिनांक 24.4.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) को खण्डित किया गया है ।

51- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-31 दिनांक 25.6.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर-डिवी/99-161 दिनांक 26.3.1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) को खण्डित किया गया है ।

52- अधिसूचना संख्या : एफ.2(10)वित्त/कर/2008-32 दिनांक 30.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन लि. जयपुर की बढ़ाई गई अंशपूजी के निष्पादन हेतु विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रिकार्ड कायम किया है। आपने 5-5 का रिकार्ड कायम किया है इतिहास में। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरे को अलाऊ किया है।

श्री अध्यक्ष: आपको इसी में बोलना है क्या, जनमत जानने हेतु पर?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरा आप पहले एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए। पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, वह आपको मैं ही बता देती हूं जो आप कह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, बताइये।

श्री अध्यक्ष: आप इस परिपत्र के बारे में ही जानना चाह रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कल जब सदन में प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के मामले में गतिरोध उत्पन्न हुआ तब आपने सरकार का एक परिपत्र पढ़कर सुनाया था।

श्री अध्यक्ष: जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आपने यह कहा कि वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है और बाद में जब हमने अवलोकन किया तो मालूम पड़ा कि वह प्रशासनिक स्वीकृति थी इसलिए सदन ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता को कल गुमराह किया गया है, जिसको करेक्ट किया जाना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब सुनिये आप, आप विराजिये। मैंने, यह फिर से आप इसे पुनः पढ़ें। इसमें यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 3292, पी.एस.एफ.-8, दिनांक 14.7.2008 के अनुसरण में जारी की गयी। वित्त विभाग के सम संख्या अनुसार, यदि नहीं होता तो यह प्रशासनिक स्वीकृति कैसे निकलती, मुझे बताइये आप, यह कैसे निकलती?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रोसीडिंग्स की कापी है मेरे पास। प्रोसीडिंग्स की कॉपी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने कहा था कि वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है जबकि वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति निकाली है। शिक्षा विभाग ने वित्तीय स्वीकृति नहीं निकाली है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जारी नहीं हुई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और आपने आसन से कल बोला था कि वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वित्तीय स्वीकृति से ही प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है इसलिए वित्त विभाग की स्वीकृति से प्रशासनिक स्वीकृति निकली है यह।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्रशासनिक स्वीकृतियां आथैंटिक नहीं होती वह ... (व्यवधान) पेश की जा सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा था। (व्यवधान) यही कहा था मैंने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने और वित्तीय स्वीकृति जारी होने में अन्तर है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): प्रशासनिक ... (व्यवधान) वित्तीय स्वीकृति है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया, स्थान ग्रहण कर लें। कृपया, स्थान ग्रहण करें। मैं फिर कह रही हूं कि यह प्रशासनिक स्वीकृति जब ही निकली है जब वित्त विभाग ने यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या क्रमांक 3292, पी.एस.एफ-8, दिनांक 14.7.2008 के अनुसरण में जारी की गयी है। पहले वित्त विभाग ने कहा है। निकाला है। तब ही प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। सीधी सी बात है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विद्यार्थियों का एडमिशन प्रारम्भ हो चुका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए हमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विद्यार्थियों का एडमिशन प्रारम्भ हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रभारी मंत्री साफ़े पहन कर आये विद्यालय क्रमोन्नत के नाम से, वह जनता को वापस लौटाये जाएं ताकि ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): तुमको नहीं पहनाएंगे। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): वह जनता के साफे पहनकर आये झूठी घोषणा के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008, इस पर श्री संयम लोढ़ा, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? यह परिलब्धियां और पेंशन जो है, इस पर आपने जो रखा है, ... (व्यवधान) घनश्यामजी तिवाड़ी ने, आप बोलना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद, एब्सेंट। (अनुपस्थित)

डाक्टर बुलाकीदास कल्ला, Do you want to speak? बोलेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, बोलिये। बोलिये। बोलने दो, अगला बोलना चाहता है तो बोलने दो न लेकिन बोलेंगे शार्ट में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, शार्ट में ही बोलूंगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इस पर बोलना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, अब नहीं। आपका ही मैम्बर बोल रहा है। आपका ही मैम्बर बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठे-बैठे क्या खा सकते हैं? सदन में बैठे-बैठे पान खा सकते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं खा सकते।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): नहीं खा सकते तो यह आहोर से आने वाले माननीय सदस्य क्या खा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: कौन खा रहा है?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): जैसे बकरा खा रहा हो। (व्यवधान) अच्छा, अभी भी इनका मुंह हिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये। करिये प्रारम्भ, प्रारम्भ करिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इसके बारे में मैंने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

प्रस्ताव रखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पूर्व विधायक जो राजनीति में अपना सर्वस्व लगाकर आते हैं और उसके बाद वह किसी नौकरी के लिए, किसी और काम के लिए, किसी और व्यवसाय के लिए कोई काम नहीं कर सकते और उनको एम.एल.ए. नहीं रहने पर जो 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है वह पेंशन के जो दूसरे नियम, यदि आप देखें कि उसके ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 1500 रुपये नहीं है, अब 2500 रुपये हो गयी है उनकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 2500 रुपये कम से कम। नहीं, 1500 रुपये, पहले टर्न के लिए, 1500 रुपये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब तो 2500 रुपये है। 2500 रुपये है अब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): For your kind of information.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 2500 रुपये। अगर कोई चपरासी जो रिटायर होता है उसकी पेंशन कम से कम तीन हजार, चार हजार रुपये होती है।

श्री अध्यक्ष: 25 साल नौकरी करता है वह, 20-25 साल ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर काहे के लिए इनकी पेंशन? पेंशन दो तो सम्मानपूर्वक पेंशन दो और कम से कम पांच हजार रुपये पेंशन एक्स एम.एल.ए. को दी जानी चाहिए। इसके अलावा रेलवे कूपन कई राज्यों में दिये जाते हैं। यहां पर रेलवे कूपन एक रुपये का भी नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से जो रोडवेज के कूपन दिये जाते वह भी एक कूपन दिया जाता है तो इन सब चीजों के बारे में, एक्स.एम.एल.एज. की एसोसिएशन के लोग हमसे मिले थे। मेरा यह आग्रह है कि सरकार जब यह बिल लेकर आ रही है तो क्राम्प्रिहेंसिव बिल के रूप में लाना चाहिए। उनसे बात करके, उनकी समस्याओं का पूरा समाधान करते और कम से कम 20 हजार के रेलवे कूपन एक साल में दिये जाने चाहिए ताकि वह अपने आवश्यक कामों की पूर्ति के लिए आ जा सके और इस संबंध में सर्किट हाउस में रुकने की सुविधा, डाक बंगले में उनकी रुकने की सुविधाओं के बारे में भी आपको कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सुविधा हो गयी न। सुविधाएं हो गयीं न। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)ः कहां हुई है? मिलता ही नहीं है एक्स. एम.एल.एज. को ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)ः राजस्थान हाउस में नहीं की गयी है। जो रिटायर अधिकारी है उनकी सुविधा समाप्त की जाए राजस्थान हाउस में ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)ः एक्स. एम.एल.एज. को सर्किट हाउस में रुकने की सुविधा नहीं होती है इसलिए उनको यह सुविधा दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री विचार करें इनके बारे में, स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)ः राजस्थान हाउस में रुकने के लिए भी आप विचार कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायकों को सर्किट हाउस में रुकने की रोक लगायी थी अशोकजी गहलोत के राज के अन्दर। आप भले ही उठाकर देख लो। आज यह वकालत कर रहे हैं, आज यह वकालत कर रहे हैं, इन लोगों ने ही लगायी थी। इन लोगों ने ही सारा लगाया था। (व्यवधान) आप देख लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)ः कोई रोक नहीं लगायी थी। जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या को ध्यान नहीं है। हमने एक्स एम.एल.ए. ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आज दिन तक तो ऐसे बिलों पर कभी डिस्कशन हुआ नहीं है। खैर, आपने कह दिया कि सुविधाएं अपर्याप्त हैं, आपने सुविधा को अपर्याप्त बता दिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)ः ठीक है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)ः पूर्णतः समाप्त ही कर दी जाए, मेरे ख्याल से।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)ः तीन टर्म पर रखिये। इसको आप तीन टर्म कम से कम हो जब रखिये और ज्यादा रखिये।

श्री अध्यक्षः श्री रामनारायण मीणा, Do you want to speak? क्या बोलेंगे अब आप?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं क्या बोलूंगा, यह मेरे मुंह से निकल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आज दिन तक यह परम्परा रही है इसलिए कह रही हूं कि आज दिन तक यह परम्परा रही है कि ऐसे बिल के ऊपर कभी डिस्कशन होता नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): परम्परा तो यह भी रही है कि भारत सरकार के आदेश की पालना की जानी चाहिए, राजस्थान में नहीं हो रही है और गरीबों के खिलाफ एक्शन हो रहा है ... (व्यवधान) मैं जनता हूं। भीख मांगते हो तुम, इतना पैसा दिया जा रहा है। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों का ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): राजस्थान के किसानों का खून चूसा है केन्द्र सरकार ने इसका मुंह तोड़ जवाब देगी राजस्थान की जनता। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): परम्पराएं तो आपको भी मालूम हैं, सबके समान अधिकार होते हैं। सबके समान अधिकार होते हैं। सब बात करेंगे। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): का-आपरेटिव के लोन में भी किसानों से ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। बोलो-बोलो, शुरू करो फिर आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह बात कह देना ही काफी नहीं है, इसका एम्प्लीमैंट करना भी काफी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हां, नहीं किया जा रहा है इसलिए आप ... (व्यवधान) आप इनको आर्डर में लाइये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने उनको बचाने के लिए एक सांसद की बोली 25 करोड़ मात्र ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप माननीय सदस्य, दोनों बैठ जाइये। आप बैठिये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपने तो गरीब की कमर तोड़ दी है। यह हो गया, वह हो गया, स्कूलें कब खोलेंगे, क्या करोगे, आपके सौतेले व्यवहार के होते हुए, आपको इसके ऊपर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं रहा

(श्री तगाराम चौधरी)

है। आप किस हैसियत से बोल रहे हो? भारत की सरकार का जिम्मा है वह तो आप सारा बोलने ही नहीं देते हो और आप कहते हो भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आप एम.पीज. की तो खरीद-फरोख्त करने लगे ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं जनता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और अब क्या कहना आपका बाकी रह गया है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... (व्यवधान) 16 परसेंट में भारत सरकार ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और क्या जनता के सामने आप संदेश रखना चाहते हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इतना अन्याय शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर हो रहा है, कभी हुआ है क्या?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और मेरे वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को पीट रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे वहां प्रचुर मात्रा में तेल निकला है जिसको पांच साल हो गये। सारे पांच साल में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। अब आप प्लीज, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा अर्ज करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल आया है मेडिकल रिएम्बर्समैंट के लिए बाकी इसमें कुछ है नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी विराजमान हैं। आपने स्वीकार किया था कि दस हजार के कूपन देने की बात स्वीकार की। राजस्थान हाउस के बारे में स्वीकार की। रेलवे के बारे में

(श्री रामनारायण मीणा)

स्वीकार की। विविध सुविधाएं माननीय पूर्व सदस्यों के बारे में आपने स्वीकार की। जब ऐसी बातें आप स्वीकार करते हो, माननीय अंडरस्टेंडिंग करते हो और आपकी विद्या बोधनी, कौनसी वह किताब है, जो विधान सभा से निकलती है, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधान बोधनी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): विधान बोधनी, वह मैं कल ही पढ़ रहा था। मैं आपसे अर्ज करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि विधान बोधनी में जो बात राज्य सरकार ने स्वीकार की और वह प्रिन्ट हो गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): विद्या बोधनी नहीं, विधान बोधनी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): विधान बोधनी।

एक माननीय सदस्य: एक बार पूरा सही नाम बोल दो। एक बार सही नाम बोलो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा अर्ज करना है, यह पत्रिका राजस्थान विधान सभा से जारी होती है, उस पत्रिका में जो अभी रिसेंट उसका अंक निकला है, जो इसी महीने हमें प्राप्त हुई है, मेरा आपसे अर्ज करना है कि आप इसमें भी 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिये राइडर लगा दिया है। मेरा आपसे अर्ज करना है कि इस राइडर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं 12 हजार रुपये। हार्ट का पेशेंट है, गरीब व्यक्ति को वैसे भी सहायता देते हैं। मुख्य मंत्री सहायता कोष आज का बना हुआ नहीं है, पहले का है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वह सुन नहीं रहे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उधर नहीं सुनेंगे तो लिख तो रहे हैं यह। आप उनसे कहिये न, आप क्यों बोल रहे हो? मुझसे क्या कहते हो आप? (व्यवधान) आप उनसे कहिये कृपा करके। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना की तहे दिल से कद्र करता हूं । इस पर बात नहीं करनी चाहिये लेकिन मैं यह भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सरकार स्वीकार कर चुकी है। राजस्थान हाउस के बारे में सरकार ने स्वीकार किया है, क्या संसदीय कार्य मंत्रीजी मना करेंगे? पेंशन की राशि जो बढ़ाई जा रही है उससे ज्यादा स्वीकार किया है। पहले पेंशन के बारे में स्वीकार किया है

(श्री रामनारायण मीणा)

और बुजुर्ग सदस्य 75 साल के बाद तो ...(व्यवधान) 75 साल के बाद तो ईश्वर की कृपा होती है, तब ही आदमी जिन्दा रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार को आप आदेशित करें, सदन की इच्छा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करता हूं इस बिल को विद्-ड्रा करें। कल का हाउस में बिजनैस दिया हुआ है। आप भागना चाहते हो, भागें। आखिरी समय है, कल शुक्रवार है, इसलिए कृपा करके संशोधित बिल लाइये। जो जबान से सरकार ने कहा है कि हम यह करेंगे। जो लिखित में सरकार से है और विधान सभा से जो सूचना हमारे पास आई है विधान बोधनी में। देखिये, इतनी मजाक सरकार का। जो तरीका है राठौड़ी चलाने का, कृपा करके इस राठौड़ी को खत्म कीजिये। और जो आपने स्वीकार किया है राजस्थान हाउस के मामले में, रेलवे के मामले में और 75 साल के बाद में माननीय सदस्य चूंकि 75 साल के बाद में उनको मेडिकल ऐड जिस ढंग से चाहिये, वह आप स्वीकार करें। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सरकार वास्तविकता पर आये और .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) 75 के बाद में वह बिलकुल पागल हो जाता है, क्या कहना चाहते हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप देखिये, जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में मेरा तो आपसे अर्ज करना है, सरकार ने जो माननीय पूर्व विधायकों से बात की है और स्वीकारोक्ति दी है, जो आपके यहां से विधान बोधनी जो किताब निकलती है, उस किताब में सरकार ने माना है, उसके बारे में बिल को आप संशोधित करवाइये। मेरा तो आपसे यही अर्ज करना है। इसके साथ आपको धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि चर्चा नहीं होनी चाहिये। मैं दो निवेदन आपसे करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नई परम्परा हो जायेगी अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कई नई परम्पराएं पड़ी हैं, पहली बार पड़ी हैं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं दो निवेदन आपसे करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): संशोधन में नाम नहीं है आपका। (व्यवधान) थर्ड रिवीजन पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तृतीय वाचन पर बोलना चाहें तो बोलें। अभी नाम नहीं है आपका संशोधन में।

श्री अध्यक्ष: इन पांच सालों में सारी परम्पराएं टूटी हैं। इसलिए यह भी टूट जाने दो। (व्यवधान) सब तोड़ दीं आपने परम्पराएं। (व्यवधान) रखी कहां हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो, फिर बोलो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह पहले हमारे नेताओं से बात कर लेते। अध्यक्ष महोदय, पहले नेताओं से बात कर लेते तो चर्चा नहीं होती। यह पहले तो आपस में बात करते नहीं हैं, इसलिए सदन में चर्चा होती है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ..(व्यवधान) यह राठौड़ी का नया तरीका पांच साल में हुआ है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वह भूतपूर्व हो गये, यह भी हो जायेंगे। और आपने पांच साल में कई नई परम्पराएं डालीं, एक परम्परा और डालने दें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): गला खराब हो रहा है माहिर साहब का।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो निवेदन आपसे करना चाहता हूं। यह कागज मेरे हाथ में है। इस पर आपके दस्तखत हैं खुद के। 01 अक्टूबर, 2007 का, कि राजस्थान विधान सभा के पूर्व विधायकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में एक बैठक हुई और उसमें यह-यह निर्णय लिये गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के अन्दर विधान सभा सचिवालय के बारे में आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। आपके चैम्बर में जो बैठक होती है, उस पर आज तक कभी चर्चा इस प्रकार नहीं हुई। यह नई परिपाटी, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह सचिवालय नहीं, यह विधायकों का मामला है। और विधायकों का मामला विधान सभा में डिसकस नहीं होगा तो कहां होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नई परिपाटी क्या प्रारम्भ कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके वैश्म में कोई बैठक हुई, उस बैठक की चर्चा कर रहे हैं। विधान सभा के सचिवालय की चर्चा कर रहे हैं। यह नई परम्परा प्रारम्भ हो जायेगी। इसको रोको अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर यह चर्चा प्रारम्भ हो गयी अध्यक्ष महोदय, तो फिर यह चर्चा भी प्रारम्भ हो जायेगी कि प्रश्न लगा, नहीं लगा, यह प्रश्न क्यों नहीं लगा, लाटरी में गलती हुई। इस बाबू ने गलती कर दी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर विधान सभा के सचिवालय में या वेश्म में जो भी बात हुई है, वह अंकित नहीं की जानी चाहिये और उस पर बहस नहीं होनी चाहिये। अगर इस परम्परा को आपने एक बार तोड़ दिया तो फिर यह कहां तक जायेगी, कहा नहीं जा सकता।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप लोगों ने हजारों परम्पराएं तोड़ दीं। भ्रष्ट आदमी को बचाने में लगे हुए थे। मूक-दर्शक बनकर सुन रहे थे और हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और पचास हजार के मामले को आपने हवा में उड़ा दिया और मेरे से पचास हजार रुपये रिश्वत लेने वाले चेयरमेन को आपने सुना तक नहीं? (व्यवधान)

श्री युनूस खान: आप अध्यक्षजी से बात करो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप अध्यक्षजी से बात करो ना, आप सुन रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आपसे करेंगे। अध्यक्षजी से क्यों करेंगे ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी आंखें मिलाने की हिम्मत न यहां है, न झुन्झुनूं में है। न यहां आंखें मिला सकते हो, न झुन्झुनूं में मिला सकते हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान) प्रोग्राम करके डूबो दिया। (व्यवधान) अध्यक्षजी, सुन नहीं रहे हो क्या? मैं बड़े जोरों से कह रहा हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को आप लोग बचा रहे हो। ..(व्यवधान) मुझे डर नहीं लगता। मैं कहता हूं..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बैठ जाओ श्रवण कुमारजी। .. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बैठ रहा हूं न। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों को। आप कह रहे हो कि क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये आपके वेश्म की बात नहीं करता हूं। जिनको आपत्ति हो रही है, मैं उनसे बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज तक यह सुनता था कि प्राण जाये पर वचन न जाये। यह 12 मार्च, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने सदन में कहा है, वह उद्धृत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पहली लाइन तो छोड़ गये कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रघुकुल वाले तो वही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, इन्होंने कहा । श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्रीजी- राजस्थान पूर्व विधायक संघ का शिष्टमण्डल कल भी मुझसे मिला था। इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में एक बार चर्चा हुई है, यह जिक्र आपने कैसे किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप वेश्म की बात उठा रहे हो। ...(व्यवधान) अध्यक्ष के वेश्म की चर्चा ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह आपने जिक्र कैसे किया 12 मार्च को। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हाउस की प्रोसिडिंग बता रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह हाउस की प्रोसिडिंग है। मैं टेबल कर दूंगा। आगे सुनो, क्या कह रहे हैं- कल भी मुझसे मिला था। इससे पहले

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी अध्यक्ष महोदय के वेश्म में एक बार चर्चा हुई थी। उनका छह सूत्री मांग पत्र है। उसमें से प्रमुख मांग यह थी कि राजस्थान हाउस में उन्हें एक महीने में तीन दिन तक ठहरने का अवसर दिया जाये। उनकी यह भी मांग थी कि उन्हें जो मेडिकल रिअम्बसमेण्ट है, वह एक साथ पांच हजार रुपये कर दिये जायें तथा रोडवेज के कूपन 100 से बढ़ाकर 150 कर दिये जायें। सभापति महोदय, करीब-करीब मांगों में काफी कुछ मांगों पर सहमति हो चुकी थी और मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं और पूर्व विधायक संघ के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिन के अन्दर-अन्दर इन मांगों पर सहमति हो चुकी है, उनके आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आपने हाउस में 12 मार्च, 2008 को यह बात कही है। अध्यक्षजी के वैश्म में बात हुई, मैं उसकी चर्चा करूं तो आपको आपत्ति है और आप खुद संसदीय कार्य मंत्री होकर उसका जिक्र करो, तब आपको कायदे-कानून याद नहीं आयें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): विधि मंत्रीजी, इसका उत्तर देओ। विधि मंत्रीजी कायदे-कानून बताओ आप विधान सभा को। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि पूरे हिन्दुस्तान की सारी विधान सभाओं के रिकार्ड आपने मंगा रखे हैं। गृह समिति के सभापतिजी से पूछ लें। पूरे भारत में सब से कम अगर पूर्व विधायकों की पेन्शन है तो वो राजस्थान के अन्दर है। यह कितनी बड़ी बात है। दूसरे राज्यों में रेल कूपन मिल रहे हैं, दूसरे राज्यों के अन्दर पेन्शन ज्यादा मिल रही है, मेडिकल भत्ता ज्यादा मिल रहा है। यू.पी. भवन में चले जाएं, वहां का एक्स एम.एल.ए. वहां आकर के ठहरता है। आप हरियाणा भवन में चले जाएं, आप गुजरात भवन में चले जाएं और राजस्थान के एक्स एम.एल.ए. इलाज कराने के लिए एसकोर्ट में आते हैं या दिल्ली में किसी दिक्कत से आते हैं तो उनको ठहरने की सुविधा नहीं है। उनको सुविधा मिलनी चाहिए और अगर यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका क्या काम है वहां, कोई प्लानिंग कमीशन में जा रहे हैं, कोई उनकी वहां मीटिंग हो रही है विभागों की, उन रिटायर्ड आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों को भी आपने राजस्थान हाउस में ठहरने की जो सुविधा दे रखी है उसे बंद कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक्स अधिकारी जाकर के वहां ठहरे और एक्स एम.एल.ए.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अपना थैला लिये हुए बाहर वहां काउण्टर पर खड़ा रहे, उसकी बेइज्जती इस सदन को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कोई भी वर्तमान हो सकता है, कोई भी भूतपूर्व हो सकता है, सत्ता आती जाती रहती है लेकिन आपने जो वादा किया है, उन पूर्व विधायकों को यह सुविधा दी जानी चाहिए और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह पार्टी का सवाल नहीं है, आप सब अगर इससे सहमत हैं तो मेजें थपथपा कर अपनी सहमति माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यक्त करने का काम करें और इस पर सदन को निर्णय लेना चाहिए।

श्री अध्यक्षः हो गया, हो गया। मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ...(व्यवधान) गर्दन नीचे कर के बजाओ तालियां, सत्ता पक्ष के हो वरना टिकट और कट जायेगा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जवाब तो दे दो।

श्री अध्यक्षः आप जवाब देंगे क्या? जवाब लास्ट में दे देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले ही दे दो।

श्री अध्यक्षः अच्छा, पहले दे दो। पहले दे दो, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के सामने विचारार्थ बिल है यह बिल एक ऐसे वर्ग से सम्बन्धित है जिससे हमारा भी किसी न किसी रूप में कभी न कभी सम्बन्ध हो सकता है, पूर्व विधायक और पूर्व विधायकों को देय सुविधा, और, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार बजट का पारण हो रहा था तब मुख्य मंत्रीजी ने कुछ घोषणाएं की थीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल पर वो बोल रहे थे। उसके बाद सदन अभी मिला है इसलिए इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी और यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च को जो कुछ कहा था हमने, तब यह मांग थी उनकी कि जो हमें पांच हजार रुपये का रिअम्बर्समेंट मिलता है वह हमें एक साथ दे दिया जाय। और उनकी इस मांग की उस वक्त एक तरह से पूर्ति हो गयी थी जब वो हम से मिले थे, आवश्यक आदेश भी निकल गये थे और उसके बाद भी जब मुख्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया कि महंगाई का जमाना है और इस महंगाई के समय में पूर्व विधायकों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की सुविधाओं को बढ़ाया जाए इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी अधिनियम की धारा 2(क) में संशोधन करके आउट डोर ट्रीटमेंट के लिए पांच हजार रुपये की रिअम्बर्समेंट की राशि पहले थी 75 वर्ष की उम्र तक के लिए आठ हजार रुपये और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के एक्स एम.एल.ए. के लिये 12 हजार रुपये करने का फैसला जो किया था पहले, आज उसी का अमेंडमेंट लेकर आये हैं और इसमें एक यह विकल्प भी रखा है कि अगर कोई एक्स एम.एल.ए. यह कहे कि मैं इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता, मुझे तो सीधा ही पैसा दे दो, 200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वो बिना बिल दिखाये, बिना कुछ किये भी ले सकता है। (व्यवधान) हां, 2400 रुपये। उसके पास दोनों अल्टरनेट हैं, वो अगर बिल के माध्यम से पैसा लेना चाहता है तो उसको आठ हजार रुपये और बारह हजार रुपये मिलेंगे। कई बार कई एक्स एम.एल.ए. कहते हैं कि बार-बार बिल लेकर हमें ट्रेजरी में जाना पड़ता है, हम नहीं जाना चाहते तो 200 रुपये के हिसाब से वह राशि उसके पेन्शन के अन्दर जुड़ जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज एक्स एम.एल.ए. इण्डोर पेशेंट के रूप में किसी भी सरकारी चिकित्सालय में इलाज कराये, नि:शुल्क इलाज की सुविधा उनके पास पूर्ववर्ती की जिस तरह से है वो भी रहेगी और उन्हें नि:शुल्क कोटेज देने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मांग और थी उनकी कि बस के कूपन जो 100 थे उन बस के कूपन में वृद्धि की जाए। हम रूल्स में परिवर्तन करके उनको भी 200 करने जा रहे हैं और पूर्व विधायकों को रियायती दरों पर सर्किट हाउस में एक महीने में पांच दिन की सुविधा मिले, इसके लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं और डाक बंगले में रहने के लिए भी आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो बिल आया है इस बिल में आज तक जो परम्परा रही है, कभी इस पर बहस नहीं हुई परन्तु आज बहस हुई है, इसमें जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, इसके लिए तो उनको धन्यवाद और इसमें सुविधा बढ़ाने की बात है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजस्थान में क्या कर रहे हो? राजस्थान हाउस पर बोलो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गये।

अब करें, आप प्रस्ताव करें पारित करने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को समय नहीं है, एक मिनट में आप तो इतना बता दीजिए कि आप इसको उचित समझते हैं क्या कि रिटायर्ड आर.ए.एस. और आर.पी.एस. तो राजस्थान हाउस की सुविधा ले और रिटायर्ड एम.एल.ए. नहीं ले? इसको उचित समझते हैं क्या आप? हां में, ना में जवाब दे दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): रिटायर्ड होते ही नहीं हैं न एम.एल.ए.।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार-विमर्श कर लूंगा, फिर जो आवश्यक अगर इसमें कोई आदेश जारी करने पड़े तो निश्चित तौर पर करेंगे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इसको उचित समझते हो क्या? जो आदमी 35 साल सर्विस करे वो तो वहां ठहर सकता है और भूतपूर्व विधायक नहीं ठहर सकता, यह उचित समझते हो क्या आप?

विधेयक का पारण

राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया गया।

कालीचरणजी सर्राफ। नहीं, पहले तो आप, श्री रामनारायणजी मीणा।

परिनियत संकल्प

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस पर पूरी विस्तृत चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी, अभी केवल महामहिम ने दो सुझाव दिये हैं उनके अमेंडमेंट के लिए बिल आया है बाकी इसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हो गया इसलिए इसको पारित करना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ऐसा नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): इसमें पहले एकदम विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अपन घर पर ही बैठ कर दस्तखत कर लेते, यहां हाउस में क्यों आये?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अच्छा, भाई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): स्टेट्युटरी मोशन का है तो संवैधानिक है परिनियत संकल्प, इस पर तो यह पहले बोलेंगे। हां, पर बाकी तो इसमें चर्चा तो हो ही चुकी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): धन्यवाद, कभी तो बोले।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं इसलिए बोले वरना यह भी नहीं बोलते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुख्य मंत्रीजी तो, भाई, अगली टाइम तो सरकार का आयेगा उसके बाद आपका आ सकता है, उधर देखोगे तो नहीं आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आरोप तो नहीं लगा रहा, मैं वास्तविकता अर्ज कर रहा हूं इस सदन में आपके माध्यम से। सरकार की भावना क्या है? राजस्थान सरकार की भावना जो है वो इसमें परिलक्षित हो रही है। मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अस्थायी अध्यापकों का उनको एडजेस्ट किये जाने का जो इन्होंने अध्यादेश जारी किया है ।

मेरा इसमें स्पष्ट अर्ज करना है कि राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, गृह मंत्रीजी आप साफ सुनिये, मन को स्पष्ट करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र है आप देखिये इनका यह जो अध्यादेश है इसमें कहीं भी नहीं है कि जो रिक्तियां बैकवर्ड क्लास की, दलितों की और आदिवासियों की हैं उनके बारे में अध्यादेश में साफ कहना चाहिए था कि यह हमने जो नियुक्तियां दी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपने नियुक्तियां दीं अपने आदमियों को। आपने जो मंथली लगा रखे थे, जो फिक्स वेतन पर लगा रखे थे आपने उनका इसमें हवाला नहीं दिया। तो आपकी मंशा अध्यादेश जारी करने की साफ नहीं थी, स्पष्ट नहीं थी और जो नियम भारत सरकार ने जारी कर रखे हैं, जैसा कल हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल आया आरक्षण का, उसमें सरकार की मंशा थी कि यदि बिल में एस सी, एस टी को शामिल नहीं करेंगे तो सत्रह पर्सेण्ट तेरह पर्सेण्ट आयेंगे तो उसको घाल मेल करके, घूम फिर के मुझे बड़ी विडम्बना लगती है।

अध्यक्ष महोदय, उसी इच्छा के खिलाफ, भारत सरकार की इच्छा के खिलाफ, दलितों, आदिवासियों और बैकवर्ड की इच्छा के खिलाफ आप

(श्री रामनारायण मीणा)

अध्यादेश लाये हो। इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि अध्यादेश आपका प्राइमाफेसी उस भावना के अनुरूप नहीं है जैसा कानून है, जिस तरह का आपने आरक्षण दे रखा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक नहीं कहते हुए मुझे भावना व्यक्त करनी है। सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के बल बूते पर यह दलितों को, आदिवासियों को खतम करना चाहती है। बहुमत के बल बूते पर इन्होंने सी बी आई इनक्वायरी नहीं करवाई जो पिछले दिनों आंदोलन हुए हैं, कोई सरकार करा रही है, मैं फिर स्पष्ट आरोप लगाता हूं वही भावना यहां प्रदर्शित होती है।

इसलिए आप जो काम कर रहे हो, राजस्थान में आप प्रचार प्रसार कुछ भी करिये लेकिन आपका मन साफ नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है। केवल आप गरीबों को कमजोर करने के लिए जो अध्यादेश लाये हो यह अध्यादेश आपका सस्टेनेबल नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है। प्रजातंत्र में यह प्रवृति आपकी ठीक नहीं होने से अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जून, 2008 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-3) को अस्वीकार करता हूं कि इस अध्यादेश की भावना को देखते हुए इसकी कमी को देखते हुए कानून के विरुद्ध जिस तरह से लाया गया है, इसको सदन अस्वीकार करेगा। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्तियां बताते हुए यह कहा कि यह अध्यादेश निरस्त करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बिल पिछले सत्र में पारित हो गया था पर महामहिम ने दो तीन सुझाव दिये थे, इनको इसमें और शामिल किया जाय। इसलिए एडवोकेट जनरल की राय लेकर के जो दो सुझाव उन्होंने दिये थे, एक सुझाव तो उन्होंने दिया था कि जो कन्सर्निंग डीन है वह इसके मैम्बर होने चाहिए और एक चांसलर सहायक नोमिनी होना चाहिए, उन दोनों सुझावों को सरकार ने मान लिया और उसके बाद क्योंकि उस समय सदन नहीं चल रहा था और अस्थाई अध्यापक कोई बीस साल से लगा हुआ है, कोई पच्चीस साल से लगा हुआ है तो कहीं आचार संहिता लग जाए और फिर वह मामला अटक जाय इसलिए सरकार की नीयत उन सबको नियमित करने की थी इसलिए अध्यादेश लाया गया।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

दूसरा, आपने यह कहा कि इसमें बैकलाग का ध्यान नहीं रखा गया तो इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 237 पदों को भरने के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गयी है और आरक्षण के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बैकलाग पूरा किया जाएगा, एक भी बैकलाग का पद नहीं रखा जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा तो यह जो आपने नियमित किया उनमें नहीं है तो आपको ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इसमें आर्डिनैंस में नहीं आता यह, इसके लिए अलग से आदेश जारी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यादेश में नहीं आता, अलग से उसकी ...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी मंशा साफ जाहिर है उन पदों को आपने डिलीट कर दिया ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यादेश में नहीं आता, अलग से उसकी स्वीकृति जारी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यादेश में लिखना चाहिए था ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अलग से उसकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है। बैकलाग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सरकार की कहीं कोई किसी प्रकार की नीयत नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सारे अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। आपकी यह शंका बिलकुल निर्मूल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस परिनियत संकल्प को अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्षः जैसे हम आपका रखते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, यह मीठी बोली अखबारों में विधान सभा की प्रोसीडिंग छप जाय, हम ध्यान रखते हैं, यहां अस्सी हजार पद खाली हैं और रोजाना विधान सभा में और अखबारों में बोलती है सरकार। दलित के विरोध में काम करते हो और भाषा मीठी बोलते हो। माननीय सर्राफ साहब कृपा करके आप तो शुद्ध दिल दिमाग से आओ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सबको यह पता है कि दलितों के खिलाफ कौन बोलता है और पक्ष में कौन बोलता है। हम तो व्यवहारिक रूप से आदेश जारी करके बात करते हैं। आपकी जैसे हवाई पुल नहीं बांधते।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जून, 2008 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश संख्या-3) को अस्वीकार करने का जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

अब करें आप विचारार्थ के लिए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इस पर पूरा डिटेल में डिसकशन हो चुका है। तो इसको तो पारित कराओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं शोर्ट में कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी की इस बात से सहमत हूं कि पिछले सत्र में ..

श्री अध्यक्ष: सत्रह आदमी बोलने वाले हैं, सुनिये इस पर सत्रह बोलने वाले हैं जनमत पर तो जनमत पर जब सत्रह बोलने वाले हैं तो फिर मैं चाहूंगी कि पांच मिनट से अधिक समय कोई नहीं ले।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा नाम नहीं लें तो ठीक है और मन से बोलोगे तो मैं बोलूंगा, आसन से बोलोगे तो मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, कर देंगे। कितना बोलोगे इसमें, बात तो सारी हो ही गयी, पहले बोल ही लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगा। जब यह बिल पिछले सत्र में चर्चा में आया था तब माननीय घनश्यामजी तिवाड़ीजी का आग्रह मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक से संबंधित एक फैसले की लाइट को देखते हुए हमने खुद ने यह समझा था कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए और बहुत अल्प चर्चा में इसको पारित किया था लेकिन तब हमने जो आपको सुझाव दिया था कि सर्च कमेटी में डीन होना चाहिए, यह सुझाव आन रिकार्ड था मेरा, चांसलर नोमिनी होना चाहिए, यह सुझाव आन रिकार्ड था लेकिन ..

श्री अध्यक्ष: आपके सुझावों को मान लिया ना, गवर्नर साहब ने सुनवा दिया ना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो मानी नहीं और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यह राजस्थान की जनता पर, शैक्षिक संस्थाओं पर और चयन प्रक्रिया पर जो यह कृपा की है उनके सुझाव पर और उनके मार्गदर्शन से जो यह संशोधन इसमें आये हैं उसके लिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय के हृदय के अन्तःतल से आभारी हैं।

श्री अध्यक्षः बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी वक्त ...

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हमने मान लिया ना ।

श्री अध्यक्ष: आपके लिए तो मेन्डेटरी था, नहीं मानते तो करते क्या, लेकिन वह आभारी हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस वक्त मैंने राज्य सरकार से यह भी निवेदन किया था कि हमने अपने शिक्षकों को सालों साल प्रताड़ित किया। तमाम काबिलियत, तमाम योग्यता होने के बावजूद हर साल नई नियुक्ति का दंश उनको झेलना पड़ा और मानसिक रूप से उनकी क्षमता हर स्तर पर प्रभावित हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी जे पी हो, दोनों ही राजनीतिक दल उसके गुनहगार हैं लेकिन मंत्रीजी, हमने आपसे यह प्रार्थना की थी कि आप यही जो रेगुलराइज करने जा रहे हो उसके लिये तो हम आपके शुक्रगुजार हैं लेकिन जिसका अभी हमारे उप नेता महोदय मीणा साहब ने भी अपने संकल्प में जिक्र किया एक जो वातावरण सोसायटी में संशय का बन रहा है, सरकार को दृढ़तापूर्वक उसको साफ करना चाहिये। जब आप इतने शिक्षकों का जिनकी

(श्री संयम लोढ़ा)

नियुक्ति बिना रिजर्वेशन के मानदंड को लागू किये हुए हुई है, जिनका नियमतीकरण किया जाना है, चार महीने पहले आप रेगुलराइज करने के लिये बिल लाये थे। आज चार महीने बाद भी आप क्या सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताने की स्थिति में हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के जितने पद आप भरने जा रहे हो, आप कह रहे हैं कि 237 हम पद भर रहे हैं, इस रेगुलराइज होने के बाद शिड्यूल कास्ट और ट्राइब की कितनी क्रियेट होती है, नये पद जो आप दे रहे हैं उसके माध्यम से कितने नये पद उनके और कितने क्रियेट होते हैं? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप तमाम तथ्यों को सदन के अन्दर रखिये कि हम इतने तो पहले वालों को रेगुलराइज कर रहे हैं, इतनी यह हम नयी भर्ती करने जा रहे हैं। उससे यह जो संशय का वातावरण बना है वह समाप्त हो सकेगा। विश्वविद्यालय का अच्छे वातावरण में आगे काम हो सकेगा। मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि आप एस टी, एस सी का जो भी है...

एक निवेदन और कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हो कि हमने वैकेंसी निकाल दी। पैसा दिया क्या? राजस्थान विश्वविद्यालय को पैसा दिया क्या सरकार ने? पहले का ही पैसा बाकी है, वह आप दे नहीं रहे हो और खाली कागजों में लोगों को गुमराह करने के लिये बताना चाहते हो कि हम इतनी भर्ती कर रहे हैं। चार महीने पहले आपने निकाल दिये इसलिये आपके माध्यम से सिर्फ इतना आग्रह है कि आप साफ नीयत के साथ आइये और सदन में जब आप जवाब दें इस बात की आप स्पष्ट घोषणा करें कि इतना पैसा राजस्थान विश्वविद्यालय को दे रहे हैं और एस सी, एस टी के इतने टीचर्स हम लगाने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र जारोड़ा (अनुपस्थित) डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये पर मैं उनके ध्यान में ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि पहले इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है इसलिये आवश्यकता नहीं है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और विस्तृत रूप से ... (व्यवधान) मेरा दुर्भाग्य है कि विस्तृत चर्चा में मैं नहीं था ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब आप करो। हां, चलो अब कर दो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं उन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो जाकर कोर्ट में इश्यु बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जिन लोगों का एडहॉक लैक्चरर्स का आप परमानेंट कर रहे हैं उनको आगे जाकर तकलीफ नहीं आए जुडिशियरी के पाइंट आफ व्यू से। उस दृष्टि से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजंस परिलक्षित करते हैं कि उस बिल में आपका कंकोटेंट क्या है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके "Therefore it was proposed that the service of teachers who had been appointed under section 3(3) of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974, after…." मंत्रीजी, सुनना "….after due public advertisement of vacancies in Newspapers be absorbed." आप अध्यक्ष महोदय, इसको देख लें इस आब्जेक्ट में केवल लिखा है यह कि वह टीचर जिनका पब्लिक एडवरटाइजमेंट की वैकेंसी से न्यूज पेपर में निकला और सलेक्शन हुआ है उनको एब्जोर्ब करने के लिये यह आप बिल लाना चाहते हैं। यह एम्स एण्ड आब्जेटिव में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय और आपने जो सैक्शन बनाया, आपने यह डिफाइन किया टैम्प्रेरी टीचर्स, उनको भी पढ़ लें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, टैम्प्रेरी टीचर्स की जो डेफिनेशन दी है फोर्थ में आप पढ़ लीजिये। फोर्थ में लिख रखा है कि "temporary teacher" means a teacher appointed in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) in the pay scale prescribed by the University concerned on temporary basis as stop gap arrangement, after due public advertisement of vacancies…" This is part I. आगे क्या लिखा है आपने जो एम्स एण्ड आब्जेक्टिव में नहीं है। आगे लिखा है आपने "…or a teacher appointed on part time basis and continuing in the pay scale prescribed by the universities but shall not include a teacher appointed on contract basis or those in foreign service and serving the University concerned on deputation….." यह जो सेकिंड पार्ट है टैम्प्रेरी टीचर्स का जिसमें आपने स्टाप गेप थे उनमें पार्ट टाइम टीचर लगाये हैं उनके सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपके एम्स एण्ड आब्जेक्ट में कोई मेंशन नहीं है।

(डा. सी.पी. जोशी)

एम्स एण्ड आब्जेक्ट में आप केवल मात्र जो टीचर स्टॉप गेप अरेजमेंट में जितना एडवरटाइजमेंट जिनको आपने रिक्रूट किया है उन लोगों को एब्जोर्व करने के लिये आप यह बिल ला रहे हैं और टैम्प्रेरी टीचर्स के अन्दर आप कहना चाहते हैं इन टीचर्स के अलावा जो टीचर हैं उन टीचर को भी हम एब्जोर्व करेंगे। This is in contravention of the aims and objects of the Bill. This is one of my objections. मैं चाहूंगा आप बताएं कि यह एम्स एण्ड आब्जेक्टिव और इसके बीच में कंट्राडिक्शन क्यों है?

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान यहां भी आकर्षित करना चाहता हूं यह सैक्शन थ्री में लिखा "All temporary teachers continuing as such at the commencement of this Act shall be considered by the university concerned for their absorption and substantive appointment…" What do you mean by substantive appointment?" कि यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट क्रियेट कर रखी है, पोस्ट क्रियेट होने के बाद खाली है। उस खाली पोस्ट के अगेंस्ट में कोई आदमी लगा है अब वह आदमी एब्जोब होगा वह सब्सटेंसिव पोस्ट का आदमी कहलायेगा, पर आपके वहां स्थिति क्या बनी हुई है ? राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो टैम्प्रेरी टीचर्स की आपने जिस तरह की लोगों को इनक्लूड करने के लिये आप ला रहे हैं जो एम्स एण्ड आब्जेक्टिव में नहीं लिखा है आपने। मैं एक डिपार्टमैंट का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मान लो वोटिंग डिपार्टमैंट में आपकी सब्सेटेंशियल पोस्ट 6 हैं और वहां काम कर रहे हैं आज के दिन 16 टीचर, आप उन 16 टीचर्स को एब्जोब करेंगे या जो 6 सब्सटेंशियल पोस्ट हैं उनमें 6 टीचर्स को एब्जोर्व करेंगे तो बाकी जो टीचर हैं, 9 टीचर हैं, वह टीचर आउट होंगे या इन होंगे? इसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उधर तो टीचर्स को कहने के लिये कह दिया हम आपको एब्जोर्व कर रहे हैं। स्क्रीन कमेटी का राइडर बनाकर आप सब्सटेंशियल पोस्ट में केवल मात्र 6 आदमियों को निकाल सकेंगे, 9 आदमियों को बाहर निकालने की आपकी नीयत है। उन टीचर्स का आप भला नहीं कर पायेंगे मेरा सबसे बड़ा आपके सामने यह आब्जेक्शन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं इसके आगे भाग में देखें आप। आगे लिखा है आपने "…..substantive appointment on the recommendation of the Screening Committee constituted under Section 4, subject to their fulfilling the condition of eligibility, including minimum qualification, prescribed by the University concerned under the relevant law and subject to the availability of

(डा. सी.पी. जोशी)

substantive vacancies….” माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज इस पवित्र सदन में जनता के सामने यह बताएं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किस-किस डिपार्टमैंट में कितनी-कितनी सब्सटेंसिव वैकेंसी है? उन सब्सटेंशियल वैकेंसी के अलावा जो टीचर काम कर रहे हैं क्या उनको एब्जोर्व आप कर सकेंगे? आप एब्जोर्व नहीं कर सकेंगे। उनको आप यह झुन्झुना पकड़ा कर उन लोगों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी आपने बना दी। स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर आप उन लोगों को पिक एण्ड चूज करके बाहर निकालना चाहते हैं। यह इस एक्ट में आप अधिकार लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बताएं कि यह सब्सटेंसिव पोस्ट आपकी कितनी हैं? किस विभाग में कितनी हैं? उसके अगेंस्ट में कितने काम कर रहे हैं? कितने आदमियों को स्क्रीनिंग में आउट करने के लिये आप व्यवस्था करेंगे? इसमें आपका जो हिडन एजेण्डा है उसके सामने बोलने की स्थिति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बताएं कि यह जो क्वालिफिकेशन है वह क्वालिफिकेशन किस दिन की मानेंगे? आज की मानेंगे या क्वालिफिकेशन दी दैन समय की मानेंगे? जब आदमी रिक्रूट हुआ उस दिन क्वालिफिकेशन दूसरी थी। यू जी सी की पे स्केल आ गयी, क्वालिफिकेशन बदल गयी तो उस आदमी की जब स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन आप जिस दिन वह रिक्रूट हुआ उस दिन की मानेंगे, स्टोप गेप में काम कर रहा है उस दिन की मानेंगे या आज जो यू जी सी ने क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है उस क्वालिफिकेशन को मानेंगे? इस सम्बन्ध में भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी आपको चर्चा करके बताने की आवश्यकता है इसको आप कैसे ठीक ढंग से पूरा कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता कि गवर्नर साहब ने क्यों आपको यह कहा, यह आपने क्यों इनक्लूड किया? पर यूनिवर्सिटी के अपाइंटमेंट, एब्जोर्व करने में आपने जो यह कमेटी बनायी है मुझे बताएं कि आपका उद्देश्य स्क्रीनिंग कमेटी करने का है, स्क्रीनिंग कमेटी करने का है तो आपका उद्देश्य सब्सटेंसिव पोस्ट करने का ही है तो मुझे यह बताएं कि यदि एक डिपार्टमैंट में 16 आदमी हैं, 6 सब्सटेंसिव पोस्ट हैं, आप स्क्रीनिंग करके 16 आदमी को रिकमंड कर देंगे तो वहां पर एस टी, एस सी के बैकलॉग के सम्बन्ध में आप क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय,

(डा. सी.पी. जोशी)

एस सी, एस टी का जो बैकलॉग, जितनी यूनिवर्सिटी की पोस्ट आज एग्जिस्ट कर रही हैं, सब्सटेंसिव जितनी आप कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं फिर करेक्ट होना चाहता हूं यह 237 वैकेंसी जो आप कर रहे हैं यह 237 वैकेंसी यह नहीं है या नयी क्रियेट कर रहे हैं? यदि आप इन लोगों को परमानेंट एब्जोर्व कर रहे हैं तो कॅसपोंडिंग रोस्टर सिस्टम के अन्तर्गत जितनी एस सी, एस टी की पोस्ट करेंगे वह पोस्ट उसकी एडिशनल होगी इस सम्बन्ध में भी आप साइलेंट हैं। 237 पोस्ट की सैंक्शन दे दी, 237 पोस्ट की सैंक्शन दे दी। 237 पोस्ट वह कौनसी हैं यह बताने की कृपा करें कि 237 का आपने रोस्टर प्रणाली के अन्दर आइडेंटिफिकेशन करके डिफरेंसेशन कर दिया है कि किस विभाग में किसकी व्यवस्था होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तरह का रिजर्वेशन है। एक रिजर्वेशन होरिजेंटल है, एक रिजर्वेशन वर्टिकल है। आज एक डिपार्टमैंट में एक प्रोफेसर है, एक ही पोस्ट है प्रोफेसर की। डिपार्टमैंट को यूनिट मान रहे हैं कि पूरे प्रोफेसर्स को आप करेंगे, पूरे रीडर्स को करेंगे, पूरे लैक्चरर्स में करेंगे या एक डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर करेंगे? यह भी आपके अभी इसमें स्थिति क्लियर नहीं है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आप लाना चाहते हैं आपकी नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी करने के साथ में जो हिडन एजेंडा है माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): कोई हिडन एजेंडा नहीं है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हिडन एजेंडा है, शिक्षा मंत्रीजी भी सिंडिकेट के मेम्बर रहे हैं, सिंडिकेट के मेम्बर के रूप में विश्वविद्यालय के उप कुलपति और आपके कितने मधुर संबंध हैं, इसकी जानकारी है और हिडन एजेंडा में स्क्रीनिंग कमेटी में कौन-कौन आदमियों को लिया है इसकी जानकारी भी है। हिडन एजेंडा आपका है, हिडन एजेंडा को छिपाने की कोशिश नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, हिडन एजेंडा यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। एक ऐसा इतिहास बनाना चाहते हैं, अपने-परायों को आइडेंटिटीफाई करके कुछ लोगों को सब्सटेंशियल पोस्ट पर सलेक्शन करना चाहते हैं और कुछ लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं इसलिए सब्सटेंशियल पोस्ट का इसमें जिक्र किया है, टोटल पोस्ट का जिक्र नहीं किया।

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि यह ब्लैंकेट जो आप बिल पास कराकर अधिकार ले रहे हैं, उस ब्लैंकेट अधिकार लेने के पीछे आप सदन में घोषणा करें कि यदि आपकी मंशा सब्सटेंशियल पोस्ट के बिना जितने लोग काम कर रहे हैं उनको एब्जोर्ब करना चाहते हैं, उसमें कंडीशन डाल लो एलिजिबिलिटी की, मेरा किसी से मोह नहीं है, एलिजिबल जो आदमी है यदि वह है तो आप मुझे बतायें कि आप उस सब्सटेंशियल पोस्ट को आधार मानेंगे या आपके 1974 के एक्ट के अन्तर्गत जो एडवरटाइजमेंट निकालने के बाद आदमी ने काम किया, उनको लगायेंगे या दो तरह के टीचर्स थे जिसमें से एक तरह के टीचर्स को आपने पहली बार अलाऊ कर दिया, दूसरी बार टीचर्स का प्रेसर बना, एडवोकेट जनरल की राय ली, उनको भी आपने इनक्लुड कर लिया। इसलिए टेम्प्रेरी टीचर्स की डेफिनेशन के दो पार्ट कर दिया, एक पार्ट वो 1974 से गाइड होता है, दूसरा पार्ट वह है जो टेम्प्रेरी काम करते हैं ... (व्यवधान) जिसमें कोई एडवरटाइजमेंट नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई सलेक्शन नहीं हुआ, वह काम कर रहे हैं, यह तो ज्वाइन कर दिया, अब आप उसके एम्स एंड आब्जेक्टिव की बता दीजिये, उसमें तो आप कह रहे हैं कि हम केवल मात्र जो लोग एडवरटाइजमेंट से आये हैं उन्हीं को लेने के लिए बिल ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसा खोटा बिल, ऐसा बिल जिसमें हेस्ट के आधार पर, मुझे तो कभी-कभी तकलीफ होती है कहते हुए, इस सरकार का इतिहास है पिछले साढ़े चार साल का, पहले कभी विधान सभा का इतिहास नहीं रहा, जितना सरकार के इस बिल के पास होने के बाद कभी गवर्नर ने आब्जेक्शन किया, कभी राष्ट्रपतिजी ने आब्जेक्शन किया। कभी कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, मैं समझता हूं कि इतनी बुरी दशा राजस्थान विधान सभा की पिछले इतिहास में नहीं रही है। इसलिए मैं फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय के नोमिनी से या डीन के एक नोमिनेशन से जिस तरह की स्थिति बनी है उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम करने वाले टीचर्स जिनको भुलावे में रखकर आप यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उनको एब्जोर्ब करेंगे, आप एब्जोर्ब नहीं कर पायेंगे, नम्बर एक।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो, आप एस.सी., एस.टी. के बैकलाग के आधार पर यदि आपने पोस्टें क्रिएट की हैं तो आप बतायें सदन के सामने कि

(डा. सी.पी. जोशी)

आपने कितनी पोस्टें क्रिएट की हैं। उन पोस्टों के लिए कितने फाइनेंस की व्यवस्था की है। आपने तो जो पुरानी सैंक्शन पोस्टें क्रिएट की हैं उनके लिए परमीशन दी है। आपने जो नया एस.सी., एस.टी. का बैकलाग बनता है उसके लिए एक पैसा नहीं दिया। मेरा विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन है कि आप बतायें राजस्थान की जनता को यदि इन टीचर्स को आप एब्जोर्ब कर रहे हैं तो, यदि आपका कमिटमेंट एस.सी., एस.टी. के साथ में है तो, एडवरटाइजमेंट निकालें। एस.सी., एस.टी. की पोस्टों के साथ में इतनी पोस्टें सब्सटेंशियल हैं। इतनी पोस्टें एस.सी., एस.टी. की हैं तो एस.सी., एस.टी. का आदमी भी उसमें जाकर ज्वाइन करके इंटरव्यू देकर के कह सकेगा कि मेरा भी उसके साथ में हुआ, नहीं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो तरह का काम हो जायेगा, एक तरह का काम हो जायेगा कि 2008 तक कालीचरणजी सर्राफ, शिक्षा मंत्रीजी के कार्यकाल में जिन लोगों को एब्जोर्ब करने का मौका मिला, जिनको सड़क पर आने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी यदि एस.सी., एस.टी. का रोस्टर नहीं हुआ तो अगले बीस साल तक दूसरे आदमी उसमें भर्ती नहीं हो सकेंगे। यह मेरा गम्भीर आरोप है आप पर कि आप जिस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, उस व्यवस्था में हेस्ट के बल पर चीज का ध्यान नहीं रखा। हमने भी इस बात पर चर्चा की थी, हम भी शिक्षा मंत्री थे। हम भी इस मामले में सीरियस थे। हमने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश करने के बाद सबसे बड़ी प्राब्लम यह आयी थी कि सब्सटेंशियल पोस्ट पर करने के बीच में इतना गैप है, उस गैप को कैसे पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको साधुवाद दूंगा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इस सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, यह सरकार भ्रम में रखने के बनिस्पत ईमानदारी से केवल टीचर्स का भला करना चाहती है तो जितने टीचर्स काम कर रहे हैं उनको एब्जोर्ब करने की बात करें। इस बिल के बाद जितना एस.सी., एस.टी. का बैकलाग बनता है, जितनी पोस्टें क्रिएट होती है, उनका एडवरटाइजमेंट निकलेगा, जिसमें एस.सी., एस.टी. का भरोसा रहे कि उन लोगों के लिए भी आप व्यवस्था कर रहे हैं। आज दिन तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरी जानकारी है आप मुझे करेक्ट कर दें, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप भी खुद स्टूडेंट लीडर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1974 से लेकर के 2008 तक एस.सी., एस.टी. का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, कोई एडवरटाइजमेंट नहीं निकला है। 1974 का एक्ट भी है, फिर आप कोर्ट की सेल्टर ले रहे हैं, मुझे

(डा. सी.पी. जोशी)

बतायें इसमें लिखा हुआ है एम्स एंड आब्जेक्टिव "Hon'ble courts have given the directions not to remove the temporary teachers from the services till regular selections were made." "Till regular selections were made." उसके लिए रेस्पोंसिबल कौन है। हमने कोर्ट का तो रेफरेंस दे दिया लेकिन यह नहीं आइडेंटिटीफाई नहीं की इंटरव्यू क्यों नहीं हो पा रहे हैं। यह आपकी स्थिति नहीं है, सारे हिन्दुस्तान के अंदर सभी यूनिवर्सिटी की स्थिति बनी हुई है कि हम परमानेंट इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। यदि परमानेंट इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं फेल्योर हमारी भी है। उसको हमें मानना पड़ेगा। हमें यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि रेगुलर अपाइंटमेंट किस तरह से होते रहें। यदि यह गेप बढ़ता रहा और इस गेप को हमने कम नहीं किया तो राजस्थान में ऐसी स्थिति बन जायेगी कि सरकारी यूनिवर्सिटी तो अलग तरह की बन जायेंगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, सैकड़ों नये-नये आदमी आ गये। जमीनें आप दे रहे हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। वह लोग तो पैसे कमाकर के बाहर चले जायेंगे और वह लड़का सड़क पर घूमेगा। जिनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जहां एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनवेस्टमेंट हमने खड़ा कर दिया वहां यदि टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि हम विश्वविद्यालय के स्तर को नहीं बढ़ा पायेंगे इसलिए मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इनिसिएट लेकर के यह काम किया पर मैं यह बात फिर कहना चाहूंगा कि यह लॉ के अन्दर स्क्रूटनी होंगी और उसके अन्दर यह एम्स एंड आब्जेक्टिव को पढ़ेगा वकील और कोर्ट में जजमेंट वाला देखेगा कि आपने एम्स और आब्जेक्टिव तो यह लिखा है और कर आप यह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा होस्ट में बिल लाकर के आप उन्हें एक और दो तरह के टीचर्स को मिक्स करके यह लाना चाहते हैं। आपके एम्स एंड आब्जेक्ट को बदला तो यह कहीं न कहीं कमी है, उसके संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जो मैंने बिन्दु उठाये हैं, उन पर सरकार ध्यान देगी और कोशिश करेगी कि जो टीचर्स एलिजिबिल हैं जो टेम्प्रेरी रूप से काम कर रहे हैं, उनको राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर यदि वह एलिजिबिल हैं तो एब्जोर्ब करें और उससे सब्सटेंशियल पोस्ट आपको और बढ़ानी है, वह तो इन टीचर्स के लिए होगी लेकिन उसके कॅरसपोंडिंग जितनी एस.सी., एस.टी. की पोस्टें बनती हैं, जितनी रोस्टर की पोस्टें बनती हैं, उसके

(डा. सी.पी. जोशी)

संबंध में भी राजस्थान की जनता को जानकारी मिलनी चाहिए। तब जाकर इसका उद्देश्य पूरा होगा अन्यथा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप जितना काम कर रहे हैं उसमें एक और फैडर आपके सर पर लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने में, अभी तक तो आप जनता को मूर्ख बना रहे थे, लेकिन पढ़े-लिखे यूनिवर्सिटी के आदमी को मूर्ख बनाने की भी आपकी क्षमता है, यह भी जनता के बीच में सामने आ जायेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा भ्रम गलत निकले और आप अपने उद्देश्य में सफल हों, धन्यवाद।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी आप अपने जवाब में स्पष्ट करें कि एस.सी., एस.टी. का बैकलॉग आप कब तक पूरा करेंगे। काफी आशा है हमें आपसे कि आप अपने जवाब में यह जरूर बता दें कि एस.सी., एस.टी. का बैकलाग आप कब तक पूरा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिशंकर शर्मा (अनुपस्थित)। श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित)। मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित)। श्री प्रहलाद गुंजल (अनुपस्थित)। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित)। डा. चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित)। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय अस्थायी अध्यापकों का आमेलन विधेयक, 2008 पर परिचर्चा हो रही है। इस पर मैं भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा की जितनी महत्ता है, आगे बढ़ने के लिए उतनी ही नितांत आवश्यक है।

(13.15 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से निरन्तर शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और उच्च शिक्षा में जिस तरह से कमीबेशी आ रही है उससे सभी यूनिवर्सिटी में, सभी विश्वविद्यालयों में कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो या बालकों के उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास के रूप में हो।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई यूनिवर्सिटी की हालत बहुत गम्भीर है। यूनिवर्सिटी का स्तर ठीक नहीं है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बिल में अस्थायी शिक्षकों को परमानेंट करने की मंशा है, पर यदि देखा जाये तो अस्थायी को किस तरह से परमानेंट शिक्षक के रूप में करने का काम करें पर उसके साथ-साथ वहां के शैक्षणिक वातावरण को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। यदि शैक्षणिक वातावरण ठीक नहीं है तो मैं नहीं मानता कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अस्थायी अध्यापकों के आमेलन के रूप में जो बिल लाया जा रहा है उसका औचित्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह की हालत हो रही है वहां पर पेपर आउट हो रहे हैं, उसके साथ में जिस तरह से विद्यार्थियों की मंशा पर कुठाराघात हो रहा है। वह एक बहुत बड़ा असमंजस का विषय है। इसी तरह से परीक्षाओं में जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर अलग से चर्चा करेंगे, आज नहीं।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): और इसका कारण है अस्थायी शिक्षकों की वहां जो कमी है और रिजल्ट जिस तरह से देरी से आ रहे हैं, इसका बुरा असर भी उन विद्यार्थियों पर पड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छात्र संघ चुनावों की सरकार ने पहले भी घोषणा की है और आज जिस तरह की हालत बन रही है, आज विद्यार्थी टंकियों पर चढ़े हुए हैं, उनकी तकलीफों को देखकर हमें लगता है कि हम किस तरह से शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यूनिवर्सिटी में एस सी और एसटी का बैकलॉग है, उसमें 237 पोस्टों की वैकेंसीज को भरने का काम किस तरह से आप कर रहे हैं? उस रिक्रूटमेंट में एस सी और एस टी के लोगों के लिए क्या प्राथमिकता होगी और क्या नहीं, क्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह विषय बहुत असमंजस और भ्रांति लिए हुए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से हेस्ट में बिल लाकर गुमराह कर रहे हैं। माननीय

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उपाध्यक्ष महोदय, एक औजार के रूप में यह बिल लाया जा रहा है और मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा वापस इस बिल को भेजा गया है वह कई तरह से भ्रांतियां लिए हुए है। इसलिए इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए तो अति उत्तम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम।

सूचना

छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का आन्दोलन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन। राजस्थान के अनेक जिलों के अन्दर छात्र संघ के चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थी पानी की टंकी और टॉवरों पर चढ़ गए हैं और उनका जीवन संकट में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि तमाम छात्र संगठनों के साथ बैठकर इस बात का समाधान करेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे छात्र समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर मिले और छात्र संघों के माध्यम से हम नए समाज और विश्वविद्यालयों को नेतृत्व दे सकें। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कभी निर्णय नहीं किया और आज लगातार संघर्ष करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता इस सरकार से जूझ रहे हैं, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रशासन से जूझ रहे हैं और अब आपने टी वी पर देखा होगा टॉवर पर लड़के चढ़े हुए हैं, पानी की टंकी पर लड़के चढ़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अभी छात्र संघ के चुनाव कार्यक्रम के बारे में घोषणा करें जिससे उन सारे विद्यार्थियों का जीवन बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अमराराम धोद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आपने इन्फोर्मेशन दे दी। श्री अमराराम धोद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान में लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है यह।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है और विद्यार्थियों की लाइफ खतरे में है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंट रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन रेज कर दिया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार जवाब दे, इस बात का कि चुनाव कब कराएगी। पूरे राजस्थान में एन एस यू आई के छात्र टॉवरों पर चढ़े हुए हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हर बार लगातार गुमराह कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं? नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और आप छात्र संघ के चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति जो खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है, उच्च शिक्षा का मंत्री है और वह विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंट रहा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अजमेर में स्थिति बहुत खराब है, विद्यार्थी रिलायंस के टॉवरों पर चढ़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। मैं इस पर बहस अलाऊ नहीं करूंगा। पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन आ गया। माननीय मंत्रीजी जवाब देना पसंद करेंगे तो दे देंगे। श्री अमराराम धोद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जवाब तो देना पड़ेगा। (व्यवधान) जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर बुलाकीदास कल्ला।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में एन एस यू आई के लड़के रिलायंस टॉवरों पर चढ़े हुए हैं, यह स्थिति है। आप इस बात की घोषणा करिए कि आप चुनाव कब कराएंगे छात्र संघों के माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लाखों विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय मंत्रीजी, आप छात्र राजनीति से मंत्री बने हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने इसको रख दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अपने आप सरकार देखेगी। आपने इन्फोर्मेशन दे दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन पर डिस्कस नहीं होने दूंगा। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप हाउस को तो ऑर्डर में लेकर के आएं, मैं कैसे बोलूं? (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपका कोई अंकित नहीं होगा, बैठ जाइए। माननीय सदस्य, आप बैठिए।(व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी आप कहो, आपका कुछ अंकित नहीं होगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): × × ×

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): × × ×

श्री हीरालाल (निवाई): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: मैं किसी भी तरह से अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): × × ×

श्री हीरालाल (निवाई): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार जवाब देना नहीं चाहती तो मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री हीरालाल (निवाई): × × ×

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री हीरालाल (निवाई): × × ×

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × × ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इमीजिएटली इस पर जवाब देना सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। पर उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आज का आज ही जवाब दें। यह इतना आसान मुद्दा नहीं है कि इस पर इमीजिएटली फैसला ले सकें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आपने पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन से मामला उठा दिया। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): × × ×

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): × × ×

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। आपको किसने अलाऊ किया है? कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए। माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको किसने परमिशन दी है? बैठ जाओ। माननीय सदस्य, बैठिए। डा. बुलाकीदास कल्ला। मैंने बुलाकीदास कल्ला का नाम पुकार

(श्री उपाध्यक्ष)

लिया है। बैठिए माननीय सदस्य। बैठिए आप। स्थान ग्रहण कीजिए otherwise I will name you and you will be thrown out of the House. आसन की बिना परमिशन के क्यों बोल रहे हैं आप? बैठ जाइए माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अभी इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य डा. बुलाकीदास कल्ला। आप बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अगर हाउस नहीं चलने देना चाहते ..(व्यवधान) यह गलत बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ..(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए आप। डा. बुलाकीदास कल्ला। माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को मजबूर थोड़े ही कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। डा. बुलाकीदास कल्ला। श्री हेमराज मीणा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: ये बहस नहीं होने देना चाहते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: संयम लोढ़ा बोलें बिल के ऊपर। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप। (व्यवधान) बिल के बारे में बोलें। (व्यवधान) विश्वविद्यालय के बारे में माननीय मंत्री महोदय ..(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री। (व्यवधान) प्रभारी मंत्री जवाब देंगे ... (व्यवधान) प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां दो-तीन माननीय सदस्यों ने, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, गरासिया जी ने और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल के बारे में ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आपके सभी सदस्यों को मैंने कह दिया, बोलने नहीं देना चाहते हैं आपको वह ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आप जानबूझ कर के कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

धरना

श्री उपाध्यक्ष: आप बहस नहीं करना चाहते हैं न चलने देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब यह सुनने को तैयार ही नहीं तो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के जरिए दे दी इत्तिला ...(व्यवधान) अगर हाउस नहीं चलने देते हैं तो अच्छी बात नहीं है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है ...(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए यह जो इन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, उनकी सब आशंकाएं निर्मूल हैं इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा जनमत जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिल के ऊपर कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते थे ...(व्यवधान) किस बात की हां, ना, एकदम से कैसे कह दें ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब बोल दिया, आगे चलो उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 9, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 9 स्वीकार किये गये ...(व्यवधान)...

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये। ...(व्यवधान)...

(समय : 13.44 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: बात क्या हुई ? आप क्यों विराज रहे हैं यहां पर ? फरमाएं तो सही ? (व्यवधान) बोलते ही नहीं हैं, जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए आप। शोर क्यों मचा रहे हैं आप ? बात बताइए न क्या बात है ? (व्यवधान) वहां जाकर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाकर बोल दो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग रखी कि कुछ विद्यार्थी पानी की टंकियों पर चढ़ गये हैं और वे छात्र संघ के चुनाव की मांग कर रहे हैं। पिछली बार सदन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि हम चुनाव कराएंगे। जोधपुर विश्वविद्यालय में चुनाव हो गये, बाकी सब जगह चुनाव हुए नहीं, इसके बारे में हमने यह पूछा कि आप हां, ना में जवाब दे दो कि आप लोकतंत्र की बहाली विश्वविद्यालयों में और राजकीय महाविद्यालयों में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। छात्र संघों के चुनाव कराने की आपकी मंशा है या नहीं, न तो उनका कोई जवाब दें, न इसके बारे में कोई कथन करें, इसी बीच में हाउस आर्डर में रहा नहीं और जवाब नहीं दिया, और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी तो यह माननीय सदस्य वैल में आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महा विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराएंगे या नहीं ? हमारे एनएसयूआई और तमाम पोलिटिकल पार्टियों से संबंधित जितने भी विद्यार्थी संगठन हैं, वह सारे के सारे चुनाव चाहते हैं और उसके बावजूद माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी बिलकुल मौन बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बताया कि हम चुनाव नहीं कराएंगे या कराएंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. सी पी जोशी, वैल से नहीं बोलें। (व्यवधान) वैल से नहीं बोलें ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक तरफ भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी ने देश के 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया है लोक सभा और विधान सभाओं में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह पाइंट आफ इंफोर्मेशन के माध्यम से आये थे। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोल लेने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केवल पाइंट आफ इंफोर्मेशन के माध्यम से आकर के और इस प्रकार से यह कर देना और जवाब चाहिए ...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ...(व्यवधान) बोल लेने दीजिए, क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ तो लूं, सुन तो लूं, क्या कहना चाहते हैं ? देखिए, आज आज आखिरी दिन है, इस बारहवीं विधान सभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन है। मैं नहीं चाहती कि आपस में इसी प्रकार से कटुता के साथ हम लोग यहां से नहीं जाएं, मैं नहीं चाहती ...(व्यवधान) वह ठीक है, ठीक है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इससे अलावा एक और बात है। वह टंकी पर चढ़ गये, वह ठीक है लेकिन संयम लोढ़ा साहब ने टंकी का आरोप सांवरलालजी जाट पर लगा दिया कि आपने टंकियां इतनी बना दीं कि लोग उन पर चढ़ गये, अब उसका क्या करें ...(व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नहीं, यह तो मजाक की बात हो गई ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, यह आरोप नहीं लगाया, यह तो इनकी घनश्यामजी को गपबाजी की आदत है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, आप परम्पराओं को तोड़ कर के गलत परम्पराएं डाल रहे हैं डा. सी. पी. जोशी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह वैल में बोल रहे हैं ...(व्यवधान) कुए में कोई नहीं बोलता ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल्ला साहब इस बिल पर बोल रहे थे ...(व्यवधान)... लेकिन कल्ला साहब की और इनकी आपस की बातें थी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अब यह फालतू की बातें मत करो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने अपने चेले को इस प्रकार हूट करने के लिए तैयार कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है ...(व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, आप तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह कहलवा दें कि वह छात्र संघ के चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, उनकी क्या नीति है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब इतना भक्षण करने के बाद भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए मंत्रीजी जवाब कब देंगे। डा. सी. पी. जोशी, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती। मैं निवेदन कर रही हूं कि वह जवाब देने के लिए मैं उनसे जब कहूं न, जब आप अपने-अपने स्थानों पर पधारें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) आप माननीय मंत्रीजी, आप कहने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं, यदि नहीं हैं तो वैसे कह दीजिए कि भाई, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने कभी मना नहीं किया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें क्या बात है ? कहने की स्थिति में हैं तो आप यह कह दीजिए कि मैं हां, करा दूंगा, नहीं कराएंगे, जो कोई भी बात हो, कहने की स्थिति में नहीं हो तो कह दीजिए कि मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्या बात है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एबीवीपी चुनाव की मांग कर रही है, आप मना कर दें कि चुनाव नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिए, ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सुनते ही नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हो, एक समय में एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने चुनावों के बारे में बात कहने के लिए मना नहीं किया, मैंने केवल इतना कहा कि बिल पर चर्चा चल रही है, पहले यह बिल पारित हो जाए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो बात ठीक कही।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह बीच में खड़े होकर कोई भी बात कह देंगे और उसका पहले जवाब दो, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) बिल पर चर्चा चल रही है, बिल पहले पारित करिए, उसके बाद में हम इस बारे में बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, उसके बाद उठाओ कोई बात है तो, इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) क्या दिक्कत है इसमें ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पाइंट आफ इंफोर्मेशन में कोई भी बात उठा देंगे उसका पहले जवाब देंगे, बिल पर चर्चा नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष: अध्यापकों के आमेलन की बात है और बीच में ही कहां चुनाव आ गये? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): देखिए, स्पीकर महोदय, इसके बाद कहलवा दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहलवा देंगे, आगे बढ़ो अब आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अस्थायी ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खण्डश: विचार हो गया इस पर तो ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डश: विचार चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए, मेरी बात, आप भी विराजिए ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यहां खण्डश: विचार चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिए मेरी बात ...(व्यवधान) देखिए, जो कुछ भी हुआ, सही गलत, ये यहां तक पहुंच गये कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं। यह यहां तक पहुंच गये, अब सवाल यह है कि बस केवल पारित का जब हो तब जिसे बोलना हो, आप बोल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ...(व्यवधान)

इसलिए अब कालीचरणजी, आप प्रस्ताव करो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें वो बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): .....जिन प्रश्नों पर हम उत्तर चाहते थे वो ही प्रश्न हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हल्ले में कैसे देता उत्तर? आप यहां हाय-हाय कर रहे थे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई तकलीफ नहीं, आप रहने दो। (व्यवधान) मर्जी आये जब दो। आप शांति में दो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक-एक बात का जवाब दूंगा पर हल्ले में जवाब नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, आप बिल्कुल दो, अभी तो थर्ड स्टेज है। अभी भी हमारा अधिकार है उन बात को रिपीट करने का।

श्री अध्यक्ष: हां, आपका अधिकार है बोलने का। आपका अधिकार है लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिये कि आज मुख्य मंत्रीजी को साढ़े तीन बजे सदन छोड़ देना पड़ेगा, मुख्य मंत्रियों की कोई एक मीटिंग है। और मुझे भी कल चूंकि स्पीकर्स कान्फ्रेंस है तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी चार बजे तक सदन को छोड़ दूं। उससे पहले मैं यह भी चाहूंगी कि इन पौने पांच साल में जो कुछ भी हुआ है, जब आपको मैंने सुना है तो पांच मिनट मुझे भी आप सुनें। मैं यह भी चाहूंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो फिर यह फैसला कर देते कि आधा दिन ही चलेगा हाउस। पहले ही आधा दिन मान लेते, हमें क्या तकलीफ है। पहले ही कह देते। आज तो आपने कहा कि दिनभर चलेगा तो तैयारी करके आये हैं। शाम को घरवाले पहचानेंगे नहीं कि आ कैसे गये। तो पूरा दिन का काम करके जायेंगे, ऐसे तो नहीं चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: तो फिर ऐसा करें कि बीच में वो उन्हें भी जो कुछ कहना

(श्री अध्यक्ष)

है वह कह दें, मुझे जो कुछ कहना है कह दूं और उसके बाद आप चलाते रहना हाउस। कोई दिक्कत नहीं है, चला लेना। सी.पी. जोशी भी बोल लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। बोलना चाहेंगे तो बोल लेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जितनी एनर्जी लेकर के आये हैं वो तो निकालनी पड़ेगी न।

श्री अध्यक्ष: हां, क्यों नहीं बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं तो उनकी तरफ से आप बोल लेंगे चाहे कल्ला साहब बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, क्यों नहीं बोलेंगे, जो भी चाहेंगे कोई भी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, पांच साल से आप कहती आ रही हैं तो अब आखिरी वक्त में क्या कहेंगी?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप तो एनर्जी निकाल लोगे पर कइयों के मन में पड़ी है वो कब निकालेंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, अब आखिरी वक्त पर और क्या बाकी रह गया है?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इस सदन का समय ज्यादातर हुल्लड़ में चला गया। कइयों के मन में ही पड़ी है, आपने तो एनर्जी निकाल ली।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह आपकी पीड़ा को दूर करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 के बारे में पारण के वक्त में अपने विचार रख रहा हूं। मेरे से पूर्व इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव पर अपने सुझाव दिये उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने नहीं दिया।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, मैं तो देने के लिए तैयार था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा लगता है कि आपकी विपक्ष की बोलने की जैसे आदत है वैसी ही है। अब थोड़ा समय, चार महीने का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

समय बाकी है फिर आप इधर आ जाना भले ही और बोलते रहें। (व्यवधान) बोलने की और सुनने की क्षमता रखो।

श्री अध्यक्ष: शांतिपूर्वक सुनो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह बिल इसलिए आया कि जिस समय पुरानी विधान सभा में, बजट सेशन में जब यह बिल पारित हो रहा था तो मैंने स्वयं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि इस छानबीन समिति में चांसलर के नॉमिनी को आप रख लें। मेरा यह अमेंडमेंट था।

(समय : 13.53 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन उसमें तीन प्रकार के हठ होते हैं उपाध्यक्ष महोदय। एक तो होता है राज हठ, एक बाल हठ और एक त्रिया हठ। तो यहां पर दो-दो हठ काम कर रहे थे राज हठ और त्रिया हठ। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी......

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखो माननीय कल्ला साहब, आप इनको राज हठ कह दो, बाल हठ कह दो पर इनको त्रिया हठ कहो, यह ठीक नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके लिए नहीं, आपकी पूरी सरकार के लिए कह रहा हूं। सरकार की हैड कौन है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): लिंग परिवर्तन करने का अधिकार आपको नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने नहीं किया है। मुख्य मंत्रीजी हैं वो त्रिया हैं न इसलिए राज हठ और त्रिया हठ दोनों साथ हो गये और उसके कारण से इन्होंने राज के मद में जान-बूझकर के हमारे अमेंडमेंट को अस्वीकार कर दिया। आज आपने आब्जैक्ट्स..... (व्यवधान) जो आपने स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजूंस दिये हैं उनमें पुराने आब्जैक्ट्स हैं, रीजन्स का नहीं है इसमें केवल मात्र गवर्नर साहब ने आपके बिल को मैरिट के आधार पर रिजैक्ट कर दिया। उसके कारण से यह बिल आया है। उन्होंने साफ-साफ आपको निर्देश दिये कि इसमें डीन स्क्रीनिंग कमेटी में होना चाहिए और चांसलर का नॉमिनी होना चाहिए। विधान सभा के द्वारा जितने भी बिल अब तक पास

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हर विश्वविद्यालय की सलेक्शन कमेटी में चांसलर्स नॉमिनी, गवर्नमेंट का नॉमिनी, यूजीसी नॉमिनी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीएआर का नॉमिनी आवश्यक रूप से होता है। लेकिन इनको यह सब बातें हमने विस्तार से बताईं लेकिन चूंकि विपक्ष के लोग बता रहे हैं, उनके रचनात्मक सुझावों को भी आपने जान-बूझकर के नहीं माना। मैंने यह बात कही थी कि इस बिल पर महामहिम राज्यपाल महोदय दस्तखत नहीं करेंगे, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें। उसके बाद एक बात और कही थी कि यदि महामहिम राज्यपाल महोदय से आपने किसी कारण से दस्तखत करवा लिये तो कोर्ट इसको रिजैक्ट कर देगा और कोर्ट इसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास करेगा। ये गवर्नर साहब के जो कमेंट्स हैं, एक प्रकार के स्ट्रक्चर हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट को आइंदा इस बात से नसीहत लेनी चाहिए कि जो भी माननीय सदस्य यहां पर सुझाव देते हैं उनमें कम से कम जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर महामहिम राज्यपाल महोदय होता है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हैड होता है, यूनिवर्सिटियों का हैड होता है उसके नॉमिनी को बाइपास करके आप क्या संदेश देना चाहते थे राजस्थान की जनता को? मैं समझता हूं कि इसके लिए आप अपना प्रत्युत्तर दें तो महामहिम राज्यपाल महोदय से और राजस्थान की जनता से आप माफी मांगें कि आपने जान-बूझकर के चांसलर्स नॉमिनी को यहां पर छानबीन समिति में नहीं लेकर बहुत गलत काम किया। अब रहा सवाल कि आप यह जो एक्ट लेकर के आये हैं उस एक्ट में धारा 7 बनाई है - "Termination of the services of temporary teachers not substantively appointed.- The services of a temporary teacher, who is considered for substantive appointment under sections 3 and 4 but is not substantively appointed on or before the expiry of 180 days from the date of the commencement of this Act, shall stand terminated on the date of such expiry." उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने टेम्प्रेरी टीचर्स हैं जो 74 के बाद लगे हैं और इस एक्ट के बाद कितने लोग परमानेंट हो जाएंगे? जो परमानेंट नहीं होंगे उनका आपने यह लिखा है कि 180 दिन के बाद यदि वो परमानेंट नहीं होंगे तो उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो ऐसे कितने विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे जिनको आप टर्मिनेट करने जा रहे हैं? इसका पूरा खुलासा करें। जैसा बैकलॉग के बारे में हमारे माननीय साथियों ने बताया, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान की किस-किस यूनिवर्सिटी में एससी और एसटी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

का कितना बैकलॉग चल रहा है और इन पदों को स्थायी करने के बाद एससी और एसटी का कुल कितना बैकलॉग होगा और उसके लिए आप कुल कितनी पोस्टें सैंक्शन करने जा रहे हैं? केवल मात्र 237 पोस्टें हमने क्रियेट कर दी उससे काम चलने वाला नहीं है। आप स्पष्ट बतायें कि आज राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी का बैकलॉग कितना है और इन पोस्टों के भरने के बाद, स्थायी करने के बाद कितना बैकलॉग रह जाएगा और उसको आप किस प्रकार से भरने जा रहे हैं और कितने समय में भरने जा रहे हैं? यह आपको स्पष्ट करना होगा। इसके बाद आपसे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन विश्वविद्यालयों में आप यह काम करने जा रहे हैं उनकी ब्लॉक ग्रांट की क्या स्थिति है? उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की लगभग 25 करोड़ रुपये से ऊपर की ब्लॉक ग्रांट राजस्थान की सरकार नहीं दे रही है और वहां तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं। इसी प्रकार जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की यही स्थिति है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की भी यही स्थिति है। मैं जानना चाहूंगा कि आप यह बतायें कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों की कितनी-कितनी ब्लॉक ग्रांट आपके पास बकाया है जिनको आपको देना है? ब्लॉक ग्रांट के बिना यह संस्थान चल नहीं सकता। आजकल विश्वविद्यालयों में आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार उनकी ब्लॉक ग्रांट को रोक रही है। यह पहली बार हो रहा है। आज तक विश्वविद्यालयों की ब्लॉक ग्राट नहीं रुकी लेकिन आप ब्लॉक ग्रांट रोककर के विश्वविद्यालयों को परेशान कर रहे हैं, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। इसके कारण विश्वविद्यालयों का फंक्शनिंग करना दूभर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इन ब्लॉक ग्रांट के बारे में आपकी क्या नीति है? कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हो गये हैं जो केवल मात्र एग्जामिनिंग बॉडी बनकर के रह गये हैं। हमारे अनेक विश्वविद्यालयों के बारे में यदि आप देखें तो वहां पर यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी, फैकल्टी का नामोनिशान नहीं है।

एक लेक्चरर नहीं, एक रीडर नहीं, एक प्रोफेसर नहीं। लाइब्रेरी वहां पर है तो एक किताब नहीं है और यूनिवर्सिटी बना दी। इनके कारण ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको अब तक स्थाई मान्यता नहीं दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खास तौर से कोटा यूनिवर्सिटी, भगवान महावीर वर्द्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर, इनके बारे में भी आप

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बतायें कि वहां कितने फैकल्टी मेम्बर हैं, वहां पर कितनी किताबें हैं और वहां पर केवल मात्र परीक्षा की बॉडी है। वह भी इधर-उधर से आदमी बुलाकर, एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में जितने अध्यापक या जितने स्टाफ के लोग नहीं हैं, उससे भी कम स्टाफ के लोगों के द्वारा यूनिवर्सिटियां चल रही हैं इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि साढ़े चार साल में यूनिवर्सिटीज का राजस्थान में सत्यानाश कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी में 10 क्लर्क नहीं, 2-5 यू.डी.सी. नहीं, यह यूनिवर्सिटी क्या काम करेगी? रजिस्ट्रार को कहीं से आपने ओन-डेपुटेशन ले लिया, चीफ एकाउंट्स आफिसर को कहीं से ले लिया और यूनिवर्सिटी को चला लिया। यूनिवर्सिटी का खुद का क्या है? इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटी आएगी। आपको रिसर्च के लिए अथवा अनुसंधान के लिए और एकेडेमिक एक्सीलेंस के लिए कोई लाभ देने वाली नहीं हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज का स्तर सुधारें और उनमें कम से कम तीन लेक्चरर, दो रीडर, एक प्रोफेसर, जो यू.जी.सी. की न्यूनतम आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उन यूनिवर्सिटी में मिनिमम स्टाफ तो भरें और कम से कम एक लाख पुस्तकों की आवश्यकता तो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी रखी थी। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पास किया था तो आवश्यक रूप से रखी थी, वह तो कम से कम करें। साढ़े चार साल में यूनिवर्सिटी के भवन का अता-पता नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टाफ का अता-पता नहीं है। आप कब तक उन यूनिवर्सिटीज को स्थाई फैकल्टी के मेम्बर रखने की परमिशन देंगे? साढ़े चार साल में तो किया नहीं और अब चुनाव में जाने से पहले-पहले क्या करना चाहते हैं? जब यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित दूसरा बिल आएगा तो बताऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटीज के विकास के लिए क्या काम किया है, विस्तार से उसमें बताऊंगा लेकिन इसमें मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में इन सब चीजों के बारे में जो प्रश्न हमने उठाये हैं, हमारे साथियों ने उठाये हैं, उसका निश्चित रूप से जवाब देंगे और एस.सी. एस.टी. के बैकलॉग के बारे में सरकार की क्या नीति है, कब तक उसको पूरा कर देंगे? उसके लिए स्पष्ट बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन में निवेदन करना चाहता हूं। आपने गये सत्र में कहा था कि उदयपुर यूनिवर्सिटी

(श्री रामनारायण मीणा)

का एस.सी. एस.टी. का बैकलॉग पूरा करेंगे। आज वहां क्या स्थिति है? एक प्रतिशत लेक्चरर नहीं है और आप कहते हैं कि हम भर रहे हैं, हम भर रहे हैं। आपका मन कितना कलुषित है आदिवासियों और दलितों के प्रति...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): खुद के कार्यकाल में क्या किया, वह तो याद कर लो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ये जवाब दें, हम जवाब सुनेंगे कि आपकी भावना क्या है और आप जिस पार्टी के हो, उसकी भावना कितनी दलितों और आदिवासियों के प्रति है?

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, सुनिये आप। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल पर पिछले सत्र में बड़ी विस्तार से चर्चा हो गई थी और जितनी शंकाएं आज यहां पर व्यक्त की गई हैं, उस समय भी ये शंकाएं व्यक्त की गई थीं और उनका मैंने विस्तार से सारा जवाब दे दिया था। केवल महामहिम ने दो सुझाव दिये हैं कि एक तो कंसर्निंग डीन स्क्रीनिंग कमेटी में होना चाहिए और एक चांसलर का नॉमिनी होना चाहिए। केवल ये दो बात शामिल करने के लिए यह एक्ट लाया गया है, बाकी यह वही एक्ट है जो पहले हम पारित कर चुके हैं। फिर भी यहां माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं, उनके ऊपर सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष रहा हूं, सिंडीकेट का कई सालों तक मेम्बर रहा हूं, मेरा कोई इसमें हिडन एजेंडा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीयत जितने भी एडहाक टीचर्स लगे हुए हैं, चाहे वह फर्स्ट केटेगरी के हों, चाहे वह सैकण्ड केटेगरी के हों, उन सबको एब्जोर्ब करने की है जब तक कि कोई इलीजिबल नहीं हो या कोई कोर्ट में केस चल रहा हो या कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं हो, वह तो बात अलहदा है, बाकी हम सबको एब्जोर्ब करेंगे। किसी प्रकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारी नीयत मानवीयता के आधार पर है क्योंकि किसी को 20 साल हो गये, किसी को 25 साल हो गये, ऐसे सारे टीचर्स को एब्जोर्ब करने की है, नम्बर एक।

दूसरा, आपने यह कहा कि न्यायालय में कहीं यह स्टे तो नहीं हो

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जायेगा तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश प्रदान किये थे कि विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक को नियमित चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक निकाला नहीं जाये। इसका मतलब यह है कि न्यायालय की भी ये जो टीचर्स लगे हुए हैं, उनके प्रति सहानुभूति है और विश्वविद्यालय में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी अधिनियम, 1974 की धारा 3(3) के अन्तर्गत ही नियुक्तियां की गई हैं, इसके अलावा कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

इसी तरह से आपने बैकलॉग के बारे में शंकाएं प्रकट कीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ये जो अपोइंटमेंट हुए हैं, 1974 के एक्ट के अन्तर्गत नहीं हुए हैं, मैं अथोंटिक कह रहा हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं पहले जवाब दे दूं, फिर आप पूछ लेना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अपने सेक्रेटरी से कन्फर्म कर लें, 1974 एक्ट के अन्तर्गत नियुक्तियां जो दूसरा लाट है, उनकी नहीं हुई है। मैं इतना अथोंटिक कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सदन में आप जो बात कह रहे हैं, उसको गम्भीरता से कहें। 1974 एक्ट में जो प्रोविजन है, जिस प्रोविजन के अन्तर्गत यह छह महीने के लिए आप अपोइंटमेंट कर सकते हैं, उसमें कम्पलसन बना हुआ है कि उसी के अन्तर्गत हो सकता है। जो दूसरा लाट आपने इन्क्लूड किया है, उनकी नियुक्ति 1974 एक्ट के अन्तर्गत नहीं हो सकती है तो मैं चाहूंगा कि आप सैक्रेटरी से कन्फर्म कर हाउस को सही बात कहें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं बताता हूं। इसी तरह से आपने जो बैकलॉग के और एस.सी. एस.टी. के बारे में बातें कही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एस.सी. के 33 पद भरे जायेंगे, एस.टी. के 24 पद भरे जायेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 पद भरे जायेंगे यानी कुल मिलाकर 100 पद, एस.सी. एस.टी. और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 237 पद हमने सेंक्शन किये, उसमें ये पद भरे जायेंगे। इसलिए कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, पूरा बैकलॉग का ध्यान रखा जायेगा। एस.सी. एस.टी. और अन्य पिछड़ा वर्ग का कहीं से कभी कोई भी किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जायेगा।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अब आपने एक बात कही कि जो टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, जिस समय उनका रिक्रूटमेंट हुआ, उस समय की मानोगे या अब की मानोगे? तो इसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, जो सरकार की नीयत है कि जो नियुक्ति के समय क्वालिफिकेशन थी और यदि रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन के कारण पात्र नहीं है, चूंकि उन्होंने लम्बे समय तक सेवा की है इसलिए उन्हें एब्जोर्ब किया जायेगा और जो नियुक्ति के समय पात्र नहीं थे, अब जो पात्र हो गये, उनको भी एब्जोर्ब किया जायेगा। हमारी नीयत सबको एब्जोर्ब करने की है।

फिर आपने एक बात कही कि सब्स्टेंटिव अपॉइंटमेंट के लिए तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान विश्वविद्यालय में सब्स्टेंटिव अपॉइंटमेंट के लिए कुल 29 कुल पदों का कुलपति द्वारा विभागों में आबंटन कर दिया गया है अतः प्रत्येक विभाग में आरक्षित पदों को भरने तथा अस्थाई शिक्षकों के आमेलन हेतु पर्याप्त पद स्वीकृत हैं और रिक्त हैं। तो मैंने सारी जो शंकाएं थीं, उनके बारे में, उनको निर्मूल करने का प्रयास किया है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि बिल को पारित किया जाये। धन्यवाद।

विधेयक का पारण

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 लेकर के आई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन एक घोर प्रतिगामी गतिविधि का दिन है और मैं समझता हूं कि इसको एक ऐसे व्यक्ति के हाथों इस दिवस को कभी उपस्थित नहीं होना चाहिए था जिसका अपना सम्पूर्ण जीवन छात्र और विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी कोई गलती की तो उस गलती को आप आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत अच्छा होता कि उस गलती से हम सीखते और उसके अनुरूप उच्च शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करते पर आज राजस्थान सरकार जो यह संशोधन लेकर आई है, इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी और एक आज तक का जो हमारा अतीत रहा है विश्वविद्यालयों में एक बेहतर वातावरण देने का, स्वायत्त वातावरण देने का, नये इनेशिएटिव ले सकने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता देने का, वह सब कुछ समाप्त हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में सेक्शन 12 में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है और जिसकी उप धारा (1) में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार की सलाह को एड किया है जबकि इससे पहले चयन समिति की सिफारिश पर यह चांसलर के द्वारा किया जाता था। अब राज्य सरकार के जरिये करने से जो कुलपति के रूप में एक एक्सीलेंस की गति बनी हुई थी वह गति बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। अजमेर विश्वविद्यालय में तत्कालीन सरकार ने यह फैसला किया था कि राज्य सरकार की सलाह पर कुलपति की नियुक्ति होगी, हमारा क्या अनुभव रहा? वाइस प्रिंसीपल कैलीबर के लोग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गये और सिवाय उन्होंने अपना वक्त काटने के कोई काम नहीं किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन फारेन सर्विस के मोहन सिंह मेहता जैसे व्यक्ति यहां के कुलपति रहे हैं, महाजनी जैसे गणित के ज्ञाता इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, आर.एल. अग्रवाल जैसे साइंटिस्ट इस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं और जी. सी. पाण्डे

(श्री संयम लोढ़ा)

जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि अगर राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय को और अधिक स्वायत्तता देने के मंतव्य से संशोधन लेकर के आती। लेकिन राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के मोटिव से यह एक्ट लेकर के आई है जो घोर आपत्तिजनक है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर निराशा का वातावरण पैदा करेगा। पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन व्यक्तियों की समिति हुआ करती थी और अब इन्होंने जो एड किया है सर्च कमेटी के लिए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति, मतलब अब पांच लोग होंगे जिसमें दो लोग स्टेट गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी। इसी तरीके से वाइस चांसलर को हटाने का क्लाज भी इसमें जोड़ा गया है और राज्य सरकार की सलाह पर वाइस चांसलर को हटाया भी जा सकेगा। सेक्शन 47 के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल एड किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब चीज ले लेंगे तो नये अपाइंटमेंट्स कैसे होंगे, नये सब्जेक्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस होंगे। यूनिवर्सिटी का अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यह समझता है कि उसको पहल करके आज के जमाने के मुताबिक नये विषय लेने चाहिए, आप उसको नये विषय लेंगे, अपाइंटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप अपाइंटमेंट की अनुमति नहीं देंगे और अनुमति नहीं देंगे तो नये विषय नहीं खुल सकेंगे। तो इस तरीके से पूरे विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण राज्य सरकार अपने नियंत्रण में इसके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेने की चेष्टा कर रही है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 8(ए) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें लिखा है- "The President of India shall be the Visitor of the University." यह एकमात्र यूनिवर्सिटी राजस्थान की है जिसमें भारत के राष्ट्रपति को विजिटर के रूप में एक्ट में प्रदर्शित किया गया है और सारे उसमें तथ्य पूरे दिये गये हैं कि प्रेसीडेंट का उसमें क्या रोल हो सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके बाद में आप जो यह तमाम संशोधन लेकर के आये हैं, आपको राष्ट्रपति का भी अनुमोदन इसमें लेने की आवश्यकता होगी और मुझे इसमें बहुत स्पष्ट लगता है कि आपकी नीयत राजस्थान के अन्दर जो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नया आप मूवमेंट लेकर के आये हैं, इनको पैट्रोनाइज करने के लिए आप यह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन

(श्री संयम लोढ़ा)

को वीक करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा उपाध्यक्ष महोदय, जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट आया था, हमने ध्यान दिलाया था कि तमाम तरह की स्वतंत्रता उन धन्ना सेठों को दी गई है जो सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेकर के, कम पैसे में जमीन लेकर के अपना इंस्टीट्यूशन अपने व्यापार, अपने धंधे के लिए खड़ा कर रहे हैं। वहां वह सेठ ही कुलपति लगायेगा, वह सेठ ही बोर्ड आफ मेनेजमेंट तय करेगा और जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का खड़ा हो रहा है उसमें हम पूरा शिकंजा सरकार, उस पर लगाम रखना चाहते हैं। वाइस चांसलर में क्या, सर्च कमेटी में क्या, उसके क्या नतीजे आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हायर एजुकेशन का सैक्रेटरी जो आईएएस बनकर के बैठा हुआ है, क्या योग्यता है उच्च शिक्षा की, कल एनीमल हसबैण्डरी के डिपार्टमेंट से उठ करके आया होगा, फोरेस्ट से उठ करके आया होगा, उच्च शिक्षा के बारे में क्या ज्ञान है। इसलिए मेहरबानी करके जिन लोगों का जो विषय है, जिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर जो ख्यातनाम, विख्यातनाम लोग हैं, उनको इस इंस्टीट्यूशन को चलाने का मौका दीजिये जिससे आने वाले वक्त में राजस्थान के छात्रों का भविष्य अच्छा हो सके, इन विश्वविद्यालयों का वातावरण अच्छा हो सके और जो पहले की उनकी प्रतिष्ठा रही है उसके अनुरूप इस बात का एक माध्यम बन सके कि पूरे देश में उन विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बने और देश भर के विद्यार्थी इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए आ सकें। मैं यह महसूस करता हूं कि यह जो भी संशोधन आपने पेश किये हैं, यह घोर आपत्तिजनक हैं और उसके दूरगामी परिणाम राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर बहुत निराशाजनक होंगे, बहुत अंधकार फैलाने वाले होंगे और यह सारे इंस्टीट्यूशन कमजोर होंगे। आपने जिस तरीके से सलेक्शन का राइट, जहां-जहां पर यूनिवर्सिटी का स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, योग्य लोगों का चयन नहीं हो सका और अपनी-अपनी राजनीतिक निष्ठा के आधार पर कुलपतियों का चयन हुआ और उससे विश्वविद्यालयों का स्तर बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि इन सब के अन्दर चांसलर की प्रभावी भूमिका रहनी चाहिए, चांसलर को और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए, और अधिक शक्तिमान किया जाना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रह सके और यह संस्थाएं निष्पक्ष और बेहतर तरीके से काम कर सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

रामचन्द्र सराधना। श्री बाबूलाल नागर। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। श्री रघुवीर सिंह मीणा । श्रीगोपाल बाहेती। डा. चन्द्रशेखर बैद। श्री मांगीलाल गरासिया। श्री अमराराम (धोद)। डा. बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जरूरी है भाई, विश्वविद्यालय.. (व्यवधान) आपका तो अब मुखबंद हो गया मंत्री बन गये तो, मैं तो बोलूंगा ही। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय कल्ला साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जब से मंत्री बने हैं तब से सीट पर नहीं बैठते हैं माननीय भाटी साहब। यह मंत्री बने तब से सीट पर नहीं बैठते हैं। कृपा करके या तो सरकार इनके लिए यह सीट अलॉट कर दे या अपनी सीट पर जाकर बोलें, हमेशा डिस्टर्ब करते हैं और कल्ला साहब को तो निश्चित तौर पर करते हैं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह सारी सीट भाटीजी की हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ऐसा नहीं है, यह पूरे राजस्थान को सम्भालते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बैठे-बैठे बोल रहे हैं, आप इनको प्रताड़ना दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को तीन माह के जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आपको सबसे ज्यादा मिलेगी प्रताड़ना बाद में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसके लिए मैंने अपना प्रस्ताव दिया है। उसके समर्थन में मैं अपनी बात रख रहा हूं। इसके जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रिजंशस दिए हैं – "There has been good harmony between the Universities and the State Government but some times there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter. This is largely because the Vice-Chancellor once appointed, cannot be removed from his office even if he commits some grave irregularities. Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the government. Moreover, there are variations in

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

the method of appointment of Vice-Chancellors." इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने यह राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति, वाइस चांसलर को हटाने की प्रक्रिया और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंसियल कंट्रोल लाने के लिए इन्होंने इस बिल को लाने की बात कही है। लेकिन इसमें हकीकत में इनका हिडन एजेण्डा है, वह हिडन एजेण्डा क्या है? (व्यवधान) इसलिए आप इसकी आड़ में कई खेल खेल जाते हो। वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अब तक राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय के एक्ट बने हुए हैं, उनमें वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए जो सलेक्शन कमेटी बनती है उसमें चांसलर्स का एक नोमिनी होता था, गवर्नमेंट का एक नोमिनी और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या सिंडीकेट का एक नोमिनी और एक यूजीसी का नोमिनी होता है। इसमें इस सरकार ने क्या किया है अपने एक नोमिनी को बढ़ा दिया है। यह आपका हिडन एजेण्डा है। आज तक जो राजस्थान में नहीं हुआ वह काम आप करने जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो व्यक्ति आज तक राजस्थान में आजादी के बाद लगातार एक आदमी होता था अब सरकार के दो आदमी होंगे। यह विश्वविद्यालय की ओटोनोमी के ऊपर हमला है, यह विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण है, यह विश्वविद्यालयों का भाजपाईकरण है। इसलिए मैं इसको हिडन एजेण्डा कह रहा हूं। इस हिडन एजेंडे को आपने इस्तेमाल किया है और अब तक राजस्थान में जो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए हमेशा गवर्नमेंट का एक नोमिनी होता था, उसकी जगह आपने एक नोमिनी अपना बढ़ा दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह तो आपका ही कारनामा है।

(समय : 14.23 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसका मतलब अगली सरकार भाजपा की होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अगली सरकार हमारी होगी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) आपने ही कहा था कि भाजपाईकरण हो रहा है तो आप यह मान चुके कि भाजपा की सरकार आएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह अभी जिन विश्वविद्यालयों में सलेक्शन होने वाले हैं उसमें यह चाहते हैं हमारे वाइस चांसलर बैठ जाएं ताकि तीन साल तक विश्वविद्यालयों में फिर वह हट नहीं सकें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह तो ठीक हो रहा है कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह ठीक नहीं हो रहा है, आज तक हमेशा एक-एक आदमी होता था, वहां आपने दो आदमियों को नोमिनेट करके और....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अच्छा किया है न, उनकी संख्या बढ़ाई है न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण जो किया जा रहा है, इसकी मैं खिलाफत करता हूं, यह ठीक नहीं है, इसको आपको वापिस एक आदमी करना चाहिए। इसके बाद आपने राज्य सरकार का नियंत्रण, अब यह मंशा आपकी साफ हो गई देखिए आप राज्य सरकार का नियंत्रण क्यों चाहते हो?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अजमेर विश्वविद्यालय में किसने किया था?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले से ही हमारी सरकार के वक्त में एक वित्त विभाग का सरक्यूलर निकला हुआ है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय में चपरासी की भी पोस्ट यदि कोई क्रिएट होगी तो वित्त विभाग की परमिशन लेनी होगी। फिर एक्ट में प्रोविजन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उस सरक्यूलर के बाद एक एक्ट और आया हुआ है जिसमें कोई भी विभाग, कोई भी ओटोनोमस बॉडी, कोई भी विश्वविद्यालय जब कभी भी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेगा तो वित्त विभाग की अनुमति से करेगा। फिर इसमें यह सरकार ''विश्वविद्यालय में नियुक्तियां, पदोन्नतियां या परिलब्धियों की मंजूरी और अन्य वित्तीय विषयों से संबंधित मामले राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे और ऐसी नीतियां और निदेश विश्वविद्यालयों के किसी भी विनिश्चय पर अध्यारोही प्रभाव रखेंगे'' मैं समझता हूं कि ऐसा जब एक्ट वगैरह आये हुए हैं और अलग से पहले से एक्ट बने हुए हैं, उसके बाद में इस प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने सारे विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण, सरकार का हव्वा, सरकार का डण्डा और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

भगवा डण्डा यह जो आपने एक तरीके से शुरू किया है, यह ठीक नहीं मानता और यह विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी के ऊपर बिलकुल एक तरीके से कुठाराघात है। विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, उनके बारे में यह कहना कि वह निर्देश नहीं मानते थे इसलिए उनको हटाना जरूरी था, इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि आप इस प्रावधान को पढ़ें। कुलपति को उसके पद से कुलाधिपति द्वारा (व्यवधान) आप विराजें किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह आपका विषय नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य विराजें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आदर करना चाहिए इनको भगवा का, यह तो आदर का प्रतीक है, वह तो महानता का प्रतीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने क्या कर दिया?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आप भगवाकरण की आलोचना क्यों कर रहे हो?

श्री सभापतिः आपने भगवाकरण कह दिया इसलिए उनको एतराज हो रहा है। इनका कहना है भगवा तो पवित्र होता है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भगवा तो महानता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, क्या कर रहे हो, आप जैसे अभी दूसरे करें तो बात चले।

श्री सभापतिः विराजिए आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भगवा तो सब में है, राष्ट्रीय ध्वज में भी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वहीं भाजपा, वहीं आरएसएस, वहीं विहिप यह क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): वह तो महानता का प्रतीक है, आप भगवा का आदर नहीं करो तो अनादर तो मत करो।

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो ब्राह्मण हो यह तो ध्यान में रखो प्रभु।

श्री सभापति: विराजें अब आप हो गया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अभी भी डबल बहुमत से आएंगे, आप गलतफहमी में मत चलो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जाटों को पटाओ ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): जाटों को तो तुम खरीद कर रहे हो, तीन-तीन को खरीद लिया, तीन-तीन को ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बंशीलालजी जब आप जैसे लोग भगवा डाल लेंगे तो ब्राह्मण क्या करेंगे बता दो आप?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बंशीलालजी जैसे लोग पूरे हिन्दुस्तान का भगवाकरण करेंगे और आपको भी भगवा में रंगना पड़ेगा आने वाला समय यही है।

श्री सभापति: विराजिए आप। Let him complete. अब आपका प्रश्न आने दें। मुख्य मंत्रीजी को पधारना है, स्पीकर साहब को भी पधारना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 में और इसी प्रकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संशोधन किए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, यह जाने आने का संबंध विधान सभा में नहीं है, मुख्य मंत्री तो कभी भी जा सकती हैं।

श्री सभापति: स्पीकर साहब ने फरमाया है इसलिए कह रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप हाउस को जब समन कर लिया है तो स्पीकर रहे तो, नहीं तो डिप्टी स्पीकर रहे, मुख्यमंत्री में तो पूरा मंत्रिमण्डल है। इसलिए जाने आने से विधान सभा का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, बस अगर जाना है तो जनता भेजेगी और नया मुख्य मंत्री आएगा, उससे पहले कोई संबंध नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 में इन्होंने धारा 2 की विद्यमान उपधारा 8 के बाद यह कुलपति को हटाने के बारे में कुछ पांच क, ख, ग, घ, ड़, पांच यह जोड़े हैं। उसमें-

(क) पदधारी विक्षिप्त हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया हुआ है,

(ख) पदधारी नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(ग) पदधारी अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित हुआ है,

(घ) पदधारी दीर्घकालिक अस्वस्थता या शारीरिक निःशक्तता के कारण कृत्यों का निर्वहन करने में शारीरिक रूप से अयोग्य और असमर्थ हो गया है,

इनमें एक-एक को यदि आप देखें तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में यदि कोई भी व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है तो वह वैसे ही वाइस चांसलर के लेवल के मामले में आज तक ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया और न ही कोई वाइस चांसलर न्यायालय द्वारा सिद्धदोष घोषित किया गया है और दिवालिया व्यक्ति जो है वह तो व्यापारी और उद्योगपति दिवालिया होते हैं, वाइस चांसलर कायें का दिवालिया होगा। यह मैं समझता हूं सरकार का मानसिक दिवालियापन है कि वाइस चांसलर को यहां दिवालिया बताकर के हटाना चाहते हैं और उसके बाद यह ''पदधारी दीर्घकालिक अस्वस्थता'' अब इसका निर्णय कौन करेगा? वह दीर्घकालिक रूप से अस्वस्थ है, कोई आदमी बीमार पड़ गया उसको वाइस चांसलर से हटा दिया, प्रोवाइस चांसलर की पहले से व्यवस्था है। जब वह ठीक होकर आएगा मतलब इनका कहना माने तब तो वाइस चांसलर रहेगा नहीं तो आप बीमार हो, घर जाओ, यह तो दिगम्बरसिंहजी ठीक बात नहीं है।

पदधारी ने जानबूझकर इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में लोप या इंकार किया है या इसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है या अवचार या अपने कर्तव्यों की अवहेलना का दोषी है ऐसे व्यक्ति को हटायेंगे, उसकी जांच कौन करेगा उसकी जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ये वाइस चांसलर को डराने, धमकाने और उसको अपने अंकुश में रखने के लिए डण्डा अपने हाथ में लेकर बीजेपी जो यह कानून लायी है इसका हम विरोध करते हैं। विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है जहां वाइस चांसलर, वहां के प्रोफेसर्स, वहां के डीन स्वायत्तता के आधार पर संस्था को चलाते हैं सरकार उनको सहयोग करती है लेकिन पिछले वर्षों में मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं खास तौर से जो नये विश्वविद्यालय बने हैं चाहे वो अजमेर का विश्वविद्यालय है, चाहे वो कोटा का विश्वविद्यालय है, चाहे वो बीकानेर का विश्वविद्यालय है, माननीय सभापति महोदय, एक लैक्चरार नहीं दे पाये चार

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

साल में एक फैकल्टी का मैम्बर नहीं। ऐसी आप हिन्दुस्तान में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी बतायें जिस यूनिवर्सिटी में एक लैक्चरार नहीं।

डॉ. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, जब पैसा लेकर लाइसेंस दिया है तो आवश्यकता क्या है लैक्चरार की ? जरूरत ही नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं सरकारी विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं प्राइवेट जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी तो हालत बहुत खराब है लेकिन जो बीकानेर का विश्वविद्यालय है वहां कोई लैक्चरार है? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, साढ़े चार साल में आप एक लैक्चरार की नियुक्ति नहीं कर सके।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बिल की बात करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब ये सारे विश्वविद्यालयों से संबंधित बिल है और जब जनमत जानने हेतु परिचालित करने की बात की जाती है तो सारे इश्यूज को उठाया जाता है इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय बिना लैक्चरार के, बिना रीडर के, एक लैक्चरार नहीं, एक रीडर नहीं, एक प्रोफेसर नहीं और वहां की लाइब्रेरी में एक किताब नहीं तो काहे के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया था? हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय बनाया था उस समय एक करोड़ रुपये उनको शुरू-शुरू में ब्लॉक ग्रांट दी। क्या आपने साढ़े चार साल में उसको दो करोड़, तीन करोड़, चार करोड़ किया? उसमें कमी लाने की कोशिश की है और उसके बाद विश्वविद्यालय में पूरा स्टॉफ नहीं, क्लर्क नहीं, चपरासी नहीं वहां पर कोई ऑफिस असिस्टेंट नहीं ऐसे-ऐसे विश्वविद्यालय बना दिये जिनमें सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल से भी कम स्टॉफ है। ऐसे विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मान्यता नहीं दे रहा है और भवनों का तो कोई अता-पता ही नहीं है। वहां विश्वविद्यालय आज भी डूंगर महाविद्यालय का एक भवन जो हमने बनाया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत उसमें यूनिवर्सिटी चल रही है। यह स्थिति है राजस्थान के विश्वविद्यालयों की और कुल मिलाकर अजमेर विश्वविद्यालय की भी बात करें तो वहां पर चार-पांच फैकल्टी में कुछ लैक्चरार, रीडर, प्रोफेसर लगे हुए हैं वहां की भी स्थिति यही है। अजमेर की स्थिति के बाद आप यदि कोटा की स्थिति को देखें तो वहां पर तो मेरे ख्याल में दो-तीन विषय की फैकल्टियां भी नहीं बन पायी हैं। ऐसी स्थितियों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इनको स्थाई

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मान्यता नहीं देता है और स्थाई मान्यता न देने से राजस्थान के विश्वविद्यालयों का माननीय सभापति महोदय, नुकसान होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिनको स्थाई मान्यता देती है उनको निर्माण कार्यों में पचास प्रतिशत छूट देती है। पचास प्रतिशत सहयोग देती है। आज इन साढ़े चार वर्षों में इनको स्थाई मान्यता मिलती तो राजस्थान के एक-एक विश्वविद्यालय को 5 से 10 करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से सहायता मिलती। लेकिन इस सहायता के ऊपर कुठाराघात लगाने वाला यदि कोई है तो हमारे शिक्षा मंत्री राजस्थान के हैं जिन्होंने उनको बराबर स्थाई मान्यता लाने के लिए जो स्थायी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं की । सभापति महोदय, एक फैकल्टी के लिए कम से कम तीन लैक्चरार, दो रीडर, एक प्रोफेसर की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति आपने नहीं की मतलब जिस यूनिवर्सिटी में एक भी अध्यापक नहीं उसको कौन मान्यता देगा और अब आगे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डूंगर कॉलेज और एम एस कॉलेज ये दो कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं इनको उनका संबद्ध कॉलेज बनाना था उसके लिए तो एक नये पैसे की आवश्यकता नहीं थी आप जब कानून बना रहे हैं उस कानून में इन कॉलेजों को उसका संबद्ध कॉलेज बना देते तो सारे के सारे कम से कम फैकल्टी मैम्बर आपको बने-बनाये मिल जाते। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज को और कोटा का जो गर्ल्स कॉलेज है उसको कोटा के साथ जोड़ देते तो आज वहां पर वो संबद्ध कॉलेज बनने से आपके पास फैकल्टी अपने आप आ जाती। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर को और गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के साथ-साथ वहां के कुछ और कॉलेजों को यदि आप अजमेर के कॉलेजों के साथ जोड़ देते तो निश्चित रूप से वहां पर आपकी स्थाई फैकल्टी हो जाती और फिर धीरे-धीरे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फैकल्टी का विस्तार करते रहते लेकिन यह काम आपने किया नहीं क्योंकि कोई सूझ-बूझ, अनुभव और इन सबका अभाव रहा । बीजेपी की सरकार में जिस कारण से ये छोटे-छोटे काम जिनमें एक नया पैसा खर्च नहीं होता वो काम भी आप कर नहीं सके और आज आप इसमें संशोधन ये लेकर आ रहे हैं तो मैं अभी भी कहता हूं कि आप एक घंटे के लिए विधान सभा को एडजर्न करके हम लोगों के साथ बैठ जाइये बिना पैसे-टके के राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों की जो फैकल्टियां आप संबद्ध कॉलेज बना करके कर सकते हो राजस्थान में उसको आपको कर देना चाहिए ताकि कम से कम यह लगेगा कि आपने राजस्थान के हित का काम किया है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

और उन सारे विश्वविद्यालयों को जो-जो आप ग्रांट देंगे, बिल्डिंग वर्क्स के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आपको पचास प्रतिशत अनुदान देगा लेकिन आप ऐसा काम तो करेंगे नहीं क्योंकि आप में सूझ-बूझ और चूंकि ये सुझाव मैं दे रहा हूं और मेरे सुझाव से यह काम हो गया तो क्रेडिट विपक्ष को चला जाएगा तो ऐसी भावना नहीं रखें। आप इसको एक प्रवर समिति बना करके ...

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो आप हमें सलाह दे रहे हो अगर उस सलाह को आप अपने ऊपर ही लागू कर लेते तो यह राजस्थान की दुर्दशा नहीं होती ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बता रहा हूं, आपका पाइंट आएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इन साठ साल के इतिहास में कितने साल आप लोगों ने राज किया और इस राजस्थान की दुर्दशा करने में जिम्मेदार आप हो और मैं...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे लगता है आपको यूनिवसिर्टियों के बारे में जानकारी नहीं है ...(व्यवधान) आपका पाइंट समझ गया मैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो आवश्यक सुझाव है वो आप निश्चित रूप से दें कल भी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं माननीय पहाड़ियाजी उनके भाषण से मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति हो गयी कि लोग उठने लायक स्थिति में नहीं रहे थे सुन-सुन कर तो वो स्थिति आज फिर रिपीट नहीं हो तो जरूरी है आपका बहुत सारगर्भित भाषण चल रहा है और शोर्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ): माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसके बजाय आप वहां दिल्ली की सरकार, यूपीए की सरकार को वहां सलाह दो न कुछ तो कोई काम आये। वहां तो बंटाढार हो रहा है। 22 तारीख को विदाई हो रही है आपकी।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये अब आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यूपीए सरकार ने चार गुना सहायता दी है आपको आप जो सहायता देते थे उससे चार गुना सहायता दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डॉक्टर साहब, कल विधान सभा भी नहीं है और जयपुर में मुख्य मंत्री भी नहीं है आप दोपहर तक सो लेना आराम से रात को कुछ भी करके।

श्री हीरालाल (निवाई): आप तो वो पास में अमरारामजी हैं उनकी सिफारिश कराइये जो सरकार बचे।

श्री सभापति: जल्दी करें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उनको पता नहीं है हमने जब यूनिवर्सिटी खोली थी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के साथ यहां पर महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज को संबद्ध कॉलेज बनाया था जिस समय यहां पर बीकानेर और कोटा में जब विश्वविद्यालय बनाया उसके बाद दो-तीन महीने बाद चार महीने बाद चुनाव हो गये और चुनाव के बाद आपकी सरकार आ गई। आपको यह काम करना चाहिए था हमारी सरकार होती तो हम तो अब तक कर दिये होते।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): कोटा में विश्वविद्यालय केवल पचास हजार रुपये देकर विश्वविद्यालय खोला आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक करोड़ रुपये ।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): एक करोड़ तो हमने दिये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक करोड़ रुपये हमने दिये हैं आपको मालूम नहीं है।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): ऐसी +++ करना बंद कर दो नहीं तो जनता ने चुनाव का परिणाम बता दिया आपको।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक करोड़ रुपये दिये थे आपको याद नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): एक करोड़ रुपये में यूनिवर्सिटी खुलती है?

श्री सभापति: कल्ला साहब, अब कंक्लूड करें प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है शिक्षा मंत्रीजी, एक करोड़ रुपये प्रारम्भिक स्टेज पर दिये थे वो अब बढ़ कर दस करोड़ रुपये हो जाते। आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपने चार साल में कितने-कितने को एक करोड़ रुपये से कम रुपया दिया है। कभी 93 लाख, कभी 97 लाख रुपये और अब यूनिवर्सिटी आपकी बराबर काम कर रही है साढ़े चार साल से उसको आपने क्या पैसा दिया।

श्री सभापति: माननीय कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो फर्स्ट स्टेज पर एक करोड़ रुपये दिये थे लेकिन आपने साढ़े चार वर्ष में मेरे ख्याल में दो करोड़ रुपये भी कभी साल में नहीं दिये। क्या बात करते हो आप। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटियां स्टूडेंट्स की फीस से चल रही हैं इसलिए मैं सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में जो हम बिना पैसे टके का सुझाव दे रहे हैं इसमें तमाम विश्वविद्यालयों में संबद्ध कॉलेजों को बनाना है जिससे फैकल्टी पूर्ति आपकी हो जाएगी और उसके बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। रिसर्च वर्क शुरू हो जाएगा, लैब्स बननी शुरू हो जाएगी, लाइब्रेरी बन जाएगी और वहां पर पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में एकेडमिक एक्सीलेंस आएगा, रिसर्च होगी, नहीं तो ये केवल मात्र परीक्षा की बॉडी बन कर रह जाएगी। परीक्षा की बॉडी में, उधार के लिये हुये लोगों से यह यूनिवर्सिटियां चल रही है। यह यूनिवर्सिटियां कभी भी आगे कामयाब नहीं होगी और इनको केन्द्रीय संस्थान की जो संस्थाएं हैं वह नहीं मानेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूं कि इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय रामनारायणजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यूनिवर्सिटियों की एकेडमी के एक्सीलेंस के ऊपर रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति: रामनारायणजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): बिना पैसे टके के नहीं, पैसे टके सरकार दे रही है।

श्री सभापति: अब आपको भी कुछ कहना है क्या। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): तनख्वाह मिलती है, एमएलएज को सुविधा मिलती है।

श्री सभापति: रामनारायणजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इनका यह कहना न्यायसंगत नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, बिना पैसे टके के यह कह रहे थे कल्लाजी कि सलाह दे रहे हैं, पैसा टका सरकार देती है, सब सुविधा देती है इसलिए यह कहना उचित नहीं है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सभापति महोदय, क्या राजस्थान की विधान सभा में भी सुझाव पैसे टके लेकर दिये जाते हैं...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं बोर्ड का मैम्बर हूं ...(व्यवधान) पैसा दिया है यह बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): राजस्थान की विधान सभा में भी सुझाव पैसे टके लेकर दिये जाते हैं? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। सरासर असत्य ...(व्यवधान) मैं बोर्ड का मैम्बर रहा हूं इतना पैसा दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया अजमेर विश्वविद्यालय को इन्होंने कुछ नहीं दिया।

श्री सभापति: यह तो ...(व्यवधान) रोज ही कहते हैं, विराजिए आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इतना असत्य बोल रहे हैं यह देखिये तो, इनको कहिये।

श्री सभापतिः इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया यह तो रोज ही कहते हैं, विराजिए आप। रामनारायणजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को तो मुख्य मंत्रीजी की चिंता है नहीं। तीन बजे जाना है। इनको तो कम से कम, शांत रहे, तुरन्त अपनी बात कहकर टाइम पर खतम हो काम।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने पेश किया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत हंसमुख आदमी है।

श्री सभापतिः अब इसमें तो क्या विशेष.....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मन में इनके क्या है चेहरे पर क्या है यह मुझे आज दिन तक पता नहीं चला, वर्षों से इनसे संबंध है, जान पहचान है। शिक्षा मंत्रीजी कृपा करके आप मन में कुटिलता क्यों रखते हो। यह मन में

(श्री रामनारायण मीणा)

कुटिलता उजागर हो रही है। आप देखिये विश्वविद्यालय की स्वायत्ता अहम हुआ करती थी जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, याद करिये। आप विश्वविद्यालय की स्वायत्ता खतम करने जा रहे हैं। सरकारी नियन्त्रण कालेज पर तो होती हैं, सरकारी नियन्त्रण के बाहर होते हैं विश्वविद्यालय। माननीय सभापति महोदय, आपने तो दिल्ली भी देखी है, जयपुर भी देखा है लेकिन ऐसी सरकार कभी देखी है आपने, आप बताइये मेरे को। ऐसी स्थिति जहां स्वायत्ता खतम की जा रही हो, कन्ट्रोल किया जा रहा हो, मन में मेल है, कहीं कुटिलता है, यह मेरा आपसे अर्ज करना है। माननीय सभापति महोदय, यह कुलपति की स्वतंत्र भावना का निरादर है और कुलाधिपति पर कण्ट्रोल हो, सारी व्यवस्था ही खतम हो जाएगी आपकी।

माननीय कल्ला साहब अभी फरमा रहे थे सरकारी नियन्त्रण के लिए आपने यह विधेयक पेश किया। स्पष्ट भाषा में आपको बोलना चाहिये। कुलाधिपति के ऊपर कण्ट्रोल, कुलपति की जांच करके हटाने के बारे में आपका यह संशोधन आया है, पहले तो हाईकोर्ट जज करता था, आप कुलाधिपति से हटवा लोगे, आप कण्ट्रोल फाइनेंस पर करने जा रहे हो, कन्ट्रोल नीति पर करने जा रहे हो, फिर स्वायत्ता कहां रह जाएगी। मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा लेकिन जो दुर्भावना मन में है। हाईकोर्ट जज पर आपको क्या विश्वास नहीं है, कुलाधिपति पर आपको विश्वास नहीं है और कुलपति के बारे में मानकर चलते हैं, अक्षम है, यह क्या स्थिति बन रही है। मैं ज्यादा नहीं कहकर ...(व्यवधान) जहां तक ख्याल है मेरा कण्ट्रोल है, जिनका नहीं है उनको पहले चेहरा नीचे करके बात करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, यह गुर्जर साहब मेरे पुराने परम मित्र हैं जो आपके कार्यकर्ता हैं इनसे कहिये बोलने दे। हम तो सीखने आये हैं विधान सभा में। आप हमें नहीं राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं और जब गुमराह कर रहे हैं तो स्वायत्ता खतम करने जा रहे हैं। हाईकोर्ट जज के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। जैसा मैंने कहा है, अब राज्य सरकार ने, कभी किसी भी स्टेट में दो सदस्य नोमीनेट करने का प्रोवीजन है क्या, क्या राजस्थान इतना फारवर्ड हो गया कि दो सदस्यों के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा आपसे अर्ज करना यह है इन्होंने साफ-साफ लिखा है 31 में ‘‘राज्य सरकार का नियण्त्रण विश्वविद्यालय में नियुक्तियां, पदोन्नतियां, परिलब्धियों पर मंजूरी अन्य वित्तीय विषयों से संबंधित मामले राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों यदि कोई हों, के

(श्री रामनारायण मीणा)

अध्याधीन होंगे'', फिर आप इसको गवर्नमेंट कालेज बना दीजिए ना, क्यों आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पैसा लेते हो? बार-बार कहते हैं दिल्ली को देखो, दिल्ली को क्या देखें, यह राजस्थान विधान सभा है। दिल्ली को देखो, मेघालय को देखो भगवान का रट लगाते हो जैसे दिल्ली की रट लगाते हो। मैं ज्यादा नहीं जानता आपकी जितनी बड़ी अक्ल नहीं है, कृपया वास्तविकता को समझो।

सरकार आती रहती है, जाती रहती है। अभी माननीय उद्योग मंत्रीजी, चिकित्सा में क्या किया, उद्योग में क्या किया मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन इतनी उम्र है उतने वर्षों से तो पहाड़ियाजी राजनीति में हैं इसलिए मेरा तो अर्ज करना है। पहली दफा जीतकर आ गये भगवान बन गये, भगवान मत बनो, गणेशजी को पूजना पड़ेगा भगवान बनोगे तब भी इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे अर्ज करना है कि आप कृपा करके, आपके माध्यम से हम भावना माननीय शिक्षा मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा मंत्रीजी आपको आदेश मिल गया, समय ही नहीं है सरकार के पास तो ...(व्यवधान) नाम तो लिया होगा ना आपका यह कर दिया। आपने उसमें अक्ल नहीं लगाई, समझदारी नहीं लगाई। आप यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट रहे हो, आप विश्वविद्यालय के बारे में जानते हो, आप कालेज के बारे में जानते हो इसलिए कॉलेज बनाने जा रहे हो, स्वायत्ता खतम करने जा रहे हो। कुलाधिपति, अधिकारियों का हनन करने जा रहे हो और कुलपति को चपरासी और गुलाम बनाने की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जो नीतियां लागू की जा रही हैं सरकार की, उसको रोकने का समय है शिक्षा मंत्रीजी, यह काला कानून है इस बात को छात्र जानेंगे, और सारी जनता जानेगी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कृपा करके इसको विदड्रा कीजिए या दुबारा से संशोधन लाकर कुछ करिये।

(समय : 14.47 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

बार-बार हम यह सुनने के आदि नहीं हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। सन् *77* में जनता पार्टी नहीं आती तो आज हिन्दुस्तान इससे चौगुना तरक्की करता यही मुझे कहना है, आप सब को धन्यवाद।

(श्री रामनारायण मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप पधार आये हो इसलिए एक ही बात कहनी है और कहना है कि स्वायत्ता खतम की जा रही है, कुलपति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुलपति को पंगु बनाया जा रहा है, सरकारी नीतियां थोपने के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा है इसको विदड्रा करने के लिए इनको आदेश करें, मेरी यही भावना है, यही सदन की भावना है।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना से परिचित हूं मैं बिल्कुल एक दो मिनिट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बहुत बढ़िया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक 2008 में हमने किया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा एक तरफ तो 73वें संविधान संशोधन के बाद में चाहे चुनाव आयोग हो चाहे पंचायती राज संस्थायें हों, चाहे नगरपालिका संस्थायें हों हर जगह हम ओटोनोमी देने की बात कर रहे हैं यह ऑटोनोमी होने चाहिये। स्वायत्ता इनको होनी चाहिये और दूसरी तरफ इस कानून के संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार जिस विश्वविद्यालय को आज से नहीं आजादी से पहले से यह प्राप्त थी स्वायत्ता ओऑनोमी होनी चाहिये। 1946 से आज तक कभी कोई ऐसी स्थिति हुई राजस्थान विश्वविद्यालय में कि आज यह आवश्यकता पडी कि राजस्थान सरकार उस पर अपना नियन्त्रण करना चाहती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो कानून सरकार बनाने जा रही है, शिक्षा मंत्री महोदय आप भी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अध्यक्ष रहे हैं इस पर आप मनन कीजिए। यह बिल्कुल यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अंकुश बनाने जा रहे हैं, राजनीति में आप देख रहे हैं, आप तो तीसरी-चौथी बार एम.एल.ए. बने हैं, पहली बार मंत्री बने या दूसरी बार बने, कितनी हैसियत है और क्या चलती है विधायकों की और मंत्रियों की आपकी सरकार में चली है क्या, यह गृह मंत्रीजी बता दें। अधिकारियों को जो आप अधिकार दे रहे हैं यह मंत्रिमण्डल और एमएलए का अधिकार नहीं चलेगा इसमें । जो अधिकारी सुझाव देगे मुख्यमंत्री को वो ही सुझाव चलेंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। दूसरी बात यह कहना

(श्री जुबेर खान)

चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट भाषण में कहा था भरतपुर में महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, अलवर में राजऋषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और शेखावाटी में शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, क्या हुआ उन विश्वविद्यालयों का ...(व्यवधान) कब बनेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जल्दी से जल्दी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अन्त ही आता है, जल्दी कभी नहीं आयेगी।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों को, राजकीय महाविद्यालयों को जिस तरह से आज कम्पीटीशन का जमाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। हर महीने एक नई यूनिवर्सिटी यहां राजस्थान में खुल रही है और आपने यहां पर पिछले सत्र में नये विश्वविद्यालयों के विधेयक पास कराये हैं। अगर आप इसको पंगु बना देंगे, ये कैसे कम्पीट करेंगे। जो एक गौरवशाली इतिहास है राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का, आप इसको ऐसे कर देंगे तो लोग एडमिशन लेने के लिये भी तब आएंगे जब कहीं इनको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, कोई जल्दी नहीं है। जब 64-65 साल से यह विश्वविद्यालय इसी अधिनियम के तहत चल रहे हैं, इसी कानून के तहत चल रहे हैं, अब इसमें जल्दी मत करिये, इसको जनमत जानने के लिये भेजिये या प्रवर समिति को सौंपिये। जिस तरह से गृह मंत्रीजी ने नया पुलिस एक्ट बनवाया है यहां सलेक्ट कमेटी में हर तरह के सुझाव आकर एक काम्प्रहैसिव एक्ट बनाने की कोशिश की है, उसी तरह से आप विश्वविद्यालयों का आगे से क्या करना चाहते हैं उसको या तो जनमत जानने के लिये भेजिये, अगर जनमत जानने के लिये भी नहीं भेजते हैं तो आप प्रवर समिति को सौंप दीजिये ताकि आराम से मनन हो सके, अध्ययन हो सके और उसके बाद कोई बिल आयेगा तो बहुत उचित रहेगा। इसलिये इस बिल को शिक्षा जगत में स्वायत्ता के ऊपर, आटोनॉमी के ऊपर एक काला अन्धा कानून आप बनाने जा रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जब बोलना प्रारम्भ किया तो मैंने देखा कि कोई बहुत

(श्री कालीचरण सर्राफ)

ही बढ़िया रचनात्मक सुझाव ये देंगे। परन्तु इनके भाषण से ऐसा लगा कि जब ये सत्ता में होते हैं तब तो यह दूसरे प्रकार की बात करते हैं और जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो यह दूसरी प्रकार की बात करते हैं। अभी ये यहां पर स्वायत्ता की बात की गई।

श्री अध्यक्ष: यह तो माननीय मंत्रीजी, सभी करते हैं। यह तो आप, हम सब करते हैं ना।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): स्वायत्ता की बात की गई तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी यह कहा, नहीं करना चाहिए, इन्होंने अभी यह कहा कि यह संशोधन आ गया तो सारी स्वायत्ता समाप्त हो जाएगी, सब नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी। तो कल्ला साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कोटा यूनिवर्सिटी और बीकानेर यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। आपने की थी। तो आपने उसमें कुलपति चयन समिति में राज्य सरकार के दो व्यक्तियों का मनोनयन का प्रावधान रखा कि नहीं रखा, नाड़ हिलाने से थोड़े ही होगा, आपने रखा। हम तो केवल जितनी यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हैं उनमें समानता आये। किसी में दो व्यक्ति, किसी में एक व्यक्ति, किसी में कोई नहीं, तो हम तो यह चाहते हैं कि सब में दो व्यक्तियों का मनोनयन राज्य सरकार की तरफ से हो। अब इसमें स्वायत्ता का हनन कैसे हो गया। आपने किया तब तो स्वायत्ता का हनन नहीं हुआ। और हमने कर दिया तो स्वायत्ता का हनन हो गया, कल्ला साहब, इसलिये मैंने कहा कि सत्ता में जब आप रहते हैं तो आप दूसरी प्रकार की बात करते हैं और जब आप सत्ता में नहीं रहते तो आप दूसरी प्रकार की बात करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो हम संशोधन लाये हैं कि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर की जाए। आपने कहा कि इससे स्वायत्ता का हनन हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को छोड़कर यह प्रावधान जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान में, चाहे वह अजमेर की हो, चाहे बीकानेर की हो, चाहे उदयपुर की हो, सब यूनिवर्सिटीज में यह प्रावधान है। तो यह प्रावधान हम तो नहीं लाये, यह आप ही लाये होंगे। जब बाकी सब में यह प्रावधान है, यह यहां हो जाएगा तो कौनसा पहाड़ टूट जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह कहना स्वायत्ता पर प्रहार किया जा रहा है, यह बिलकुल कपोल कल्पित है। हमारी सरकार राजस्थान के जितने भी

(श्री कालीचरण सर्राफ)

विश्वविद्यालय हैं उनको शैक्षणिक स्वायत्ता मिले इस बात की पक्षधर पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी प्रकार से जो तीसरा हम संशोधन लाये हैं वह लाये हैं कि राज्य सरकार की सलाह पर, कुलपति यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसको पदच्युत करने का प्रावधान हमने इस बिल में किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है। तो वहां जब यह प्रावधान है और वहां जब स्वायत्ता में कोई गड़बड़ नहीं होती तो यहां राजस्थान के मापदण्ड दूसरे और महाराष्ट्र में दूसरे। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है ना, तो वहां जब यह प्रावधान है और यहां प्रावधान आ जाएगा तो इससे क्या पता क्या हो जाएगा। तो कल्लाजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई वाइस चांसलर वित्तीय अनियमितता करता है, निरंकुश होता है और उसको यदि सरकार की सलाह पर चांसलर महोदय हटा दें तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। इसी प्रकार हम जो चौथा अमेंडमेंट लाये हैं वह लाये हैं विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां करना, परिलब्धियां देना और अन्य वित्तीय प्रकरणों में राज्य सरकार की नीतियां और दिशा-निर्देशों को प्रभावी करने हेतु राज्य सरकार के नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित किये जाएं। आपको पता है विश्वविद्यालय के कुलपति की अनियमितताओं की शिकायतें कई बार आती हैं। सिंडिकेट की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, वित्तीय अनियमितताएं करते हैं। हमारा उस पर अंकुश नहीं रहना चाहिए। यह विधान सभा जनता द्वारा चुनी हुई है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार, यदि वो वित्तीय अनियमितताएं करता है और उसमें अपना अंकुश रखती है तो इसमें कहां स्वायत्ता भंग हो रही है। हमने यह नहीं कहा कि वह सिलेबस क्या बनाता है उसमें हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए। वह किस प्रोफेसर को नियुक्त करते हैं उसमें हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, हमने यह नहीं कहा। हमने तो केवल यह कहा है कि यदि वह कोई गड़बड़ी करता है तो उसको हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बाकी यूनिवर्सिटीज में है। और बाकी आपने कहा, यहां पर बातें कहीं कि विश्वविद्यालय खोल दिये उसमें कोई, कुछ नहीं किया तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, कल्ला साहब, बीकानेर और कोटा यूनिवर्सिटी आपने अपने समय में प्रारम्भ की थी और उस समय केवल परीक्षा आयोजित करना आप लोगों ने उनके सुपुर्द किया था, कोई एक प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया, कोई आपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दोनों विश्वविद्यालयों में 5-5

(श्री कालीचरण सर्राफ)

पद प्रोफेसर और 5-5 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत कर दिये गये हैं। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये निरन्तर विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा जा रहा है। इन पदों की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर और पदों की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा, नम्बर-एक। अब आपने कहा कि आपने उनको एक पैसा भी नहीं दिया। आप बोलते हैं ना ध्यान में नहीं रखते कि क्या बोले। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कल्ला साहब, कि राज्य सरकार द्वारा कोटा और बीकानेर के विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण के लिये पिछले वर्षों में कोटा विश्वविद्यालय को 425 लाख यानी 4 करोड़ 25 लाख रुपये और बीकानेर विश्वविद्यालय को 378 लाख रुपये हमने दिये हैं और इस वर्ष भी 2008-09 में भवन निर्माण के लिये राशि स्वीकृत की गई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कितनी की है?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह मेरे पास फिगर्स नहीं हैं, मेरे ख्याल से एक्जेक्ट तो नहीं हैं लेकिन 90 लाख के लगभग हैं। इसी प्रकार से इस राशि के अतिरिक्त पदों के वेतन और भत्तों पर जितनी भी राशि खर्च की गई है उसका भुगतान भी हमने किया है। अब तीसरी बात आप बोले कि बजट भाषण में ...(व्यवधान) सुनो, सुनो, मेरी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दो, साढे चार साल में एक भी लेक्चरर वहां आपका काम कर रहा है क्या। एक लेक्चरर, विश्व में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जहां एक भी लेक्चरर नहीं है। बीकानेर विश्वविद्यालय में एक भी लेक्चरर नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बीकानेर विश्वविद्यालय में टाइम लगेगा, विराजिये आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब ये कह रहे हैं कि मैंने पांच प्रोफेसरों के पद स्वीकृत कर दिये, अब वे कब लगेंगे। अब प्रोसेस इतना लम्बा है, 6-8 महीने तो लग जाएंगे। मतलब साढ़े चार साल में एक लेक्चरर नहीं लगाया। हमने तो जिस समय यूनिवर्सिटी बनाई थी उसके बाद में 4-5 महीने में तो चुनाव ही हो गये थे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये। जब आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि अलवर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा, भरतपुर में विश्वविद्यालय खोला जाएगा और

(श्री कालीचरण सर्राफ)

शेखावाटी में विश्वविद्यालय खोला जाएगा, बिलकुल घोषणा की है। हम हमारे वादे पर कायम हैं। इसी सत्र में तीनों विश्वविद्यालय निश्चित रूप से खोल दिये जाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सत्र खतम हो रहा है, कब खोल दोगे आप? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये आप। बिलकुल खोल दी जाएगी और आपने तो एक-एक करोड़ रुपया दिया था यूनिवर्सिटी खोली तब, हम एक करोड़ रुपया नहीं देंगे, हम आपसे ज्यादा राशि देंगे। हम आपसे ज्यादा देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या देंगे?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): अब कितना देंगे यह तो मैं अभी नहीं बताऊंगा पर आपसे ज्यादा देंगे। निश्चित रूप से उससे ज्यादा राशि हम देंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जनमत जानने के लिए इन्होंने जो प्रस्ताव किया है यह बिलकुल, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको इसके लिए, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित नहीं किया जाए, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, डाक्टर बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ शिक्षा मंत्री): अब हो गया, साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-(2)(i)(iv) प्रयुक्त शब्द 'दो व्यक्ति' के स्थान पर 'एक व्यक्ति' प्रतिस्थापित किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तीन बज गये हैं। तीन बज गये हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बिलकुल शॉर्ट में, बिलकुल खण्डश: ही बात करूंगा।

मेरा यह कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए हमेशा चांसलर्स का एक नामिनी सिंडिकेट या बोर्ड आफ मेनेजमैंट का एक नामिनी और एक गवर्नमैंट नामिनी और एक यू.जी.सी. नामिनी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आई.सी.ए.आर. का एक नॉमिनी होता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी तो एक विधेयक और बाकी है। क्या कर रहे हो आप, तीन बज गये हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उसमें कोई संशोधन नहीं आये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तमाम विश्वविद्यालयों में इन्होंने संशोधन करके दो-दो आदमी गवर्नमैंट के नामिनी लगा दिये हैं। अब इसमें एक तरीके से तीन आदमी सरकार के होंगे। एक तो बोर्ड आफ मेनेजमैंट और सिंडिकेट में एक आदमी का नामिनेशन करती है राज्य सरकार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज में तो तीन ही नहीं, पांच हुए हैं, मैंने देखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, तो इस तरीके से यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं का ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वहां के जो स्पीकर का नामिनेशन था उसको भी ले लिया ... (व्यवधान) पांच हो गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): स्वायत्तशासी संस्थाओं का सरकारीकरण कर रही है इसलिए मैं यह कहता हूं कि गवर्नमैंट का नामिनी एक ही रहना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी की आटोनामी बनी रहे। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब में, अपनी रिप्लाई दी उसमें खास तौर से यह नहीं बताया कि आपने बीकानेर विश्वविद्यालय में एक भी लेक्चरार का पद साढ़े चार साल में स्वीकृत किया है क्या और एक करोड़ से ज्यादा कितनी ग्रांट दी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपने। रकरिंग ग्रांट कितनी दे रहे हो आप? इसका पूरा खुलासा करो तो आपकी पोल खुल जाएगी। हमने तो इनिशियल स्टेज पर एक करोड़ रुपये दिये थे और आप यूनिवर्सिटी, साढ़े चार साल से काम कर रही है ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैंने बताया न यह। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसमें आपने रकरिंग एक्सपेंडिचर पिछले चार साल में प्रतिवर्ष कितना-कितना दिया, बता दें आप। आपका पता लग जाएगा। कोटा को प्रतिवर्ष कितना दिया? अजमेर को प्रतिवर्ष कितना दिया? पता लग जाएगा कि हमने एक-एक करोड़ रुपये से जो यूनिवर्सिटीज शुरू की थी, उसको आपने बाद में अगले वर्षों में कितना-कितना इन यूनिवर्सिटीज के लिए योगदान दिया और अब आप तमाम विश्वविद्यालयों में सारी जगह दो-दो आदमी गवर्नमैंट के नामिनी जो लगा रहे हैं इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि यह सरकारीकरण है और यूनिर्विसिटी की स्वायत्ता को भंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं एक मिनट में कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब तो आप क्षमा करो। आज मुख्य मंत्रीजी को जाना है और मुझे भी जाना है, अब आप क्षमा करो। क्या बोलेंगे अब आप? अब रहने दो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है, इन्होंने एक कौडी नहीं दी और यह यहां पर +++ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हां, इन्होंने कुछ नहीं दिया, अब आप बोलो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): +++ शब्द असंसदीय शब्द है। इसको निकाला जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): +++ शब्द असंसदीय है, असत्य कहो।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल देंगे, आपको क्या कहना है? ... (व्यवधान) निकाल देंगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): एक कौड़ी नहीं दी। बिलकुल असत्य बोल रहे हैं, बिलकुल असत्य। बिलकुल असत्य बोल रहे हैं यह। (व्यवधान) बिलकुल भी निर्माण कार्य ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह असंसदीय शब्द है, आप पहले बोलना सीखें। विधान सभा में बोलना कैसे होता है, यह सीखकर आयें। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निकाल देंगे। निकाल देंगे। निकाल देना।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हम मारवाड़ी भाषा में उसको +++ और असत्य, एक ही कहते हैं। क्या बात कर रहे हो माननीय आप? इतनी +++ ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे बारे में असत्य बोलेंगे तो पाप लगेगा और तुरन्त चमत्कार मिलेगा, यह और ध्यान रख लेना ... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं सही कह रहा हूं, यह मैं सही कह रहा हूं कि आपने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये आप। अब आप भी विराजिये न किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि दो की जगह एक व्यक्ति नामिनेट होना चाहिए तो हमने तो आपकी बात का अनुसरण किया है। आपने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप उनका अनुसरण नहीं करें। नहीं तो गलत काम हो जाएगा बहुत। मत करो अनुसरण। मत करना।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये-सुनिये। ऐसा है कि 2003 में जो आपने कोटा और बीकानेर यूनिवर्सिटी में, जो अधिनियम में दो व्यक्तियों के नामिनेशन की बात कही थी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनकी हालत हुई वह आपकी हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हम तो उनमें समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए बाकी यूनिवर्सिटीज में भी दो व्यक्तियों का नामिनेशन हो, इस बात का प्रावधान किया है और मेरे ख्याल से दो व्यक्तियों का नामिनेशन होना बहुत आवश्यक है इसलिए इनका संशोधन खारिज किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई लाजिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, कोई लाजिक नहीं। ठीक है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन डाक्टर बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 17 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 17 स्वीकार किये गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): खण्ड-2 में मैंने संशोधन दिये थे। उसके बारे में आपने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: खण्ड-2 में बोल तो दिये आप और क्या करेंगे अब आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, विधेयक के खण्ड-2 (ii) की विद्यमान उपधारा-8 के पश्चात् और यह, यह दो संशोधन और थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक साथ रखना चाहिए था। नहीं, खण्ड-2 में बोल तो दिया। खण्ड-2 में जब था तो आपको एक साथ रखना चाहिए था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो अलग-अलग है। 2 (i) (iv) का बोला था, उसके बाद में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, अलग-अलग नहीं होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलिये, मैं पारण के वक्त बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, फिर कह देना आप।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

अब आप पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

विधेयक का पारण

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो परम्परा प्रारम्भ की उसको आगे बढ़ाने का काम किया है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बिल पर, आप यह देखें- " … to amend the University of Rajasthan act, 1946, …" This Act is of 1946. बाकी जो यूनिवर्सिटीज " .. the Jai Narain Vyas University Act, 1962, the Mohan Lal Sukhadia University Act, 1962, the Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987, the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987, the Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987, The Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur Act, 2000, the University of Bikaner Act, 2003 and the University of Kota Act, 2003." माननीय अध्यक्ष महोदय, 1946 से 1962 तक किसी भी सरकार ने विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के अपाइंटमैंट के संबंध में जो एक्ट 1946 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का बना, उसको टेम्पर करने का काम नहीं किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इस बिल के पीछे 1962 से लगाकर 2003 तक जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज बनीं, अलग-अलग समय में पर जो अमेंडमैंट हुए उस अमेंडमैंट की हिस्टोरीकल बैक ग्राउण्ड भी समझने की आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मुझे वह प्रिविलेज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1980 में भी एम.एल.ए. था, 1985 में भी एम.एल.ए. था, यह जो बिल में अमेंडमैंट आया, उसके पीछे जो हिस्टोरीकल बैक-ग्राउण्ड है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान के अन्दर गवर्नर महोदय थे ओ. पी. मेहरा साहब। तत्कालीन सरकार, जो हमारी सरकार थी, पी. एन. भण्डारी साहब को वाइस चांसलर बनाया था उदयपुर में

(डा. सी.पी. जोशी)

और ओ. पी. मेहरा साहब के और पी. एन. भण्डारी साहब के बीच में काम करने के जो तरीके में मतभेद था, उस मतभेद के बाद पहली बार यह अमेंडमैंट लाया गया कि वाइस चांसलर के अपाइंटमैंट में चांसलर स्टेट गवर्नमैंट की रिकमंडेशन पर अपाइंटमैंट करेगा। यह पहली बार हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहां से लगाकर आज तक जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, माननीय कालीचरणजी सर्राफ साहब, जिस विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट हैं, जिस विश्वविद्यालय की हिस्टोरीकल बेक-ग्राउण्ड है, जिस विश्वविद्यालय में, आजादी के पहले जिसका एस्टेब्लिशमैंट हो गया, जहां पर इस तरह के आदमी हैं, वाइस चांसलर हैं, जो रिनाउंड है, अपने-अपने फील्ड में। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का सीधा संबंध है। विश्वविद्यालय के एक्ट में सब प्रोविजन है। विश्वविद्यालय की आथोरिटी डिफाइन कर रखी है, विश्वविद्यालय के आफिसर डिफाइन कर रखे हैं, वाइस चांसलर के क्या पॉवर हैं, स्टेट आफिसर के क्या पॉवर हैं, कम्पट्रोलर के क्या पावर हैं, बोर्ड आफ मेनेजमेंट के क्या पावर हैं, सिंडिकेट के क्या पॉवर हैं, एकेडमिक कौंसिल के क्या पावर हैं, फैकल्टी के क्या पावर हैं, हर चीज विश्वविद्यालय में वैल डिफाइन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बोर्ड आफ मेनेजमेंट के पावर, जिस बोर्ड आफ मेनेजमेंट के कम्पोजिशन में सरकार के नोमिनी हैं, सीनियर लेवल के सैक्रेट्री हैं, फाइनेंस में आपका कम्पटोलर आफिसर है, आप अपाइंट करते हैं वहां पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर फैसले होते हैं। बोर्ड आफ मेनेजमेंट के आधार पर वाइस चांसलर फैसला नहीं करता है। वाइस चांसलर के पास इमरजेंसी पावर है, पर वाइस चांसलर फैसला इमरजेंसी पावर में करता है, तब भी उसको सिंडिकेट के अन्दर प्रस्ताव लाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीचरणजी सर्राफ साहब मुझे बतायें, यह स्वायत्तता पर कुठाराघात नहीं है। आप आज बोर्ड आफ मेनेजमेंट के पावर को करटेल नहीं कर रहे हैं। आप बोर्ड आफ मेनेजमेंट के जो नोमिनी हैं, उनके पावर को करटेल नहीं कर रहे? जो सरकार नोमिनी कर रही है, उनके पावर को करटेल नहीं कर रहे हैं। कम्पटोलर के पावर क्या हैं? वहां हमने वित्तीय नियन्त्रक क्यों बना रखा है? क्या वित्तीय नियन्त्रक के पावर बोलूं मैं? वित्तीय नियन्त्रक की जिम्मेदारी बनती है कि वित्तीय नियमों का पालन किया जाये। वित्तीय नियमन की व्यवस्था उनका पालन करने में यदि कोई काम नहीं है तो वोट आफ डिसेंट लगाये, मुझे बतायें आज दिन तक जो स्थिति बनी, उसमें कितने कम्पटोलर को इस तरह की

(डा. सी.पी. जोशी)

सूचना लेकर बदलने का काम किया। जितने सेक्रेट्री हैं, हायर एजूकेशन सैक्रेट्री उसका मैम्बर है, क्या उस सैक्रेट्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार के नोटिस में चीजें लाये। क्या सरकार के पास यह पावर नहीं थी कि वह एक विजिटिंग इंसपेक्शन करवा कर अपनी बात को वापस यूनिवर्सिटी में लिखे। चांसलर के नोटिस में लाये। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के एक्ट में सारे प्रोविजन एग्जिस्टेंस कर रहे हैं। आप यह काम क्या करना चाहते हैं, यह भी समझने की आवश्यकता है। भैरोंसिंहजी शेखावत भी मुख्य मंत्री रहे हैं। आज वसुन्धराजी भी मुख्य मंत्री हैं। पूरी कोशिश कर ली, हमने राजस्थान विश्वविद्यालय का उप कुलपति चांसलर ने अपनी मनमर्जी से नियुक्त किया है। आज इन सब विश्वविद्यालयों में, जिसमें कल्ला साहब का नाम लेकर आप कह रहे हैं एक राजस्थान विश्वविद्यालय में उस चांसलर की विजडम को करटेल करने के लिये आप यह पावर लाना चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन पर करेगा। राइट फ्रोम 1946 टू 2008, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर अपाइंट हो रहे हैं, इसमें स्टेट की रिकमण्डेशन नहीं थी अध्यक्ष महोदय। मुझे बतायें कि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन के बाद जिस तरह से वाइस चांसलर के अपाइंट हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन के बिना जिस तरह के राजस्थान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, उन दोनों के बीच में कोई अन्तर था क्या? हम वापस दुबारा इस अन्तर को रोक पायेंगे? क्या हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के नाम पर हम अपनी मनमर्जी के वाइस चांसलर अपाइंटमेंट करें। अब वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंडिकेट का नोमिनी होता है, चांसलर का नोमिनी होता है, जो फंडिंग एजेन्सी है, यूजीसी है तो उसका नोमिनी होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो आई.सी.आर. का नोमिनी होगा। मेडिकल है तो उसका नोमिनी होगा, लेकिन यहां पर हम इनके अलावा दो आदमी और सरकार के नुमाइंदे नोमिनेट करना चाहते हैं। एक तरफ तो हम पावर ले रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन पर चांसलर नोमिनेट करेगा, दूसरी तरफ हमें यह भी विश्वास नहीं है कि जो तीन आदमी अलग-अलग एजूकेशनिस्ट होंगे, अलग-अलग फण्डिंग एजेन्सी के आदमी होंगे, उन तीन आदमियों के पैनल को भी इन्फ्लुएंस करने के लिये हम दो आदमी को और नोमिनेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह दोनों अलग-अलग चीजे हैं। यदि आपको भी स्टेट गवर्नमेंट के रिकमण्डेशन के प्रपोजल को हाथ में

(डा. सी.पी. जोशी)

रखना है तो वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में दो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनकी आवश्यकता बिलकुल नहीं है। एक पैरिटी करना चाहते हैं, अच्छे काम से पैरिटी करें। एक्सीलेंसी के काम से पैरिटी करें। हमने गलत काम किया, वह आपका रेफरेंस है। आपने दो आदमी किये, इसलिए हम भी दो आदमी कर रहे हैं। मैं समझता हूं रेफरेंस तो हायर होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, न तो यह काम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट है, न विश्वविद्यालय के जितने भी एक्ट हैं, वह उठाकर देख लें। मैंने देखा है सब में। विश्वविद्यालय के जो पावर हैं, अब अच्छा होता कि कहीं बोर्ड आफ मेनेजमेंट हैं, बोर्ड आफ मेनेजमेंट को ठीक करते। कहीं पर सिंडिकेट में दूसरा नाम दे रखा है, उसको ठीक करते। लेकिन आप वहां पर यह काम नहीं करके आप वहां पर सरकार में इन्टरफ्लुएंस करना चाहते हैं। आपने पढ़ा वाइस चांसलर के रिमूवल के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं यह जब जवाब दें तब आप बतायें कि 1946 से राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्ट में इन रेफरेंस के आधार पर परिवर्तन करने का काम क्यों कर रहे हैं? अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट हुए। एक ही अन्तर है 1946 के राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन नहीं है। जितने भी वाइस चांसलर के नाम लिये, यूनिवर्सिटी में उन सबमें स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन का आलरेडी प्रोविजन है। इसका सीधा मतलब है यह सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय के जो एकेडमिक स्वायत्तता का सेंटर रहा है, उसमें इन्टरफियरेंस करके वहां पर भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के नाम को करना चाहती है। यह क्लियर कट माननीय अध्यक्ष महोदय, चांसलर की विजडम पर क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि चांसलर के ऊपर यह व्यवस्था बननी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलेशन गवर्नमेंट है, किसी सरकार में कोई भी गवर्नर बन सकता है। आज आप प्ली ले रहे हैं कि वहां पर वाइस चांसलर पर बैठा आदमी हम हटा नहीं सकते कि पालिटिकल गवर्नमेंट कहीं एन डी ए की आ गयी, कहीं यू पी ए की आ गयी। उनके नोमिनी गवर्नर बन जायेंगे तो फिर कल तो यह मांग करेंगे कि उसको भी हटाया जाये । वहां पर वह आदमी चांसलर नहीं रह सकता है। मैं अच्छा समझता कि आप तो आजकल एक नया इतिहास बना रहे हैं। एक नया इतिहास कल भी बनाया। एक इतिहास और बना दीजिये। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को लिखकर भेजिये कि जब-जब सरकार बदलेगी, तब-तब चांसलर को भी बदलना जरूरी होगा और चांसलर को नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

बदलेंगे तो चांसलर काम नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं हम किस तरह की परम्पराओं का निर्वहन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने-पढ़ाने वाले राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। बड़ी स्वायत्तता की मांग करते रहे थे और सरकार में आने के बाद उसका गला घोंटने का काम जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी का किया, इतिहास में याद रखेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में स्टेट की इन्टरवेंशन करने का काम किया। अच्छा है, करिये। एन के जैन का टाइम तो अभी बाकी है। यह हथियार किसी के हाथ में देकर जा रहे हैं। इस हथियार को लाने के बाद में आपको मालूम है कि यह हथियार अपन भी यूज नहीं करेंगे, दूसरा आदमी भी यूज कर सकेगा। आज कालीचरणजी सर्राफ उदाहरण दे रहे थे कल्ला साहब का कि आपने जो नोमिनेट किया, वह हमने काम किया है। फिर कल खड़े होकर कालीचरणजी सर्राफ राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर के नेता बनने के बाद सरकार के सामने प्रश्न मत उठाना कि सरकार ने यह काम कैसे किये हैं? जो अपन गांठे लगा रहे हैं, उन गांठों को खुद को खोलना पड़ेगा और खुद को खोलने का काम नहीं किया तो ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिये आपने प्रस्ताव तो पास करवा दिया, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों को इन्टरवीन करने का काम, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अच्छा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं आपने डिस क्वालिफिकेशन में जो बातें लिखी हैं, वह डिस-क्वालिफिकेशन में फाइनेंशियल यदि उसकी इन-प्रोपराइटी है, दूसरी चीजें हैं, यह कारपोरेट सैक्टर में समझ में आता है, एक कम्पनी में समझ में आता है। लेकिन विश्वविद्यालय में यह चीजें लागू नहीं होती हैं। बीमार है, हटा दें, लेकिन आपने एक जो फोर्थ क्लाज है, उसमें एक पार्ट ऐसा लिखा है जो कोई भी सरकार यूज कर सकेगी। आपने लिख दिया उसमें, ई पार्ट में लिखा है "has willfully omitted or refused to carry out the provisions of this Act or has abused the powers vested in him or is guilty of misconduct or dereliction of his duties;" यह ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, जिसको सब्जेक्टिव असेसमेंट ऐसे सरकार करेगी कि आपने अपने कर्तव्य को निर्वहन करने का काम नहीं किया है, यह निर्वहन करने के लिये मैं आपको नोटिस देता हूं, आप जवाब दे दीजिये। और जवाब देने के बाद मुझे फैसला

(डा. सी.पी. जोशी)

करना है कि हटाना है आपको। आप जवाब से कोई मेंडेटरी नहीं हैं। जवाब देने के बाद मुझे कुछ काम करना है। मैं समझता हूं घनश्यामजी तिवाड़ी बहुत अच्छा है आपकी भी उम्र कम है, मेरी उम्र भी कम है। विधान सभा में यही आयेंगे और अभी जो आर एस एस के आदमी को वाइस चांसलर बना रहे हैं, उनको हटाने के लिये आप हमको हथियार दे रहे हो। उस हथियार का हम पूरा उपयोग करेंगे और आपको करके बतायेंगे कि कैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने वाइस चांसलर बनाया है, वह आगे जाकर काम करे, यह मैं आज आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं। इस मुंगेरी लाल के सपने में नहीं रहें कि राज हमारा आ रहा है, हम जिसको चाहेंगे, उसको वाइस चांसलर बना देंगे। पर यह याद रखना राजस्थान की जनता चार महीने बाद फैसला करेगी। कांग्रेस का शासन आयेगा। यह जो आप व्यवस्था कर रहे हैं... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो-नो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आयेगा, No का सीधा संबंध है Go और Go में होगा, अध्यक्ष महोदय, आज मैं इतिहास में लिखाना चाहता हूं यह इतिहास नोट करें इस बात को कि कल की डेट में ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (पर्यटन मंत्री): राज करेगा खालसा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह राज करेगा खालसा नहीं है। यह मुख्य मंत्रीजी को शेल्टर देने के लिये एक राजपूत नेता हो सकता है, दूसरे राजपूत नेता उनके साथ नहीं है। अपने शेल्टर से मुख्य मंत्रीजी को चुनाव जिताओ। बाकी खालसा की बात मत करो। (व्यवधान) खालसा की बात तो अपने सामाजिक न्याय मंच पर हो चुकी है। आप तो मुख्य मंत्री को खालसा बनाकर चलते रहे। देवीसिंह भाटी जिंदाबाद, मुख्य मंत्रीजी जिंदाबाद। विधान सभा का पूर्व विधायक जिंदाबाद। (व्यवधान).. पूरा राजस्थान जानता है कि देवीसिंह भाटी (व्यवधान) जीत कर आया है ...(व्यवधान) सामाजिक न्याय मंच ने जिताया। (व्यवधान) देकर राजनीतिक ताकत देना चाहता है। राजस्थान की जनता जवाब देगी। अगले चार महीनों बाद हिसाब-किताब करना। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपसे विनम्र शब्दों में, अच्छा है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो 1946 का राजस्थान का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, उस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में यह अमेंडमेंट नहीं करें और यह गौरवशाली परम्परा रही है कि चांसलर महोदय वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की

(डा. सी.पी. जोशी)

बातों को मानते हैं, लेकिन इसको ओपरेटिव लिखकर दो आदमी नोमिनेट करके हम यह जो करटेलमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह इस विश्वविद्यालय के इतिहास में काला अध्याय रहेगा। गवर्नर ने, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सरकार के बहुत से बिलों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, इसलिये उनकी फंक्शनिंग को ब्लैक लिस्ट करने के लिये इस सरकार ने दूसरा तरीका निकाला है मैसेज देने के लिये, इसलिए हम इसका खुला विरोध करते हैं कि यह सरकार गवर्नर साहब का जो संवैधानिक पद है, उसका सम्मान करें, उनको करटेलमेंट नहीं करें, जिससे गलत सिग्नल नहीं जाये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं निर्णय करने से पहले गम्भीरता से सोचें। सलेक्ट कमेटी को रेफर करें और राजस्थान विश्वविद्यालय की परम्परा को बनाये रखें।

एक माननीय सदस्य: हमारे तगारामजी की बात सुनो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जोश में बोलते हुए बातें तो सब कह दीं परन्तु मैं उनको यह पूछना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आनन्द सिंह एक कुलपति हुआ करते थे और आपका ही जमाना था, आपकी सरकार थी, उन्होंने पर्चियों पर एपॉइण्टमेंट दे दिये थे। मुझे याद है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): जोशीजी, सुनो।

श्री अध्यक्ष: अब आप अपने बिल पर बोलो न (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उन्होंने एपॉइण्टमेंट किया, आप मुझे क्यों कहलवा रहे हो?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बैठिये, बैठिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कौनसी सरकार, किसने एपॉइण्टमेंट किया, मुझ से मत कहलवाओ। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजो तो सही। ठीक है, बैठिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्योंकि राठौड़ साहब बैठे हुए हैं, मुझे यह ज्यादा बुलायेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। (व्यवधान) जितना बोले हैं उतना ज्यादा बढ़ा है।

एक माननीय सदस्य: नहीं, बोलो, बोलो आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आनन्द सिंहजी इस दुनिया में नहीं हैं, भगवान के लिए उनका नाम नहीं लें तो अच्छा है। (व्यवधान) हम आपसे यह कहना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): मैं तो पूरा सम्मान करता हूं, उनके मरने के बाद उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके कृत्यों के बारे में इसी राजस्थान विधान सभा में लगभग चार घंटे तक बहस चली थी और सरकार ने यह कहा कि हम जिस प्रकार का भी एक्ट है उसमें उन्होंने जो जो मनमानियां कीं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उस समय के जमाने की बात और आज के जमाने के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा।

यह बात सही है कि उस समय जो कुलपति होते थे उनकी एक अलग प्रकार की गरिमा होती थी, एक अलग प्रकार की इज्जत होती थी और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से वातावरण परिवर्तित हो रहा है, इसी का परिणाम है कि जितनी भी नयी यूनिवर्सिटीज हमने खोलीं उनमें हम को अलग प्रकार के प्रावधान करने पड़े। और इसी बात को ध्यान रख कर और सब विश्वविद्यालयों के एक्ट में समानता रहे, किसी भी विश्वविद्यालय में पक्षपात नहीं हो, सब विश्वविद्यालयों के एक्ट समान हों इसलिए हम यह संशोधन लाये हैं।

जहां तक आपने कहा कि आप हमको हथियार दे रहे हो, तो यह तो मैं यही कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट। यह कह रहे हैं सब विश्वविद्यालयों में समानता ला रहे हैं, तो फिर कॉमन एक्ट का क्या हुआ? कॉमन एक्ट लेकर के आते आप। केवल मात्र वाइस चांसलर की नियुक्ति और उसको हटाने के लिये लेकर के ले आये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): विराजो आप। विराजो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कॉमन एक्ट क्यों नहीं लाये आप? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार चुनाव के बाद भी आप वहां बैठेंगे और हम यहां बैठेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) टिकट का फैसला करवा लेना ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): वो आप चिंता मत करो।

तो इन्होंने जो बात कही वह बिलकुल निर्मूल है ...(व्यवधान) यह सरकार शैक्षणिक स्वायत्तता विश्वविद्यालयों में रहे, इसकी पक्षधर पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए बिल को पारित किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): स्वायत्तता का तो गला घोट दिया आपने। यह विश्वविद्यालय था जो चांसलर, वाईस चांसलर की नियुक्ति करता था और वहां आपने स्वायत्तता का गला घोटा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया गया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम डिवीजन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन करवाइये। (व्यवधान) ना पक्ष जीता, माननीय अध्यक्ष महोदय, दोबारा से काल करिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम डिवीजन चाहते हैं। (व्यवधान) आप डिवीजन करवाइये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन करवाइये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो अध्यक्षजी को लगेगा तो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराइये नहीं तो बहिष्कार ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डिवीजन करवाइये बहिष्कार करेंगे ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गिनती कर लें आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप डिवीजन कराइये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वोट कराइये, वोट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं एक बार पुन: आपको गिन लेती हूं इधर और उधर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Right to demand a division is our right. We have a right to have a division. गिनना क्या होता है। यह हमारा राइट है ...(व्यवधान) डिवीजन करवाइये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा है, नहीं, मेरी सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई राइट नहीं है। अध्यक्ष जब चाहे जब एक बार वोइस वोट से पूछ सकता है और दो बार पूछ सकता है और इसके बाद भी अगर उनको यह लगता है कि अनावश्यक रूप से मत विभाजन की मांग कर रहे हैं तो वो स्वयं सारी स्थिति देख कर मत विभाजन के लिए मना कर सकता है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको क्या मालूम हो सकता है, उधर से भी कुछ माननीय सदस्य इसके खिलाफ वोट करें, यह डिवीजन में ही पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि मत विभाजन, खाम-खां समय लगेगा और आज समय की कमी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैसेज जाना चाहिए ...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि यह सरकार गवर्नर के पावर को कर्टेल कर रही है, इसमें मत विभाजन होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं एक बार पुन: वोएस से करवा लूं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डिवीजन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वोइस वोट की परम्परा रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम डिवीजन चाहते हैं, हम मांग कर रहे हैं डिवीजन की। हम डिवीजन की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, समय लगेगा, हम समय बचाना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह साफ दिख रहा है, दोगुनी संख्या में हम लोग बैठे हैं। यह दिख रहा है, आप अपनी नजरों से देख सकते हैं, दोगुनी से ज्यादा संख्या में हम बैठे हैं। वोइस वोट करवाइये आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, हमको डिवीजन बोलने की जरूरत ही नहीं है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): डिवीजन मांगने का हमारा अधिकार है। (व्यवधान) हम जानना चाह रहे हैं कि स्वायत्तता के पक्ष में कितने लोग हैं और स्वायत्तता के विपक्ष में कितने लोग हैं। हम डिवीजन क्लेम कर रहे हैं आपसे, यह हमारा अधिकार है डिवीजन क्लेम करने का। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): There is a provision of division. कानून है, नियम है, यह हमारा अधिकार है। यह बहुमत है आपको, सब को मालूम है, बहुमत सब को मालूम है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय, प्रथम खण्ड में 295 पेज पर, मत विभाजन की अनावश्यक मांग आसन द्वारा स्व-विवेक से नजरअंदाज की जा सकती है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह हम चाहते हैं कि गवर्नर को मालूम पड़े यह सरकार हमारे डिवीजन को नजरअंदाज कर रही है। हमारा अधिकार हम तो मांगेंगे, आप करिये आपको जो करना है, हमें क्या तकलीफ है। अधिकार को छोड़ेंगे क्या हम।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह मांगने का अधिकार आपका है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ही नजरअंदाज कर रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमें अधिकार है। (व्यवधान) हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, आप करिये आपको जो करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे मांग कर रहे हैं, उनसे तो मांग है ही नहीं हमारी। हमारा अधिकार है अध्यक्ष महोदय से पूछने का, हम डिवीजन मांग रहे हैं, वह उनकी इच्छा है जो कहे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह 52 में, 70 में बार-बार अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, आसन के विवेक से, आप थोप नहीं सकते। आसन यदि यह समझता है कि, हां, मत विभाजन कर सकते हैं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): थोप नहीं सकते तो यह निवेदन तो कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, निवेदन करिये, मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। मैम्बर नहीं हैं आपके पास। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमें क्या मालूम। मालूम है हमें, मालूम है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह परम्परा रही है कि आपके पूछने के बाद भी यदि सत्ता पक्ष या विपक्ष ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी पोल खुल जायेगी, आदमी नहीं हैं आपके पास।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमें मालूम है, पोल क्या खुलेगी, आपकी पोल ध्यान रखो। हमारी पोल तो हमें मालूम है, आपकी पोल का ध्यान रखो, हमारी पोल का क्या कर रहे हो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राजस्थान में यह मालूम होगा कि आपके पास 55 विधायकों में 35 थे यहां।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 15 हां, 15 हां, 5 हों, क्या तकलीफ है? हम तो यह प्रिंसिपल पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि यह सरकार जो गवर्नर के पावर्स को कर्टेल कर रही है उस पर डिवीजन करवा रहे हैं। यह हमारा अधिकार है। पांच आदमी हों, क्या तकलीफ है हमारे को। यह हमारा अधिकार है, उस अधिकार को उपयोग लेना चाहते हैं। (व्यवधान) लोगों को मालूम होना चाहिए इस कानून के, इस नियम के अन्तर्गत डिवीजन का मतलब क्या है। यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जोशीजी, ऊपर से आदेश आने वाला है, हटाये जाने वाले हो ...(व्यवधान) आप हटाये जाने वाले हो, प्रिंसिपल की बात करते हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदन की यह परम्परा रही है कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जब भी डिवीजन क्लेम मांगा गया है तो निश्चित रूप से आसन द्वारा डिवीजन के लिए व्यवस्था की गयी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और इस सदन में तो पहली बार डिवीजन हो रहा है, कम से कम आज अंतिम दिन में डिवीजन कैसे होता है, यह नये लोग सीख तो सकें, पता नहीं यह बाद में आयेंगे कि नहीं आयेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मत विभाजन ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा आपके विवेकाधिकार पर है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी स्वयं की जानकारी में है, इस सदन की आप बहुत पुरानी सदस्य रह चुकी हैं, जब सदन में वहां पर जाने के उपरान्त अपोजिशन डिवीजन क्लेम करता था, लोबीज क्लियर होती थीं और डिवीजन होता था। बीसों दफे हुआ है, आप रिकार्ड निकलवा लीजिए।

एक माननीय सदस्य: कब हुआ है?

श्री अध्यक्षः हुआ है, यहां भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। यहां भी हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप डिवीजन कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब, समय लगेगा और तो क्या है, हम चाहते हैं समय बचाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो लगेगा तो लगेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या किया जाए। यह तो मालूम पड़े न गवर्नर का कौन मान कर रहा है, कौन असम्मान कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः क्या मालूम पड़ेंगा? यह मालूम पड़ेगा कि सामान नहीं है आपके पास।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): गवर्नर का असम्मान हो रहा है, पता तो लगेगा। आपके जो संवैधानिक हैड हैं स्टेट के उनकी रिकमण्डेशन को नजर अंदाज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपके हाथ उठवा कर पूछ लूं एक बार?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, हां नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन होगा इसमें Lobbies be cleared. लोबीज क्लियर कराएं आप कृपया, डिवीजन मांग रहे हैं हम तो।

श्री अध्यक्ष: एक बार हाथ उठवा लेती हूं I want to save the time.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम इनसिस्ट कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं हाथ उठवा लूं आपके? I want to save the time.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): To demand for division is our right.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): काले कानून का विरोध जब तक हो सकता है हम करेंगे। यह सरकार काला कानून ला रही है शिक्षा के जगत में ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अन्तर आत्मा से कह दीजिए ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कानून जो आ रहा है, सही आ रहा है? आप स्वयं बता दीजिए, यह कानून ठीक आ रहा है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लॉबीज क्लियर करा दीजिए, 15 मिनट लगेंगे। लॉबीज आप क्लियर कराओ, डिवीजन होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): लॉबीज क्या, खड़े-खड़े कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लॉबीज आप क्लियर करवाएं। आप घंटी बजाइये, लॉबीज क्लियर करवाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं यह आसन सर्वोपरि है और यह भी हम सब जानते हैं, वर्षों से इस सदन के सदस्य रहे हैं कि आज तक जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं या बिल पारित हुए हैं ध्वनि मत से हुए हैं। अगर संख्या में समानता कहीं आसन को दिखे तब तो हो सकता है कि लॉबी क्लियर करा कर आप मत विभाजन की बात को स्वीकार करें। तो संख्या इनकी एक तिहाई भी नहीं है, संख्या हम से आधी से भी ज्यादा कम है इसलिए मेरा निवेदन है कि ध्वनि मत से आज तक की परम्परा रही है, आप दोबारा पुकार लें ध्वनि मत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से। यह विवेक तो आपको इस्तेमाल करना है, आप दोबारा ध्वनि मत से पुकार लें उसके बाद निर्णय कर दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप उसको, नियम को डिलीट कर दीजिए ...(व्यवधान) यह तो हमारा अधिकार है, आप नियम को डिलीट करवा दीजिए, जब तक नियम एग्जिस्ट करता है उस नियम के बारे में हम अपनी बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय को। हम डिवीजन क्लेम कर रहे हैं, डिवीजन करवाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कितनी बार डिवीजन क्लेम हुआ है? आप 32 आदमी हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 94 आदमी बैठे हैं। यह 32 आदमी और हम 94 आदमी बैठे हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह अध्यक्ष महोदय से फैसला करवा दीजिए, हम अपना क्लेम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 32 और 94 के बीच में मत विभाजन करायेंगे आप? 32 और 94 का अन्तर है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम इनसिस्ट कर रहे हैं ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था को मान लेता है, अगर उसके उपरान्त भी, आसन की व्यवस्था के उपरान्त भी अपोजिशन डिवीजन के लिए इनसिस्ट करे तो आसन को उसकी रिक्वैस्ट को स्वीकार करना चाहिए, यह परम्परा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद देख लें, उधर 32 बैठे हैं और इधर हम 94 आदमी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन को यह लगे कि संख्या के बारे में कोई डाउट है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे कोई डाउट नहीं है if they go on for insisting तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह तो आपके विवेक पर है। यह डिवीजन तो सिर्फ संख्या देखने के लिए है, ओपन आई से दिख रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट

(श्री सांवर लाल)

हो जाइये। (व्यवधान) आपकी मांग का कोई आधार नहीं है। (व्यवधान) एक बटा तीन से कम सदन में उपस्थिति है उसके बावजूद डिवीजन की मांग कर रहे हैं बार-बार।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी कई काम करने हैं आपको। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हाथ खड़े करवा के काउंटिंग करवा लो, और क्या है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हाथ खड़े करवाये जाएं।

श्री अध्यक्ष: आसन प्रतिपक्ष से इस बात का निवेदन कर रहा है कि संख्या तो आप जानते हैं, अब समय लगेगा, अभी बेस्ट विधायक की घोषणा होनी है, फिर उसके बाद मुख्य मंत्रीजी कुछ बोलना चाहेंगी, फिर मैंने आपको पौने पांच साल सुना है, पांच मिनट मुझे भी आप सुनियेगा और उसके बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाएं।

इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसे इनसिस्ट ना करें, आप इनसिस्ट ना करें, यह मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): नहीं, अभी एक बिल बाकी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज एक बार रिजोल्व होने दें बात को। मेरा निवेदन है आपसे, प्रतिपक्ष से ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ...(व्यवधान) लेकिन आपकी तो माननी ही पड़ेगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको भी तो सद्बुद्धि दीजिए, जैसे हम आपका निवेदन मान रहे हैं, यह भी आपकी गरिमा कर लिया करें।

श्री अध्यक्ष: देखिये, यह इस बात पर डिपेंड करता है किस आदमी में कितनी सहिष्णुता है। आप कहां बीच में करते हो। अब ठीक है, आप सहिष्णु हो, मान लेते हो।

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक का पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया गया।

पुनर्विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। चिकित्सा मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 एवं परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 की अनुसूची में संशोधन प्रस्तुत कर पुन: विचार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि - ''विधेयक की अनुसूची में विद्यमान प्रविष्ट '1. फिजियोथैरेपी/आक्यूपेशनल थिरैपी" हटायी जाए और विधेयक की अनुसूची की विद्यमान प्रविष्ट 2 से 33 को प्रविष्ट सं. 1 से 32 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाये।"

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहते हैं? हालांकि बोलने को कुछ है नहीं क्योंकि यह वापस तो ले ही रहे हैं।

प्रश्न यह है कि विधेयक की अनुसूची को संशोधित करने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक की अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक की अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की गयी।

पारित के लिए बोलें।

विधेयक का पारण

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 को पुनः संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 पुनः संशोधित रूप में पारित किया गया।

घोषणा

श्री शांतिलाल चपलोत को वर्ष 2003-04 व श्री भरत सिंह को वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 15 जुलाई, 2008 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से माननीय विधायक श्री शांतिलाल चपलोत का वर्ष 2003-04 के लिए एवं विधायक श्री भरत सिंह को वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन किया गया है।

चूंकि इस सत्र के बाद हम मिलेंगे नहीं, नयी विधान सभा का ही गठन होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से चाहूंगी कि पहले वह जो कुछ कहना चाहें, कहें उसके बाद मैं प्रतिपक्ष को भी, आज उनके नेता तो नहीं हैं, विपक्ष के नेता तो सदन में नहीं हैं लेकिन आप में से जो भी, जिसको भी आप नोमिनेट करें, बोलने का मौका उन्हें भी दूंगी। (व्यवधान) कौन बोलेंगे? पहाड़ियाजी बोलेंगे, कल्ला साहब बोलेंगे? कौन बोलेंगे? प्रद्युम्न सिंह बोलेंगे? Who is going to speak? आप तो बोलें। तो फिर जो कोई भी दूसरा हो ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मौकों पर परम्परा यह रही है कि सदन की नेता पहले बोलती हैं। ऐसे मौकों पर हमेशा परम्परा रही है इस हाउस की।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता, आप बोल लेना पहले। आपको क्या दिक्कत है, बोलें आप। इनको बोलना होगा, यह बोलेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बोलना तो उनको चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, अपन नये गठन के साथ यहां मिलेंगे, अच्छा यह रहे कि यहां प्रतिपक्ष से कोई भी वरिष्ठ सदस्य पहले कह दे फिर सदन की नेता कह दें, उसके बाद आपके श्रीमुख से कुछ फरमा दें। प्रद्युम्न सिंहजी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जैसा चाहें, अब मुझे तो कुछ आपत्ति नहीं है। मैंने अभी ...(व्यवधान) चाहे वह बोलें, प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहें, वह बोलें, लीडर ऑफ द हाउस बोलें, मैं तो दोनों को ही निमंत्रण दे रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उप नेता बोलेंगे। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यही बोल दो, यही बोल दीजिए, यही बोल दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या, बोलना क्या है? पांच साल गला घोटा है मैम्बर्स का, मैम्बर्स का गला घोटा है इस हाउस के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: जो आपको अच्छा लगे वही बोल दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सदस्यों को राइट को यूज करने नहीं दिया ...(व्यवधान) पूरे अधिकारों का हनन किया पांच साल तक।

श्री अध्यक्ष: लीडर ऑफ द हाउस बोलना चाह रही हैं, वह खड़ी हैं No, sit down.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार ने पिछले पांच साल में जिस तरह का विरोधी पार्टी के साथ बिहेवियर किया है, जिस तरह क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, जिस तरह लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था को खतम किया है, ऐसे में हम उनके साथ पार्टी बन कर राजस्थान की जनता को मैसेज नहीं देना चाहते हैं। हम राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, पिछले सवा चार साल में राजस्थान में लोकतंत्र के नाम पर राजाशाही हावी है और राजस्थान में ...(व्यवधान) राजस्थान को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे में साथ बैठ कर हम यह नहीं चाहते ...(व्यवधान) कांग्रेस बहिर्गमन करती है।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नहीं चाहता कि अच्छी परम्परा का निर्माण हो। प्रतिपक्ष यह भी नहीं चाहता कि यहां से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाया जाय। जिस प्रकार से प्रतिपक्ष का रवैया है, गैर-जिम्मेदाराना रवैया है, बड़े शर्म की बात है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पहाड़िया साहब, आप बैठे रहें। पहाड़िया साहब, आप मत उठना। पहाडिया साहब, आप बैठे रहो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ नहीं, मैंने बार-बार निवेदन किया कि ... (व्यवधान)... मैंने बार-बार निवेदन किया कटुता खतम होनी चाहिए। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक-दूसरे से मिल कर जाएं। आप तो बैठे रहिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पहाड़ियाजी को कहां ले जा रहे हो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहाड़ियाजी, आप तो बोलिये। आप बैठे रहो। आप बोलिये ना ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपको कहीं नहीं जाना है। आप बैठे रहो पहाड़िया साहब ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः इस बारहवीं विधान सभा के सत्र का अंतिम दिन है। आपके वेश्म में यह बात हुई थी अंतिम दिन एक दूसरे को शुभकामनाओं के साथ खुशनुमा माहौल के अन्दर विदाई देंगे...

श्री अध्यक्ष: बिलकुल। बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस है आज जिस तरह प्रतिपक्ष ने आचरण किया है इसके पीछे इनका बिखराव सामने आया है। यह तय नहीं कर पाये कि इनकी तरफ से आखिरी दिन कौनसा नेता पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ अपनी बात कहे। आज उसी के कारण से जितना यह भौंडा प्रदर्शन इन्होंने किया है मैं समझता हूं शर्मनाक है।

आपने इतिहास बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में इस राजस्थान की विधान सभा ने जो कीर्तिमान स्थापित किये, जो गरिमा स्थापित की आज पूरे हिन्दुस्तान में इस सदन का नाम है। इसका एक इतिहास है। इसकी एक परम्परा है, इसकी एक गरिमा है और गरिमा को तार-तार करने का काम जो प्रतिपक्ष ने किया वह निन्दनीय है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठ लीजिये। अब हाउस की ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है अन्दर की बात यह है कि आपने जो सर्व सम्मति से तय किया भरत सिंहजी का नाम वह चाहते यह थे कि सी पी जोशी का नाम आवे क्योंकि सी पी जोशी अनुशासनहीन थे इसलिये कमेटी ने यह तय किया वह सर्वश्रेष्ठ विधायक नहीं हो सके। यह सर्व सम्मति से तय हुआ था लेकिन उसके कारण से अपनी खीझ निकालने के लिये यह पार्टी ने तय नहीं किया, उनकी मजबूरी थी क्योंकि वह अध्यक्ष थे और वह जब अचानक बोल कर निकल गये ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, अन्दर की बात कहना चाहता हूं सबको, राजस्थान की जनता को ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया अन्दर की बात मत कहो। अन्दर की बात मत कहो। छोड़ो। छोड़ो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वरना अभी तक यह निश्चय था कि हम सब इसी भावना के साथ जायेंगे लेकिन जिस प्रकार साढ़े चार, पांच साल मिस्टर सी पी जोशी का आचरण रहा है इस कांग्रेस को तार-तार करने का और मजबूरी में कांग्रेस का जो हाल रहा मैं समझता हूं यह मजबूरी सारे राजस्थान की जनता जानती है कि किस प्रकार नेतृत्व विहीन है। किस प्रकार यह टूटे पड़े हुए हैं और इसलिये कांग्रेस को मिटाने के लिये यदि कोई होगा तो यह होंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। लीडर आफ दी हाउस I request to the Leader of House to speak.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यह तय हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, राज करेगा खालसा आगे रहे न कोय ... (व्यवधान)

बधाई एवं आभार

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री का उद्‌बोधन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): लास्ट वर्ड है देवी सिंहजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बहुत अफसोस है कि आज के इस आखिरी मौके पर यह सोचा था कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग सब एक दूसरे से मिलकर, गले मिलने की बात तो मैं नहीं कह सकती परन्तु मिलकर जाने की और वापस अपने क्षेत्र के अन्दर जाने की बात थी परन्तु इस आखिरी मौके पर भी इस तरीके का रवैया अपनाया गया और अचानक इससे मैं समझती हूं कि पूरा हाउस दुःखी है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सबसे पहले मैं आज आपने जो अनाउंसमेंट किया है कि जो चुने हुए सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं श्री शांति लालजी और श्री भरत सिंहजी, जो अनफार्चुनेटली यहां नहीं हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूं इन्होंने बहस के अन्दर हिस्सा लेकर अपनी हाउस के अन्दर साख बनायी और इसी पर इस पुरस्कार को हासिल किया।

इस मौके पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी बधाई देना चाहती हूं कि आपने इस पुरस्कार की शुरूआत करके एक बहुत अच्छी नयी परम्परा इस हाउस के अन्दर शुरू की।

मुझे यह खुशी है कि हमारी बारहवीं विधान सभा के दो माननीय सदस्य आदरणीय श्री शिवचरणजी माथुर असम के महामहिम राज्यपाल और आदरणीय श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर पांडिचेरी के महामहिम उप राज्यपाल के पद पर मनोनीत हुए हैं और मैं सदन की नेता होने के नाते उन्हें भी बधाई हम सब की और से देना चाहूंगी।

हमारे लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गौरव की बात है हम सबके लिये कि माननीय अध्यक्ष महोदय को 2004 में इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड, 2004 में ही भारत ज्योति अवार्ड, 2006 में ग्लोरी आफ इंडिया अवार्ड, 2008 में मानव सेवा अवार्ड मिला। इन महत्वपूर्ण अवार्डस के अलावा खुशी इस बात की भी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय सितम्बर, 2005 से सितम्बर, 2007 तक सी पी ए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मैम्बर भी आप रही हैं इसके लिये भी हम सब गौरवान्वित हैं।

यह आखिरी दिन है और इसके बाद हम लोगों को वापस जनता के बीच में, परीक्षा ही समझो देने के लिये जाना है। मैं यह सोच रही थी बीते हुए क्षणों की, जो कसक यादों के रूप में जिन्दगी भर हमारे साथ रहेगी और इन सबके साथ बिताये हुए कुछ क्षण आसानी से हम भुला नहीं पायेंगे। हर परिवार के अन्दर कुछ खट्टी-मीठी यादें होती हैं और हैं तो यादें ही ना। कुछ नोक झोंक भी होती है, वह नोक झोंक भी हुई परन्तु उसके बावजूद भी प्रतिपक्ष ने अब चाहे बैठे भी न हों परन्तु मैं कहती हूं सकारात्मक सहयोग हमें दिया और इसके लिये मैं उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिये और हमने उन सुझावों पर अमल करने की भी कोशिश की थी। यह अच्छा है कि इस तरीके की बहस होती है। क्योंकि जब बहस होती है तो कई बातें निकलकर आती हैं। जो हमारे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

शायद मन में न हो, सुझाव ऐसे आते हैं और एक दूसरे के सुझाव लेने में मैं समझती हूं कि कोई बुराई नहीं है, ईगो की बात भी नहीं है क्योंकि यही चुने हुए लोग हैं जो पूरे राजस्थान की पांच करोड़ से ज्यादा की आबादी की आवाज को यहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दल की राजनीति से ऊपर उठकर यह बहुत जरूरी होता है कि हम लोग राजस्थान प्रदेश का काम करें और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने पांच साल तक अच्छी-अच्छी स्वस्थ बहस की हम सब का और सरकार का मार्गदर्शन करके हमारे हाथ को मजबूत किया। यह मामले चाहे राज्य के पानी के विषय का हो या अभी जैसे हुआ आरक्षण का मसला हो, सभी के साथ एक साथ मिलकर समस्या का समाधान जो हुआ है उसके लिये आखिर मैं आभारी हूं। कल जो हुआ मैं समझती हूं कि अपने आपमें एक इतिहास रचा। सब लोगों ने मिलकर साथ दिया है। यह हमारा सदन वह सदन है जहां से निकलकर माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे इस देश के यहां से निकलकर गये जो हमारे देश के वाइस प्रेसीडेंट बने और इतने बहुत उच्च पद पर आसीन हुए और हमारे राजस्थान के नाम को उन्होंने रोशन किया। मैं समझती हूं कि यह हमारे इस सदन के लिये एक बहुत बड़े गौरव की बात है।

मुझे खुशी है कि एक जमाना था जब राजस्थान बीमारू प्रदेश कहलाता था। हमारी तरफ कोई देखता था तो वह यह सोचता था कि गरीब राजस्थान के लोग हैं और कोई भी यहां निवेश करने के मन से आता नहीं था। आज बीमारू प्रदेश के गड्ढे में से हम बाहर निकल कर आ गये हैं। उस गड्ढे से बाहर निकल कर आ गये हैं और मैं यह समझती हूं कि अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति के अन्दर आज राजस्थान भी खड़े होने की तैयारी में है। बड़े-बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिये उत्सुक हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे राजस्थान के प्रवासी भाइयों को भी जिन्होंने अपनी इस माटी को न भूलते हुए वापस आकर यहां निवेश की इच्छा जाहिर की और रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से हमने एक नये राजस्थान की संकल्पना की और उसको साकार करने के लिये बहुत अच्छे और सार्थक प्रयास हमने किये। मैं समझती हूं कि आने वाला हमारा बहुत ही उज्जवल भविष्य है उसकी नींव बहुत अच्छे तरीके से पिछले पांच साल के अन्दर हम लोगों ने, सबने मिलकर डाली है।

एक वक्त था माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की महिलाओं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को सेकिण्ड रेंक या दूसरे दर्जे के अन्दर समझा जाता था। हमने उनमें आत्म सम्मान का भाव जागृत किया। उन्हें नौकरियां, पढ़ने-लिखने में तवज्जोह ही नहीं बल्कि पंचायत राज, लोकल सैल्फ बॉडीज के अन्दर 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उनको पुरुषों के बराबर अधिकार देकर अपने पैरों पर खड़े करने का काम किया है। आज भी कोई बालिका स्कूटी पर, स्कूटी चलाती हुई दिखायी देती है।

आज जब भी कोई बालिका स्कूटर चलाती हुई दिखाई देती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम यह देखते हैं कि अपना सपना जो सब बालिकाओं को पढ़ाने का राजस्थान के अन्दर है वह अब साकार होने लगा है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी हम देखते हैं, हमको याद है कि महिलाएं पहले हमको इक्का-दुक्का दिख जाती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। अगर आप सम्मेलन देखेंगे तो आज आधा हाल महिलाओं से भरा होता है और मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि यह महिलाएं आज रसोई की चौखट से और घूंघट की ओट से बाहर निकलकर के आयी हैं और वहां अपनी शक्ति का भी और अपनी क्षमता का भी परिचय देकर नया इतिहास कायम करने का काम चालू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, नौजवानों के लिए भी इस प्रदेश के अन्दर हमने बहुत कुछ किया है, उनकी ताकत को हमने स्वीकारा है और अभी-अभी रोजगार सहायता शिविर नामक प्रोग्राम हम लोगों ने राजस्थान के अन्दर, वर्गों के अन्दर चालू करते हुए एक रोजगार के नये अवसर का सृजन किया है। नये युग में अन्दर हम लोगों ने एनिमेशन एकेडमी की एक बिलकुल ही नयी किस्म की चीज है, उसको खोला है और उसको देखते हुए ऐसी कई एकेडमी खुलने जा रही हैं। लगभग दस लाख युवकों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाये हैं और वर्षों से सरकारी नौकरी पर जो रोक लगी थी उसको हटाकर हमने बेरोजगार नौजवानों के सपनों को साकार करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम था कि अगर बच्चा शिक्षित नहीं है और उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो राजस्थान भी सुदृढ़ आगे चलकर नहीं हो सकता है इसलिए मिड डे मील को चालू करते हुए उसके साथ-साथ अक्षय कलेवा के माध्यम से जो मेहनतकश लोग हैं, उनको दो वक्त रोटी का इन्तजाम भी हम लोगों ने जगह-जगह पर करने की कोशिश की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, सड़क, बिजली और जिस चीज पर इतना हल्ला भी हुआ है, राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने जो काम किया है उसको यहां ही नहीं परन्तु दिल्ली की सरकार ने भी उसको सराहा है और एक बार नहीं कई बार सराहा है। बजट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर की बात ही हम लोगों ने नहीं की, परन्तु हमने एक रोड मैप भी चालू किया, एक विजन को चालू किया और इस विजन और रोड मैप के तहत हम लोगों ने पिछले पांच साल में अपने कदम बढ़ाये। हमारे संकल्प और हमारे सपनों की प्रतिबद्धता, हमने बार-बार अपने बजट के अन्दर निकालकर जनता के सामने लाने की कोशिश की। बजट में हमने कोरी घोषणाएं ही नहीं की, हमने अपनी घोषणाओं को वित्त पोषित करके उनको समय सीमा के अन्दर बांधते हुए काम कराने की कोशिश की और मैं समझती हूं कि यही कारण है कि हमारी ज्यादातर जो घोषणाएं हैं उनको हमने पूरी तरह से पूर्ण करने की कोशिश की। मैं समझती हूं कि बहुत कम ऐसी घोषणाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई हैं। हर सम्भव हमने कोशिश की कि जगह-जगह परिवर्तन यात्रा के अन्दर यह चुंदड़ी ओढ़ाकर लोगों ने जो विश्वास और आर्शीवाद दिया था और यह पूरी पार्टी ने संकल्प लिया कि किसी भी तरीके से इस ओढनी की गरिमा को हम लोग लुटने नहीं देंगे इसलिए उनकी आशाओं को, उनके प्यार को, उनके विश्वास को कायम बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी तरह से सेवा करते हुए और सूझबूझ के साथ उनकी कार्य क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की हम लोगों ने कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप जायेंगे, जगह-जगह पर आप यह देखेंगे कि काम हुआ है। जनता खुद अपने मुंह से यह बात कहती है कि यह काम हुआ है और कानून के शासन और जनता की अपेक्षाओं में कभी-कभी टकराव की स्थिति आ भी जाती है। जैसा मैंने कहा कि परिवारों के अन्दर होता है तो हमारे समय के अन्दर भी हुआ होगा परन्तु मैं समझती हूं कि उनको धीरज के साथ हम लोगों ने साल्व करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा राजस्थानी होने की बात कही है, हिन्दू, मुसलमान या किसी जाति विशेष में बांटने की कोशिश नहीं की, एक-दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने यह कोशिश की कि राजस्थान के स्वाभिमान को हम जागृत करें। हम लोगों ने यह कोशिश की कि इस परिवार को इक्ट्ठा बनाकर, इक्ट्ठा करके एक साथ आगे ले जाने की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कोशिश करें और इसी वजह से जब कई नापाक ताकतों ने बम विस्फोट किये इस जयपुर नगरी में तो आपने देखा होगा कि कितना घिनौना प्रयास भी किया था परन्तु चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सब इक्ट्ठा होकर के उन्होंने अपने भाई-चारे को बनाये रखने के साथ-साथ लोगों की मदद की और कुछ ही क्षणों के अन्दर, मैं तो मानती हूं कि क्षण हैं क्योंकि पांच साल के अन्दर एक-दो दिन तो क्षण के समान ही होते हैं। कुछ ही समय, कुछ ही क्षण के अन्दर पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ और उन नापाक ताकतों को अपनी जगह उन्होंने बताकर रख दी।

अध्यक्ष महोदय, विदायी तो आज हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। वैसे तो हमने सब वर्गों की नब्ज को टटोलकर पूरा-पूरा प्रयास किया है, सबको खुश रखा और उनके छोटे-मोटे जो भी काम हैं उनको हम पूरा करें और उनको चुनौती के रूप में भी हमने माना था। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश की जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से और स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और पहल करने की जरूरत है और वह है राजस्थान विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद का हम लोग गठन करें। संविधान के तहत इसको करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था कायम होने के बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के साथ-साथ राजस्थान भी उन राज्यों की श्रेणी के अन्दर शामिल हो जायेगा जिनमें विधान सभा के साथ-साथ विधान परिषद की स्थापना हो।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि अपने बिछुड़ने का क्षण मन पर भारी तो होता ही है, स्कूल में भी जब हम रहते हैं तो बारहवीं कक्षा तक पहुंचते हैं तो वापिस जब घर जाते हैं तो आंसू लेकर ही जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: वियोग में दु:ख है, संयोग में खुशी है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि व्यक्तिश: भी मैं इस वेदना को महसूस कर रही हूं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसी आदर्श अध्यक्ष और अब वह हैं नहीं, मैं उनके सामने तारीफ नहीं कर सकती पर मैं कहूंगी उनकी पीठ के पीछे भी कि सकारात्मक सहयोग वाला विपक्ष हमें मिला और इसी वजह से हम काफी कुछ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पा सके। मैं यह मेरा सौभाग्य मानती हूं कि इन सबके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। मैं मानती हूं कि मेरी किन्हीं-किन्हीं बातों से माननीय सदस्यों को कहीं बुरा लगा हो तो किसी को भी ठेस पहुंचाने की मेरी कोई भावना नहीं थी और मैं अपनी बात को एक उम्मीद के साथ आपके सामने रखना चाहूंगी,

'हम भी हैं मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर,
इस सफर में कहीं दिन तो कहीं रात होगी,
यादों के चिरागों को आंखों में बसाये रखना,
किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।'

श्री अध्यक्ष: फिर मुलाकात होगी, वैरी गुड।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारी भावना थी, अब राजस्थान के लिए एक छोटी सी भावना लेकर के अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। हम सबका अपने राजस्थान पर बहुत गर्व है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए,

'भूखा सोय रात ना कोई, प्यासा जागे सुबह ना कोई,
चंदन हर बगिया हो जाये, सब मिट्टी सोना उपजाये,
ऐसा जज्बा जागे हर मन में, राजस्थान स्वर्ग बन जाये।'
राजस्थान स्वर्ग बन जाये, जय-जय राजस्थान।'

अनेक माननीय सदस्य: जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज श्री भरत सिंहजी का एक पत्र जो मुझे हाल ही में मिला है, मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहूंगी, आज सदन के आखिरी दिन सदन में मुझे वर्ष 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने की आप द्वारा घोषणा की गयी। मुझे खेद है कि मैं इस अवसर पर आखिरी दिन मेरा व्यवहार इस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा।

कृपया यदि मुझे यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह पत्र दबाव में लिखवाया है।

श्री अध्यक्ष: अब किसी ने कैसे लिखा हो, वह तो सूचना मैंने आपको दे दी।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, द्वारा उद्‌बोधन

माननीय सदस्यगण, बारहवीं विधान सभा, आज उसके आखिरी सत्र का आखिरी दिन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बारहवीं विधान सभा में कुल 10 सत्र हुए और सदन की 140 बैठकें हुई। 140 बैठकों में राज्य सरकार के द्वारा 102 विधेयक यहां पेश किए गए, जिसमें से 96 विधेयक सदन के द्वारा पारित हुए, दो विधेयक वापस लिए गए, दो विधेयक प्रवर समिति के विचाराधीन है और एक विधेयक का पुरःस्थापन नहीं किया गया और एक लम्बित है। यह तो हमने जो कुछ किया है, वह है। इसी दौरान प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए, 295 के अन्तर्गत प्राप्त हुए वह संख्या तो मैं बताऊंगी तो बहुत अधिक समय लग जाएगा इसलिए मैं बताना आवश्यक नहीं समझती।

बारहवीं विधान सभा की जो मुख्य उपलब्धियां हैं वह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अन्दर बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया जाता है, उसी तरह से मुख्य मंत्रीजी की सलाह पर हमने भी 5 साल के इस कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में कई लोगों को चुना। सर्वप्रथम नाथूसिंहजी को चुना, कालीचरणजी को चुना, खुशकिस्मती से आज दोनों ही कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। प्रद्युम्नसिंहजी को चुना गया, भरत सिंहजी तो आज अपना वापस लौटा गए। शांतिलालजी चपलोत का नाम चूंकि नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मैं सभी चारों सर्वश्रेष्ठ विधायकों को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया।

लीक से हटकर के कुछ काम ऐसे भी हुए जो बाकी विधान सभाओं में नहीं हुए, वह भी हुए, जैसे विधायकों की सुविधा के लिए 50 हजार रुपए कम्प्यूटर के लिए सभी विधायकों को दिए गए। कई बार कई इस प्रकार की संगोष्ठियां यहां पर आयोजित की गई ताकि उनमें भी विधायक बजट के बारे में जानकारी कर लें, कन्या भ्रूण हत्या जो आज की ज्वलंत समस्या है, उसके बारे में, आबादी के विस्तार के बारे में भी समय-समय पर ऐसी संगोष्ठियां आयोजित की गई ताकि विधायक लोग आज की जो समस्याएं हैं उनसे परिचित रह सकें।

लेकिन मैं अब निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे सत्ता पक्ष का और प्रतिपक्ष का दोनों ने सर्वसम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष चुना था। मैं आप

(श्री अध्यक्ष)

सबकी बहुत आभारी हूं कि आप सब लोगों ने मुझे यह अवसर दिया। इसके लिए मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे याद पड़ता है कि जब मुझे विधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, आप सब लोगों ने, तब मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया था और मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह कहा था कि यह विक्रमादित्य का आसन है, इस आसन पर बैठने वाले को बिलकुल न्याय के साथ, उसका सारा जो कुछ भी निर्णय हो, बिलकुल न्यायपूर्ण और जिसे कहना चाहिए, पक्षपात से रहित हो, यह उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने कोशिश की इसके लिए लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। कभी तो मुझे प्रतिपक्ष की जिसे कहना चाहिए आलोचना, उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी, कभी सत्ता पक्ष की भी मेरे व्यवहार से कई बार नाराजगी हुई। सत्ता पक्ष को भी नाराजगी हुई उसके लिए खैर मैं बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूं कि इस सब कोशिश करने के बाद भी कई बार ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मुझसे नाराज हुए। मैं यह मानकर चलती हूं कि मैंने इस विधान सभा में लम्बे समय तक यहां पर बैठकर मोहनलालजी सुखाड़िया, जो न केवल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे बल्कि विधान सभा की गरिमा, आसन की प्रतिष्ठा, परम्परा और राजस्थान विधान सभा में जिस प्रकार के प्रोग्रेसिव यहां पर कानून बने और उन्होंने अपने आपको एक बहुत अच्छे डेमोक्रेट की तरह से यहां पर पेश किया। मैं उनसे भी बहुत प्रभावित रही और मैं नेता प्रतिपक्ष जिनके तर्कों के सामने और जिनके कटाक्ष के सामने सत्ता पक्ष बिलकुल बोल नहीं पाता था उनसे भी बहुत प्रभावित रही। दोनों को ही मैंने देखा कि उन्होंने जनतंत्र के अन्दर विधान सभा कितनी सर्वोपरि है, इस बात को समझा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जब पहली बार प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने भाषण दिया था, मुझे याद पड़ता था कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि जनतंत्र के तीन स्तम्भ हैं, प्रजातंत्र के तीन स्तम्भ जो हैं वह अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर बिलकुल सर्वोपरि है और वह एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन उन्होंने एक शब्द यह कहा था कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो जो लेजिस्लेचर है वह सुप्रीम है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में यह कहा था कि because it represents the wishes, will and expectations of the people. यह सर्वोपरि है, सार्वभौम है, क्योंकि यह जनता की आशा, जनता की आकांक्षा और जनता के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए लेजिस्लेचर सुप्रीम है

(श्री अध्यक्ष)

और लेजिस्लेचर सुप्रीम है इसी भावना के साथ हम लोग जो यहां पर बैठे हैं चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हैं, यह चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।

राजस्थान जिसे कहना चाहिए सौभाग्यशाली प्रदेशों में रहा है जिसमें आज दिन तक हमने विधान सभा की गरिमा बहुत कुछ बनाए रखी है लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि धीरे-धीरे आसन की प्रतिष्ठा, विधान सभा की गरिमा, हमारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराएं, धीरे-धीरे उनका क्षरण हो रहा है। आज दिन नहीं था आखिरी, यह मौका नहीं था कि इस प्रकार से प्रतिपक्ष उठ कर जाता, प्रतिपक्ष को यहां पर बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था, सदन की नेता क्या कहती है। खैर, जब मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि मैंने आपको पौने पांच साल सुना है यहां बैठकर, अंतिम समय में मैं भी कुछ कहना चाहती हूं तो आप लोग यहां पर रहें लेकिन वह जिस तरीके से बायकाट करके गए यह चीज जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छी नहीं है, जिसे कहना चाहिए मन को, जैसा कि मैडम ने कहा, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, दिल को अफसोस करने वाली एक बात है।

मैं मैडम के प्रति इतना ही कहना चाहती हूं कि विकास की जिस गति से राजस्थान को उन्होंने आगे बढ़ाया है और जिस प्रदेश को बीमारू स्टेट, जिसे कहना चाहिए बीमारू श्रेणी से निकाल कर एक प्रगतिशील राजस्थान के नाम पर, स्वाभिमानी राजस्थान के नाम पर जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है उसका भी जिक्र करना मैं आवश्यकता समझती हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (पर्यटन मंत्री): छोटी सी उम्र में नाम कमा लिया।

श्री अध्यक्ष: नाम कमाना तो तब समझा जाएगा जब दुबारा आकर यहां बैठेंगी और आप सब लोगों को इसी संख्या में लाएंगी तब समझा जाएगा। (व्यवधान)

कम्प्यूटर के बारे में मुझे बताया गया कि कम्प्यूटर के लिए आप विधायकों को छह-छह हजार रुपए जमा कराने पडेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने उपयोग किया और छह हजार रुपए कोई ऐसी राशि भी नहीं है, छह हजार रुपए जमा करा दीजिए वह कम्प्यूटर अपने पास रखिए लेकिन काम अच्छी तरह से कर सकें इसलिए आवश्यकता थी इसलिए कम्प्यूटर दिए गए थे।

अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी शुभकामना

(श्री अध्यक्ष)

है कि आप सब लोग वापस इस सदन में आएं। यह प्रतिपक्ष भी आए। यह जो कि रोजाना ताना देते हैं कि इस प्रकार के हम यहां आएंगे आप वहां आएंगे, यह भी पुनः जीतकर आए तो मैं यह बहुत-बहुत शुभकामना आप सब लोगों को देती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ दे रही हूं मेरी शुभकामना कि, **उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,** क्योंकि खट्टे-मीठे तर्क, वितर्क, आलोचना, आरोप, प्रत्यारोप यह पक्ष उन पर लगाता है और वह पक्ष आप पर लगाता रहा है, दोनों पक्ष मुझ पर भी लगाते रहते हैं आरोप, प्रत्यारोप, इसलिए उन सबको भूलकर,

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने कौन आएगा, कौन जाएगा, यह सदन तो चलता ही रहेगा।
यह सदन तो यों ही चलेगा।

इसलिए मैं बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूं, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त मेरा कठोर व्यवहार आपको बुरा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो और उस वक्त मैंने किसी को कुछ आसन की प्रतिष्ठा के लिए कहिए या बेकार बात में ही कह दीजिए, व्यर्थ में ही कह दीजिए, जाने और अनजाने मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही चीज कहना चाहती हूं कि यह 6 हजार रुपये भी अब माफ ही कर देते हैं अपन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जन गण मन।

राष्ट्र गान

''जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे।

(श्री अध्यक्ष)

तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय, जय हे।''

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.12 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति छात्रावासों में अधीक्षक पदों पर स्थाई नियुक्तियां

34. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनजाति छात्रावास चलाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने छात्रावास संचालित हैं? जिला व पंचायत समितिवार मय छात्र संख्या के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में संचालित कितने जनजाति छात्रावास स्थाई/अस्थाई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जनजाति छात्रावासों में पदस्थापित छात्रावास अधीक्षकों (वार्डन) के स्थाई पदों पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा संचालित जनजाति छात्रावासों को जिलेवार व पंचायत समितिवार मय छात्र क्षमता की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग के द्वारा संचालित सभी छात्रावास स्थाई हैं, जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों में वार्डन के स्थाई/अस्थायी पदों पर शिक्षा विभाग तथा राजससंघ के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। क्योंकि विभाग के पास आश्रम छात्रावास संचालन के लिए विभागीय केडर नहीं है। दिनांक 10.7.2008 को राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रावास अधीक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है। इसलिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से भी प्रतिनियुक्ति द्वारा वार्डन के पद भरे जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

35. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती की गई है? यदि हां, तो कितने व इनका पदस्थापन कहां-कहां किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भर्ती किये गये आयुर्वेद चिकित्सकों का ऐलोपैथी चिकित्सक के स्थान पर पदस्थापन किया गया है जब कि कई जगह आयुर्वेद चिकित्सकों के पद उन्हीं गांवों में रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन आयुर्वेद चिकित्सकों का पदस्थापन आयुर्वेद औषधालय में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आयुर्वेद/होम्योपैथ चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 498 आयुर्वेद चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित स्थानों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'क')

(2) जी नहीं। आयुर्वेद चिकित्सकों का पदस्थापन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया गया है। जी नहीं। राज्य सरकार इन आयुर्वेद चिकित्सकों का पदस्थापन आयुर्वेद औषधालय में करने का विचार नहीं रखती है। क्योंकि इन का पदस्थापन आयुर्वेद विभाग द्वारा नहीं किया जाकर भारत सरकार की योजनान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन द्वारा पी.एच.सी./सी.एच.सी. के लिये किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में संचालित विभागीय औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 5 पद तथा होम्योपैथिक चिकित्सक का एक रिक्त है, जिनका औषधालयवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(आयुर्वेद मंत्री)

स्थान औषधालय आयुर्वेद चिकित्सक

1. कनेछनकला 2. बछखेडा 3. देवरियाकला 4. कोठिया 5. तसवारियावास

होम्योपैथिक चिकित्सालय

1. शाहपुरा

चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तदुपरान्त उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में भू-आबंटन पर रोक

36. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर योजना के प्रथम चरण में भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने पर सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो कब से? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के उक्त आदेश के बावजूद उपखण्ड कार्यालय खाजूवाला, जिला बीकानेर द्वारा बिना सलाहकार समिति की बैठक बुलाए अनेक भूमिहीनों को आबंटन तथा टी.सी. से पुख्ता आबंटन किए गए हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2004 से किन-किन को कब-कब एवं कहां-कहां? विवरण सहित आबंटन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़-पाली-सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन

37. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 पर किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर-पाली-सुमेरपुर-सिरोही मार्ग ''चारलेन-मार्ग'' में अपग्रेड करने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य जवाई नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण या उसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर-पाली-सुमेरपुर-सिरोही मार्ग चारलेन मार्ग में अपग्रेड करने की योजना है, जिसके तहत ब्यावर से पिण्डवाड़ा तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य एवं पिण्डवाड़ा से आबूरोड़ होते हुए राज्य की सीमा तक चारलेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य जवाई नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत/पुनरुद्धार का कार्य भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008-2009 की वार्षिक योजना में स्वीकृत है एवं कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। पुल के पुन: निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय एन.एच.ए.आई. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त लिया जावेगा।

अकावद व भंवरासा (झालावाड़) वृहद सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित/लाभान्वित क्षेत्र

38. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले की प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना अकावद व भंवरासा के निर्माण/सर्वे पर वर्ष 2007-08 व 2008-09 में कितनी राशि स्वीकृत की गई व कुल कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की गई?

(2) बांध के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा किस किस जिले में कुल कितने गांव की कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी? परियोजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वृहद सिंचाई भंवरासा बांध प्रोजेक्ट जो कालीसिंध नदी पर प्रस्तावित है, की ऊंचाई कम कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों तथा बांध की ऊंचाई कम करने से पूर्व में प्रस्तावित सिंचाई क्षमता की तुलना में कितनी सिंचाई कम होगी व कोटा जिले के कितने गांव इससे प्रभावित होंगे? प्रभावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजनाएं क्रमश: अकावद (परवन) एवं भंवरासा (कालीसिंध) पर सर्वे एवं अनुसंधान कार्य हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण संलग्न सारणी 'अ' में अंकित है।

(2) परवन वृहद सिंचाई परियोजना की वर्ष 2006 की दरों पर अनुमानित लागत 1114.00 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से प्रस्तावित जिलेवार सिंचित क्षेत्र का विवरण संलग्न सारणी 'ब' में अंकित है।

प्रस्तावित भंवरासा (कालीसिंध) वृहद सिंचाई परियोजना का सर्वे कार्य प्रगति पर है। सर्वे पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के उपरान्त परियोजना की लागत एवं प्रस्तावित जिलेवार सिंचित क्षेत्र का विवरण उपलब्ध हो सकेगा।

(3) जी नहीं।

सारणी 'अ'

झालावाड़ जिले की प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर सर्वे एवं अनुसंधान कार्य हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष 2007-08		वर्ष 2008-09	
		स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय (6/08 तक)
1.	अकावद (परवन)	21.88	21.88	200.00	25.46
2.	भंवरासा (कालीसिंध)	10.40	10.40	65.00	30.00

सारणी 'ब'

परवन (अकावद) वृहद सिंचाई परियोजना से प्रस्तावित जिलेवार सिंचित क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**गांवों की संख्या**	**सिंचित क्षेत्र (है.)**
1.	झालावाड़	81	25503
2.	कोटा	37	13906
3.	बारां	191	91991
	कुल	**309**	**131400**

राजकीय सेवारत वरिष्ठ चिकित्सकों/विशेषज्ञों द्वारा निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा कार्य

39. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों के निजी चिकित्सालयों में रोगी का परीक्षण करने व शल्य चिकित्सा करने पर प्रतिबन्ध होने पर भी निजी चिकित्सालयों में परीक्षण व शल्य चिकित्सा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा अब क्या क्या कदम उठाये जाएंगे? इस संबंधी नियमों एवं जारी किये गये परिपत्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक शल्य चिकित्सक जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और निजी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा व रोगी का परीक्षण व अन्य चिकित्सा संबंधी कार्य करते हैं, के विरुद्ध निजी चिकित्सालय को नियंत्रित अथवा आस्मिक निरीक्षण करने के संबंध में कानून नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो इस बाबत अब सरकार मौजूदा कानून में कब तक संशोधन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? प्रचलित कानूनी प्रावधान तथा ऐसे कानून में किये जा रहे बदलाव की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नियम एवं विभाग द्वारा जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत अथवा जानकारी प्राप्त होने पर उसकी जांच कराई जाती है तथा जांच में दोषी पाये जाने की स्थिति में नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। सम्बन्धित कानूनी प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

निजी चिकित्सालयों को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों हेतु क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट बिल बनाये जाने हेतु राज्य विधान सभा से संकल्प पारित कराया जाकर दिनांक 21.04.2008 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त विधेयक बना दिये जाने की स्थिति में निजी चिकित्सालयों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील मालवी की विचाराधीन मिसिंग लिंक सड़कें

40. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील मावली में वर्ष 2008-09 के किये कितनी व कौन-कौन सी मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धासा से खाम की मादडी, तहसील मावली, बाडा बावडी से भानसोल प्याऊ व माणकियावास से देलवाडा तक की सड़कों के लिये स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? अब कब तक इनकी स्वीकृति जारी कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) तहसील मावली में वर्ष 2008-09 में मिसिंग लिंक योजना में कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। 2 सड़कों की मिसिंग लिंक योजना में तहसील मावली में वर्ष 2007-08 में ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। घासा से खाम की मादडी, तहसील मावली, बाडा बावडी से भानसोल प्याऊ तथा माणकियावास से देलवाड़ा सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

चूरु एवं झुझुनूं जिले में आपणी योजनान्तर्गत पेयजल योजनाओं के संचालन में व्याप्त अनियमितताएं

41. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आपणी योजनान्तर्गत जनवरी, 2007 से अब तक जिला चूरू तथा जिला झुंझूनं में पेयजल हेतु आबंटित पानी के विरुद्ध कितना पानी उपलव्ब्ध कराया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत नहर सफाई के पेटे पानी की आवक कब से कब तक बंद रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना का संचालन सरकार द्वारा ठेके पर दिया गया है? यदि हां, तो समझौता ज्ञापन पत्र (एम.ओ.यू.) की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना को ठेके पर देने के उपरान्त प्रारम्भ से अब तक ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को ठीक से सम्पादित न करने के कारण ठेकेदार को दी जाने वाली राशि में से कटौती की गई? यदि हां, तो कब-कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि सरकार ठेकेदार द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायतों के कारण अनुबंध में निर्धारित समय सीमा से पूर्व ठेकेदार को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आपणी योजना हेतु गंधेली एवं धन्नासर आउटलेट पर प्रावधान अनुरूप आरक्षित क्रमशः 42 क्यूसेक एवं 44 क्यूसेक (वर्ष 2012 की पेयजल मांग) के विरुद्ध, वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से वास्तविक आवश्यकता अनुरूप जनवरी, 2007 से जून, 2008 की अवधि में जिला चूरू तथा जिला झुन्झुनूं में उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी हां। उक्त योजना के संचालन एवं संधारण हेतु तीन संवेदकों को दिये गये कार्य आदेश व अनुबंध की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) उक्त योजना के संचालन एवं संधारण हेतु संवेदकों को कार्यादेश पश्चात से मई 2008 तक किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(5) कार्यानुबन्ध की शर्तों के अनुसार विभिन्न कारणों से योजना के संचालन एवं संधारण कार्य में देरी होने के कारण संवेदकों से की गई कटौती राशि का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(6) नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखीं गया)

निवाई विधान सभा क्षेत्र में वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

42. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में कौन-कौनसी वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है? अतिक्रमी कब्जाधारियों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवैध कब्जों/अतिक्रमणों को खाली कराकर सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन लेने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा अब कब तक ये सम्पत्तियां अवैध कब्जाधारियों/अतिक्रमियों से खाली कराकर वक्फ बोर्ड के अधीन ले ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवैध कब्जों/अतिक्रमणों के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में जिन वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा किया हुआ है की सूची मय नाम पता संबंधित अतिक्रमी/कब्जेदार संलग्न है।

(2) सक्षम न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं, सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पालना की जावेगी।

(3) कोई नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर विधान सभा क्षेत्र में सड़क विकास कार्य

43. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक विभिन्न योजनान्तर्गत कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से किया गया? विवरण मय खर्च राशि, उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2003-04 से अब तक विभिन्न योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य किए गए? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने शेष हैं? विवरण स्वीकृत राशि व खर्च राशि तथा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्रों सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि के भवन निर्माण कराए गए? वर्ष 1998-99 से अब तक स्वीकृत राशि मय व्यय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से अब तक विधायक स्थानीय विकास कोष की राशि से कराए गए निर्माण कार्यों का स्वीकृत व्यय राशि का विवरण मय उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्रों के कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आज भी 500 की आबादी वाले गांव सड़ृकों से वंचित हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ऐसे कौन-कौन से गावं हैं? क्या सरकार उक्त गांवों में सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुख्य मंत्री सड़क योजना में सड़कों का निर्माण किया गया? यदि हां, तो जिला अलवर में गत चार वर्षों में कहां-कहां कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कें बनाई गईं? निर्मित व स्वीकृत सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक विभिन्न योजनान्तर्गत राशि रु. 205.07 लाख से 8 सड़कों का निर्माण किया गया। विवरण परिशिष्टि 'अ' पर संलग्न है। ये कार्य विभागीय लेखा मद से सम्पन्न किये गये हैं। अतः उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2003-04 से अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राशि रु. 1556.87 लाख के 47 निर्माण कार्य किए गए। इनमें से 42 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 5 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी.-I योजनान्तर्गत 4.84 लाख एक कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी.-II योजनान्तर्गत 66.97 लाख के 5 कार्य पूर्ण किये गये, एस.आर.एफ. योजनान्तर्गत राशि रुपये 169.11 लाख का एक कार्य। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से अब तक राशि रुपये 104.78 लाख के भवन निर्माण कार्य कराये गये। स्वीकृति राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से अब तक विधायक कोष में स्वीकृत राशि रुपये 61.00 लाख के अन्तर्गत रुपये 50.29 लाख के कार्य पूर्ण कराये गये। स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र परिशिष्ट 'द-1' पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 500 या अधिक आबादी का कोई गांव सड़क सुविधा से वंचित नहीं है।

(6) जी हां। जिला अलवर में मुख्य मंत्री सड़क योजनान्तर्गत गत चार वर्षों में 99 सड़कों का निर्माण किया गया। निर्मित सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाई बांध से जवाई नदी में पानी की आपूर्ति

44. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जवाई नदी पर पाली जिले की सीमा में जवाई बांध के निर्माण से जालौर जिले में भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है? यदि हां, तो यह गिरावट जालौर जिले में कितने किलोमीटर लम्बाई एवं चौड़ाई में आ रही है?

(2) भूगर्भीय जल स्तर पर आ रही इस गिरावट को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में जालौर जिले की जनता एवं जनप्रतिनिधि जवाई बांध का कुछ पानी जवाई नदी में प्रतिवर्ष छोड़े जाने की मांग करते रहे हैं? यदि हां, तो इस हेतु आंदोलनों/धरनों तथा तत्पश्चात हुई बैठकें इत्यादि की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैठकों में कुछ निर्णय हुये थे अथवा सरकार की ओर से कुछ आश्वासन दिये गये थे? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संदर्भ में सरकार आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सामान्य वर्षा समय-समय पर नहीं होने के कारण राज्य में भूजल स्तर नीचे जा रहा है। जालौर जिले में यह गिरावट लगभग 728 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में आंकी गई है।

(2) 1. भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा 15 बेसफ्लो एवं 12 छोटे बांध एवं एनीकटों का निर्माण कराया गया है। एक बेसफ्लो एवं दो एनीकटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. जल के अनुकूलतम उपयोग, संरक्षण, प्रबन्धन एवं भू-जल पुनर्भरण में निश्चि‍त करने हेतु जल अभियान चलाये गये। जल चेतना यात्राएं निकाली गई एवं जल मेले आयोजित किये गये। इन अभियानों में विभाग द्वारा प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण, पोस्टर प्रदर्शन, पेम्पलेटों/पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। पंचायत समितिवर भू-जल परिदृश्य, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भू-जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाओं की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

3. शहरी क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर से अधिक भू-भाग पर निर्मित निर्माण होने वाले भवनों में जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक किया गया है।

(3) सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2007 को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक हुई।

(4) बैठक की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(5) बैठक में आये बिन्दुओं पर राज्य सरकार परीक्षण कर रही है।

परिशिष्ट 'अ'

जवाई नदी पर जिला जालौर में पंचायत समिति जालौर, आहोर व सायला में निर्मित एवं प्रगतिरत बेसफ्ले, एनीकट, खडीन व बांध की सूची:-

निर्मित

1. तीखी बेसफ्लो
2. ऊण बेसफ्लो
3. ऊण बेसफ्लो
4. मादडी बेसफ्लो
5. सामतिपुरा बेसफ्लो
6. महोशपुरा बेसफ्लो
7. सेदरिया बेसफ्लो
8. आलासन बेसफ्लो
9. सेदरिया बेसफ्लो
10. सायला बेसफ्लो
11. बुडतरा बेसफ्लो
12. हरजी बेसफ्लो
13. सांकरना बेसफ्लो
14. जालौर बी बेसफ्लो
15. सरदारगढ़ बेसफ्लो
16. सरदारगढ़ बांध
17. चवरचा बांध-प्रथम
18. चवरचा बांध-द्वितीय
19. कानीवाड़ा बांध
20. सुरेश वरजी बांध
21. राजनवाड़ी बांध
22. बुडतरा बांध
23. कानीवाडा खडीन
24. छिप्परवाडा बांध
25. कोलर बांध

26. आलासन बांध

27. तोरवाडा बांध

प्रगतिरत

1. पावटा बेसफ्लो
2. उम्मेदपुर एनीकट
3. सुगालिया जोधा एनीकट

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पेयजल योजना से लाभान्वित ग्राम

54. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में वर्ष 2004 से अब तक पेयजल सुविधा से वंचित किन-किन ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से जोड़ा गया है? योजनावार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में वर्ष 2004 से अब तक किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्डपम्प लगाये गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, लक्ष्मणगढ़ में विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 2004 से जून, 2008 तक की अवधि में कराये गये कार्यों का वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के 152 गांवों में वर्ष 2004 से जून, 2008 की अवधि में 620 हैण्डपम्प लगाये गये। ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

55. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां में पेयजल के लिये माह दिसम्बर, 2003 से जून, 2008 तक किस-किस गांव हेतु कितनी-कितनी लागत की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पेयजल योजनाएं किस-किस दिनांक को स्वीकृत हुई एवं किस-किस दिनांक को निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत किस-किस पेयजल योजना से कौन-कौन से गांव की कितनी-कितनी आबादी लाभांवित होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(4) उक्त स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से कौन-कौनसी योजनाएं किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुकी हैं एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं किस-किस स्तर पर निर्माणाधीन है एवं जून, 2008 तक इन पर कितनी कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को कब तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में वर्णित अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु 2333 हैण्डपम्प एवं 216 पेयजल योजनाएं (हैण्डपम्प के अतिरिक्त) स्वीकृत की गई। विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृति विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्त स्वीकृति के विरुद्ध 2255 हैण्डपम्प एवं 205 पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(5) शेष 78 हैण्डपम्प एवं 11 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(6) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

56. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक गांवों की पेयजल योजनाएं विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक गांवों

(श्री मदन राठौड़)

को अभी तक जवाई बांध का शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त वंचित गांवों को भी जवाई बांध का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की 4 पेयजल योजनाएं वर्तमान में सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच में हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, सुमेरपुर के (क्षेत्र में कुल गांव-95) 43 गांवों को जवाई बांध से एवं 52 गांवों में स्थानीय एवं दूरस्थ स्त्रोत से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन 52 गांवों में से 22 गांवों को जवाई पाइप लाइन परियोजना की माह अक्टूबर, 2007 में स्वीकृत योजना से लाभान्वित करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

उक्त 52 गांवों में से 4 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम/लीटर से कुछ अधिक (1.6 से 1.7 मिलीग्राम/लीटर) होने के कारण फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में लाभान्वित करना प्रस्तावित है। शेष समस्त गांवों में पेयजल की गुणवत्ता एवं मात्रा संतोषप्रद है।

(3) उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सक्षम स्तर पर विचाराधीन पेयजल योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित राशि (रु. लाख में)	योजना में सम्मिलित कुल ग्राम
1	संवर्धन पेयजल योजना, नोवी	99.46	1
2	क्षेत्रीय से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित योजना, नवा खेडा,	35.55	1
3	हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, ग्राम रोजडा	49.91	1
4	हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, खिंदारा गांव	35.23	1

सिरोही जिले में सार्वजनिक उपयोगार्थ भूमि का आबंटन

57. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सिरोही जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात शमशान घाट, सहकारी गोदाम, आबादी भूमि, खेल मैदान, विद्यालय भूमि, धर्मशाला एवं छात्रावास निर्माण हेतु कितने आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त प्राप्त प्रस्तावों में से कितने आबंटन अब तक हुए एवं कितने प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन हैं तथा कौन-कौन से प्रस्ताव निरस्त किए गए? विवरण कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिरोही जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात श्मशान घाट, सहकारी गोदाम, आबादी भूमि, खेल मैदान, विद्यालय भूमि, धर्मशाला एवं छात्रावास निर्माण के प्राप्त निस्तारण एवं शेष प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	प्राप्त	निरस्तकरण	शेष
1	शमशान/कब्रिस्तान	55	21	34
2	सहकारी गोदाम	1	1	0
3	आबादी विस्तार	101	61	40
4	विद्यालय भवन/ खेल मैदान	169	158	11
5	धर्मशाला एवं छात्रावास	29	12	17

कोई प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया है। विचाराधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बैरवाओं का झोंपड़ा (हिण्डौली) को राजस्व ग्राम का दर्जा

58. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोरण (सांवतगढ़), तहसील हिण्डौली में स्थित ग्राम बडौदिया की बैरवाओं के झौपडा सहित आबादी 300 से अधिक होने के बावजूद भी राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में अब कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी?

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बडौदिया में अलग से प्राथमिक विद्यालय है तथा ग्राम सोरण से बडौदिया की दूरी करीब 4 किलोमीटर होने से बडौदिया राजस्व ग्राम घोषित होने की योग्यता रखता है? यदि हां, तो उक्त ग्राम को अब कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ग्राम सोरण के मजरा बडौदिया को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : 9(4)राज-1/96 दिनांक 7.4.2001 से बडौदिया सोरण के नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है। बैरवाओं का झेंपडा उक्त नवीन घोषित राजस्व ग्राम बडौदिया सोरण में सम्मिलित है।

(2) नवीन घोषित राजस्व ग्राम बडौदिया सोरण में प्राथमिक विद्यालय है, बडौदिया सोरण को नवीन राजस्व ग्राम दिनांक 7.4.2001 को घोषित किया जा चुका है।

पाली जिले में सार्वजनिक उपयोगार्थ आबंटित भूमि

59. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में विगत 10 वर्षों में अनेक संस्थाओं को सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए, भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को कितनी भूमि किस दर से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं ने आबंटित भूमि का पूर्व घोषित निमित्त बदल कर, अन्य प्रयोजन में उपयोग कर लिया है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार आबंटित भूमि का अन्यथा उपयोग कर लेने पर भूमि का आबंटन निरस्त करने का प्रावधान है? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन संस्थाओं को भूमि का आबंटन किया गया उनकी विस्तृत सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। शेष बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में अन्न उपजाओ अभियान के तहत लीज पर दी गई भूमि का नियमन

60. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में बूंदी जिले के हिण्डौली, नैनवां एवं अन्य स्थानों के काश्तकारों को जिन्हें अधिक अन्न उपजाओ अभियान के तहत राजकीय भूमि लीज पर दी गई थी, को रियायती दर पर नियमन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा रियायती दर का निर्धारण कर दिया गया? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो अब कब तक निर्धारण कर दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र के लिए आबंटन के वर्ष के समय निर्धारित विक्रय मूल्य पर अब तक का ब्याज लेकर उन लीजदारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले की तहसील हिण्डौली, नैनवां एवं अन्य तहसील के काश्तकारों को अधिक अन्न उपजाओ अभियान के तहत, राजकीय भूमि का अस्थायी आबंटन किया गया था। उक्त लीजधारी कृषकों को पुख्ता आबंटन करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 12.5.2008 से राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में भूमि आबंटन) नियम-1968 के नियम 17 में उल्लेखित आरक्षित दर में निम्नानुसार रियायत एक मुश्त राशि दिनांक 30.9.2008 तक जमा कराने पर भूमि के नियमन की सुविधा दी गयी है।

1. अनुसूचित जाति/जनजाति को 50 प्रतिशत
2. बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों को 25 प्रतिशत
3. अन्य जाति को 75 प्रतिशत

(2) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में भूमि आबंटन) नियम-1968 के नियम 22 के अनुसार

(राजस्व मंत्री)

लीजदारों को भूमि के नियमन की कार्यवाही की जाती है। आबंटन के वर्ष के समय निर्धारित विक्रय मूल्य पर अब तक का ब्याज लेकर लीजदारों को खातेदारी अधिकार देने बाबत नियमों में प्रावधान नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर एवं नापासर में एम्बुलेंस सुविधा

61. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर एवं नापासर में अल्ट्रा सोनाग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त अस्पतालों को उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर में वर्तमान अनुपयोगी एम्बुलेंस के स्थान पर नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत बीकानेर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति के एक चिकित्सा संस्थान में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी वाहन उपलब्ध करवाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर में रोगी वाहन उपलब्ध करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2008 को नई रोगी वाहन आबंटित कर दी गई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरा (दीगोद) का नवीन भवन

62. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्राम मण्डावरा

(श्री भरत सिंह)

सामुदायिक चिकित्सालय भवन को असुरक्षित मानकर नवीन भवन बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो जर्जर हुए असुरक्षित इस भवन में वर्तमान में चिकित्सालय संचालित करने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि नवीन भवन बनाने के प्रस्ताव गत एक वर्ष से सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं व कब तक नवीन भवन का कार्य आरम्भ करवा दिया जावेगा तथा इस पर कुल कितनी राशि व्यय करके क्या-क्या कार्य करवाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरा (कोटा) का नया भवन बनाया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है परन्तु नवीनीकरण, आधुनिकरण एवं विशेष मरम्मत का कार्य समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर करवाया जाना सम्भव हो सकेगा। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का एक हिस्सा जिसमें 2 कमरे सही हैं। उनमें स्टाफ बैठाया जा रहा है।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपलब्ध नहीं है।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

63. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारागनर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कितने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में कितने स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक/अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं? निम्नानुसार पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

क्र. सं.	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता	चिकित्सा		अन्य कार्यवाही	
		स्वीकृत पद	कार्यरत	स्वीकृत पद	कार्यरत

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरकर चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) जनवरी, 2008 से अब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने प्रसव सम्पादित कर ''जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत'' लाभान्वित किया गया? स्वास्थ्य केन्द्रवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जनवरी, 2008 से अब तक उक्त में से कितने केन्द्रों पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? उक्त सोसायटी द्वारा कितनी राशि बी.पी.एल. मरीजों की जांच व इलाज पर व्यय की गई? केन्द्रवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त में से कितने केन्द्रों पर लाइफ लाइन स्टोर का गठन कर संचालित कर दिया गया है? केन्द्रवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 63 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रों की (ग्रामीण क्षेत्र) पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) स्वास्थ्य केन्द्रवार स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एल.एच.वी. एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की ग्रामीण चिकित्साधिकारी की नियुक्ति द्वारा भरने का प्रयास किया जावेगा तथा लैब टैक्निशियन, नर्स-2, प्रसाविका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिकत पदों को भरने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

एमपीडब्लु प्रशिक्षण बन्द होने से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जनवरी, 2008 से अब तक विधान सभा क्षेत्र तारानगर में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों पर ''जननी सुरक्षा योजना'' से लाभान्वित प्रसव का स्वास्थ्य केन्द्रवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में संचालित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी का गठन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जनवरी, 2008 से पूर्व ही किया जा चुका है उक्त मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा बीपीएल मरीजों की जांच एवं उपचार पर किये गये व्यय का केन्द्रवार एवं माहवार विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(6) तारानगर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र पर लाइफ लाइन फल्यूड स्टोर का गठन कर संचालन नहीं किया गया है।

(सूची/सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

64. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में बनाई सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कें खराब हो चुकी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से बगायचा, रामगढ़ से वसुनी, डूंगरा से बड़ी बडली, खेटाबारी से ठकाला, कसारवाडी से सातसेरा वाया हिम्मतगढ़ में पुरानी सड़कें खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पुन: निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुलशगढ़ में वर्ष 2003 से वर्ष 2008 तक बनाई क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में निम्न सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं :-

1	कुशलगढ़ से बगायचा	5 कि.मी.
2	रामगढ़ से वसूनी	9 कि.मी.
3	डूंगरा से बडी बडली	10 कि.मी.
4	खेटाबारी से ठंकाला	5 कि.मी.
5	कसारवाडी से सातसेरा वाया हिम्मतगढ़	7 कि.मी.

उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। उक्त सड़कों का पुन: नवीनीकरण कार्य (रिन्यूवल साईकिल) निर्धारित समय सीमा व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में बनाई क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

(वर्ष 2003 से वर्ष 2008 तक)

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	रिन्यूवल वर्ष
1	डूंगरा से बड़ी वडली कि.मी. 15/0 से 25/0 ओ.डी.आर. नं. 1	10	2002-03
2	खेटाबारी से ठंकाला वी.आर. 216 कि.मी. 0/0 से 5/0	5	2003-04
3	कसारवाडी से सातसेरा वाया हिम्मतगढ़ वी.आर. 204 किमी. 0/0 से 7/0	7	2002-03
4	सम्पर्क सड़क सागवा कि.मी. 0/0 से 3/0	3	2002-03
5	सम्पर्क सड़क मस्का खुर्द से मस्का कलां किमी. 0/0 से 3.30/0	3.30	2002-03
6	छोटी सरवा से शोभावाटी कि.मी. 0/0 से 7/0	7	2002-03
7	रेगनिया से मस्का बड़ा कि.मी. 0/0 से 3.45/0	3.45	2004-05
8	मस्का बडा से पाटडिया कि.मी. 0/0 से 1/0 (22-12-2003 से 21-04-2004)	1	2004-05

गोरिया-जीणमाता (सीकर) सड़क मार्ग से ग्राम रैवासा हेतु सड़क निर्माण

65. श्री केसरदेव बबार (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर स्थित गोरिया से जीणमाता सड़क पर दिगम्बर जैन धार्मिक स्थल भव्योदय अतिशय क्षेत्र ग्राम रैवासा में स्थित है? यदि हां, तो क्या इस धार्मिक स्थल तक पक्की सड़क निर्मित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री केसर देव बाबर)

(2) क्या सरकार धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने की नीति के तहत उक्त दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र ग्राम रैवासा को सी.सी. सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर में नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर स्थित ग्राम गोरियां से जीणमाता सड़क पर दिगम्बर जैन धार्मिक स्थल भव्योदय अतिशय क्षेत्र ग्राम रैवासा में स्थित है। ग्राम रैवासा डामर सड़क से जुडा है तथा रैवासा से मन्दिर की दूरी 300 मीटर है। इस धार्मिक स्थल तक पक्की सड़क निर्मित नहीं है। उक्त सड़क हेतु किसी भी योजना में सड़क निर्माण की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने के लिये 25 प्रतिशत राशि किसी विधायक सांसद/ट्रस्ट द्वारा दिये जाने पर शेष 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस धार्मिक स्थल तक 300 मीटर में सड़क बनाने के प्रस्ताव उपरोक्त नीति अनुसार प्राप्त नहीं हुए हैं।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की अन्तर जिला सड़कों का नवीनीकरण

66. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अंतर जिला सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने व नवीनीकरण के संबंध में सरकार के निर्देशानुसार सिरोही विधान सभा क्षेत्र के लिये अधिशासी अभियंता सिरोही द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जालौर की बरलूट से सीयाणा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व नवीनीकरण का प्रस्ताव कब कितनी राशि का भेजा गया एवं कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा?

(3) सरकार द्वारा कालन्द्री से रामसेन (जिला नागौर) की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व नवीनीकरण का प्रस्ताव कब भेजा गया व उक्त प्रस्ताव कितनी लागत का था एवं उसका कार्य कब शुरू किया जाएगा?

उत्तर

(1) सिरोही विधान सभा क्षेत्र की थ्रू रूट की दो सड़कों की चौड़ाई

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बढ़ाने व सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं कार्य प्रगति पर है।

1. रा.उ.मा.-14 वागसिन से वाण कैलाश नगर ओ.डी.आर. जुबलीगंज कि.मी. 0/0 से 10/0 राशि रुपये 225.29 लाख

2. रा.उ.मा.-14 वागसिन से वाण कैलाश नगर ओ.डी.आर. जुबलीगंज कि.मी. 10/0 से 22/200 राशि रुपये 297.39 लाख

3. बरलूट से सियाणा सिरोही जिला सीमा तक सड़क की चौड़ाई बढाने एवं नवीनीकरण करने का प्रस्ताव राशि रुपये 268.00 लाख का भेजा गया। जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(2) जिला जालौर में बरलूट से सियाणा की दूरी 18 कि.मी. है जिसमें जालौर जिला सीमा तक की दूरी 11 कि.मी. है। इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव राशि रुपये 187.73 लाख के वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार को प्रस्तावित किये गये थे जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यह कार्य वर्ष अगस्त, 2008 में प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

(3) कालन्द्री से रामसीन (जिला नागौर) की सड़क चौड़ाई एवं नवीनीकरण का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।)

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सड़क विहीन ग्राम

67. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में 500 की आबादी वाले कितने गांव हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने गांव हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क से जुड़े हुए नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत इन गांवों की सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं?

(श्री रामरतन बैरवा)

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 500 या अधिक आबादी के 135 गांव हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 500 या अधिक आबादी का एक गांव ढोकलिया (576) सड़क से नहीं जुड़ा है। डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त, 2008 तक डामर सड़क से जोड दिया जायेगा।

(3) जी हां। शेष रहे एक गांव ढोकलिया का डामरीकरण माह अगस्त, 2008 तक कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित सभी सड़कें संवेदक द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव अवधि में हैं और संबंधित संवेदक द्वारा उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य अनुबंध के अनुसार सम्पन्न कराया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

निवाई-जामडोली सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण

68. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई से जामडोली के बीच स्थित 19.5 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई से जामडोली सड़क के 19.5 कि.मी. को 3.0 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर में चौड़ाइकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लघु सिंचाई परियोजना उड़ेन (हिण्डौली) का सर्वे

69. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के दरा का नयागांव, ग्राम पंचायत डाबेटा की उड़ेन नदी पर लघु सिंचाई परियोजना का प्रारम्भिक सर्वे करवाया जाकर विस्तृत परियोजना सर्वे रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार द्वारा सर्वे करने के लिये कोई बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक बजट आबंटित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु आवश्यक स्वीकृति विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

रम्भा नदी (निवाई) में सड़क एवं रपट निर्माण

70. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रम्भा, पंचायत डांगरथल में रम्भा नदी पर एक किलोमीटर सड़क एवं रपट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रम्भा पंचायत डांगरथल में रम्भा नदी पर एक किमी. सड़क एवं रपट बनाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

सिरोही जिले में ऋण माफी योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक

71. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार की कर्ज माफी योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में वर्ष 2008 में किस-किस बैंक/सहकारी संस्था के माध्यम से कितना ऋण माफ किया गया तथा इससे सिरोही जिले के कितने किसान लाभान्वित हुए।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) सिरोही व शिवगंज तहसील में उक्त योजनान्तर्गत ऋण माफी से लाभान्वित व्यक्तियों के नाम व पते सहित मय माफ की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार की कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 के अन्तर्गत सिरोही जिले में वर्ष 2008 में ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक के माध्यम से कुल 2602.22 लाख रुपये राशि को ऋण माफी हेतु चिन्हित किया गया है, तथा इससे 10217 किसान सिरोही जिले में लाभान्वित होंगे।

(2) सिरोही व शिवगंज तहसील में उक्त योजनान्तर्गत ऋण माफी से लाभान्वित किये जाने हेतु चिन्हित व्यक्तियों के नाम व संस्थावार पते सहित मय माफ की जाने योग्य राशि की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि उपकरणों की खरीद में व्याप्त अनियमितताएं

72. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों को ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्र क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृत किए जाते हैं? यदि हां, तो क्या ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्र के लिए स्वीकृत ऋण का ड्राफ्ट/चैक कृषि यंत्र विक्रेता फर्म के नाम जारी किए जाने से अशिक्षित काश्तकारों को ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्रों के रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराने की गड़बड़ियां भी सामने आती रहती हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सहकारी बैंकों एवं विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभाने तथ बैंक कार्मिकों की मिलीभगत से किसानों एवं बैंक के मध्य दलाली करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपकरण खरीददारी में गड़बड़ियां करने, आवश्यक कागजात किसानों को उपलब्ध नहीं कराने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करने की शिकायतें बैंकों को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों के साथ इस प्रकार हुई धोखाधड़ी के मामले जिला सतर्कता समिति में भी विगत पांच वर्षों में दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम खोलाड़ा (ग्राम पंचायत सुवानिया) तहसील नैनवां, जिला बूंदी के किसानों द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण से क्रए किए गए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन आदि के कागजात ट्रैक्टर विक्रेता द्वारा वर्षो बाद भी ऋणी किसान को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार द्वारा इस बाबत क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। यह भी सही है कि कतिपय प्रकरणों में काश्तकारों को ट्रैक्टर इत्यादि कृषि यंत्रों के रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध होने बाबत शिकायतों की सम्भावनाओं के मध्यनजर राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों ने कृषकों को ही डीडी/चैक देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्तमान में अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के ऋण का ड्राफ्ट/चैक विक्रेता फर्म को ही दिया जाता है। क्योंकि पुनर्वित प्राप्त करने हेतु यह एक आवश्यक शर्त है।

(2) जी। कपितय प्रकरणों में काश्तकारों को ट्रैक्टर इत्यादि कृषि यंत्रों के रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध होने बाबत शिकायतों की सम्भावनाओं के मध्यनजर राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों ने कृषकों को सीधे ही डीडी/चैक देने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। ट्रेक्टर पंजीकरण एवं अन्य पत्रादि के संबंध में एक प्रकरण प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. बूंदी के नैनवां क्षेत्र के कृषक श्री लक्ष्मण पुत्र श्री फुन्दा ग्राम खडियादुर्जन के मामले में डीलर द्वारा ट्रैक्टर के मूल पत्रादि कृषक को नहीं देने का जिला सतर्कता समिति बूंदी में परिवाद सं. 24/2005 दर्ज किया गया बैंक द्वारा जांच के पश्चात दिनांक 5.2.2006 को उक्त फार्म नुवाल ट्रेडर्स को काली सूची में घोषित कर दिया गया। जिला सतर्कता समिति की दिनांक 29.4.2006 को आयोजित बैठक में हुए निर्णय के अनुसार फर्म को काली सूची में डालने तथा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त करने पर सहमति होने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

(सहकारिता मंत्री)

(3) ट्रैक्टर पंजीकरण एवं अन्य पत्रादि के संबंध विगत पांच वर्षों में एक प्रकरण प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. बूंदी के नैनवां क्षेत्र के कृषक श्री लक्ष्मण पुत्र श्री फुन्दा ग्राम खडियादुर्जन के मामले में डीलर द्वारा ट्रैक्टर के मूल पत्रादि कृषक को नहीं देने का जिला सतर्कता समिति बूंदी में परिवास सं. 24/2005 दर्ज किया गया बैंक द्वारा जांच के पश्चात दिनांक 5.2.2006 को उक्त फर्म नुवाल टैडर्स को काली सूची में घोषित कर दिया गया। जिला सतर्कता समिति की दिनांक 29.4.2006 को आयोजित बैठक में हुए निर्णय के अनुसार फर्म को काली सूची में डालने तथा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त करने पर सहमति होने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

(4) जी हां। ग्राम खोलाडा में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक बूंदी द्वारा कृषक श्री अम्बालाल एवं श्री सुवालाल पुत्र श्री गंगाराम मीणा को दिनांक 17.3.1997 तथा श्री कस्तूरा पुत्र श्री छीतर मीणा को दिनांक 7.4.1999 को ट्रैक्टर का ऋण वितरित किया गया था किन्तु श्री कस्तूरा पुत्र श्री छीतर मीणा को रजिस्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में बैंक द्वारा संबंधित डीलर मैसर्स नुवाल ट्रेक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हेतु जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर दिया गया है।

सहकारी बैंक द्वारा ऋण माफी योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक

73. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज माफी की घोषणा के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों में दी सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक के अन्तर्गत कितने-कितने किसान लाभान्वित हुए तथा विभिन्न बैंकों द्वारा प्रत्येक जिले में कितने-कितने रुपये के कर्ज माफ किये गए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008 के तहत विभिन्न जिलों में दी सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों द्वारा 389545 खातों में सीमान्त एवं लघु कृषकों को 65038.05 लाख रुपये राशि हेतु व 2,60,882 खातों में अन्य कृषकों को एक मुश्त योजनान्तर्गत 44,928.67 लाख ऋण राहत हेतु तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा 112470 खातों में कृषकों को 297.99 करोड़ की कर्ज माफी हेतु व 81,325 खातों में कृषकों को 156.11

(सहकारिता मंत्री)

करोड रुपये की कर्ज राहत हेतु चिन्हित किया गया है जिसका विवरण बैंकवार परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा क्रय की गई भूमि

74. श्री बन्ने सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन कब हुआ एवं पंजीयन समय से अब तक कौन-कौन कब-कब कितनी-कितनी अवधि तक अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्य रहे? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति द्वारा अपने पंजीयन से अब तक आवासीय योजना हेतु भूमि क्रय करने के लिये किस-किस को कितनी-कितनी अवधि हेतु अधिकृत किया गया? अधिकृत व्यक्ति का नाम, पिता का नाम एवं पते सहित क्रय की गई भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा तहसील सांगानेर क्षेत्र में पंचवटी ब्लाक ई के नाम से भी आवासीय योजना में भूखण्ड काटे गये हैं? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु भूमि कब एवं किस-किस आधार पर किससे कितनी ली गई एवं कितने व्यक्तियों को भूखण्ड के पट्टे दिये गये?

(4) क्या उक्त पंचवटी ब्लाक ई योजना के रिकार्ड समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों? उक्त योजना के मानचित्र की प्रति सहित भूखण्डाधारियों के नाम एवं पतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1988 से वर्ष 1995 तक सरकार द्वारा स्टाम्प पेपर एवं पाई पेपर पर खरीदी गई कृषि भूमि को वैध माने जाने के संबंध में दिशा-निर्देश/परिपत्र/आज्ञा जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब? इस संबंध में जारी समस्त परिपत्रों आदि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन दिनांक 20.2.1956 को पंजीयन क्रमांक 603/एल से किया गया। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) कार्यालय के पास उपलब्ध रेकार्ड अनुसार

(सहकारिता मंत्री)

समिति में वर्ष 1979 से अब तक कार्यरत रहे पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) समिति के पंजीकृत उपनियम संख्या 14 (अ) के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति को उन अधिकारों के अतिरिक्त जो साधारण सभा के लिये विशेष रूप से निर्धारित हैं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संचालन के लिये सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

(3 जी हां। समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री जगन सिंह द्वारा तहसील सांगानेर क्षेत्र में पंचवटी ब्लाक ई के नाम से आवासीय योजना में भूखण्ड काटे गये थे। इस आवंटन संबंधी समस्त रिकार्ड श्री जगन सिंह के पास था जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा स्व. श्री जगन सिंह द्वारा उक्त रिकार्ड समिति को नहीं संभलवाया गया है, अतः रिकार्ड के अभाव में भूमि क्रय व आबंटन का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री जगन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण इस योजना का रिकार्ड समिति को प्राप्त नहीं हो पाने से समिति जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं करवा सकी।

(5) यह प्रश्न नगरीय विकास विभाग से संबंधित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के बालिका आवासीय विद्यालय

75. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के अन्तर्गत कितने जनजाति छात्र-छात्राओं के आवासीय विद्यालय संचालित हैं? वर्ष 2003-04 से अब तक उक्त बालक-बालिकाओं के परीक्षा परिणाम क्या रहे? परीक्षा परिणाम कम रहने के क्या कारण रहे? क्या सरकार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) आवासीय बालिका विद्यालय सलूम्बर के अन्तर्गत 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड में सम्मिलित छात्राओं का वर्तमान परीक्षा परिणाम क्या रहा तथा उक्त विद्यालय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के अन्तर्गत 11 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। संचालित विद्यालयों में से 3 बालिका व 8 बालकों के हैं। वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक आवासीय विद्यालयवार परीक्षा परिणाम की स्थिति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम आवासीय विद्यालय में योग्य एवं विषय अध्यापक समय पर उपलब्ध नहीं होने तथा पद रिक्त रहने के कारण कम रहे।

(2) आवासीय विद्यालय बालिका सलूम्बर के अन्तर्गत 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड का वर्तमान परीक्षा परिणाम निम्नानुसार रहा :-

8वीं			10वीं		
प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रतिशत
49	37	75.51	42	18	42.29

वर्ष 2007-08 में कक्षा 12वीं संचालित नहीं थी-

आवासीय विद्यालय, सलूम्बर में निम्नानुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत/ भरे व रिक्त हैं :-

क्र.सं.	**नाम पद**	**स्वीकृत**	**भरे**	**रिक्त**
1	प्रधानाचार्य	1	-	1
2	उप प्रधानाचार्य	1	-	1
3	व्याख्याता	5	3	2
4	अध्यापक ग्रेड द्वितीय	9	4	5
5	शारीरिक शिक्षक	1	1	-
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	1
7	अधीक्षक	1	-	1
	योग	**19**	**8**	**11**

जी हां। राज्य सरकार पद भरने का विचार रखती है। शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पद भरे जाते हैं। विद्यार्थी मित्र योजना के अन्तर्गत एवं वर्ष 2008-09 से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित सोसायटी द्वारा पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त रिक्त पदों में से 5 पद क्रमशः 1 प्रधानाचार्य, 1 उपप्रधानाचार्य,

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

1 पुस्तकालयाध्यक्ष, 1 अध्यापक ग्रेड-द्वितीय व 1 अधीक्षक के पद पर ''वाक इन इन्टरव्यू'' करते हुए प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भिजवाये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आयुर्वेद कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

76. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आयुर्वेद कर्मियों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने एवं एलोपेथिक दवाइयां व इंजेक्शन आदि देने की छूट नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कम्पाउण्डर्स के विरुद्ध जनवरी, 2008 से अब तक ऐसे कार्य करने संबंधी व अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के संबंध में किन किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्य जिलों में किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत नर्सिंग स्टाफ (आयुर्वेद कर्मियों) को चाहे वे शहरी क्षेत्रों में, पदस्थापित हो या ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें प्राइवेट प्रेक्टिस करने एवं एलोपैथिक दवाइयां व इंजेक्शन आदि देने की छूट नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) शिकायत प्रमाणित होने पर ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, निवाई का क्रमोन्नयन

77. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितने औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में 26 आयुर्वेद तथा एक होम्योपैथिक कुल 27 विभागीय औषधालय संचालित हैं। इनकी सूची परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर औषधालय को क्रमोन्नत करने पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

निवाई विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय औषधालयों का विवरण

क्रम संख्या	स्थान औषधालय	चिकित्सा पद्धति
1	मण्डावर	आयुर्वेद
2	हतौना	आयुर्वेद
3	देवली मांझी	आयुर्वेद
4	जोला	आयुर्वेद
5	झिलाय	आयुर्वेद
6	करेडा बुजुर्ग	आयुर्वेद
7	चनानी	आयुर्वेद
8	दतवास	आयुर्वेद
9	रजवास	आयुर्वेद
10	नटवाडा	आयुर्वेद
11	जामडोली	आयुर्वेद
12	डागरथल	आयुर्वेद
13	लुहारा	आयुर्वेद
14	राहोली	आयुर्वेद
15	खण्डदेवत	आयुर्वेद
16	सिन्दड़ा	आयुर्वेद
17	सिरोही	आयुर्वेद

क्रम संख्या	स्थान औषधालय	चिकित्सा पद्धति
18	बहड	आयुर्वेद
19	लालवाडी	आयुर्वेद
20	भरथला	आयुर्वेद
21	खण्डवा	आयुर्वेद
22	सुनारा	आयुर्वेद
23	मुण्डिया	आयुर्वेद
24	पहाडी	आयुर्वेद
25	बड़ागांव उर्फ टांटोली	आयुर्वेद
26	निवाई	आयुर्वेद
27	निवाई	होम्योपैथिक

आयुर्वेद औषधालय थावला (नागौर) के चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

78. श्री अमराराम (धोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद औषधालय थावला जिला नागौर के चिकित्सक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा जांच के क्या परिणाम रहे?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय आयुर्वेद औषधालय, थावला जिला नागौर में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखी जा रही है।

(2) प्राप्त शिकायतों की जांच अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आयुर्वेद विभाग, अजमेर द्वारा की गयी, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सक का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने की अभिशंसा की गई है। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा

(आयुर्वेद मंत्री)

पूर्व जांच अधिकारी उपनिदेशक, अजमेर के साथ अभद्र व्यवहार करने, अप-शब्दों का प्रयोग करने जांच में असहयोग करने तथा एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग करने सम्बन्धी आरोपों के कारण सी.सी.ए. नियमों के नियम-17 में आरोप पत्र दिनांक 17.12.2007 को जारी किया गया है।

(3) जी हां। माननीय न्यायालय द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान में सम्बन्धित आयुर्वेद चिकित्सक को गिरफ्तार नहीं करने तथा न्यायिक अभिरक्षा में भी नहीं रखे जाने से, चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय स्तर पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 32 के दिशा-निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/2006-2007/395

ग्राआऋवि.कैंका.आरएफ.बीसी. 93/07.38.01/2006-07

16 मई, 2007

अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय

वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य– बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें

कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं। इस संबंध में कृपया हमारे 29 अप्रैल, 2002 के परिपत्र ग्राआऋवि.कैंका.सं. आरएफ.बीसी.परि.सं. 85/07.38.02/2001-02 का संदर्भ लें जिसके द्वारा सभी राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए उधार की न्यूनतम ब्याज दर के निर्धारण को वापस लिया गया था तथा इन बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे अपनी निधियों की लागत, लेनदेन की लागत आदि को ध्यान में रख कर अपनी प्रबंध समिति के अनुमोदन से पारदर्शिता बरतते हुए उधार की अपनी दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

3. आप सहमत होंगे कि हालांकि ब्याज दरें अविनियमित हो गयी हैं, तथापि एक विशेष स्तर से अधिक ब्याज दर को सूदखोरी माना जा सकता है, जो न तो निर्वहणीय है और न ही सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुरूप।

4. अतः बैंकों के बोर्डों को सूचित किया जाता है कि समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज, प्रोसेसिंग और अन्य प्रभार न लगाया जाए। छोटे मूल्य के ऋणों, खास कर, व्यक्तिगत ऋण और इसी प्रकार के अन्य ऋणों के

संबंध में बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सामान्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें :

- ऐसे ऋणों को मंजूर करने के लिए एक समुचित पूर्वानुमोदन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संभावित उधारकर्ता के नकद-प्रवाह (कैशफ्लो) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- बैंकों द्वारा लगायी गयी ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त और न्यायोचित जोखिम प्रीमियम को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जोखिम के प्रश्न पर विचार करते समय, प्रतिभूति है या नहीं तथा उसका मूल्य क्या है, इसे ध्यान में रखना चाहिए।
- बैंकों द्वारा ऋण देने में बैंक की कुल लागत तथा उक्त लेनदेन से प्रत्याशित उचित लाभ को ध्यान में रखते हुए ऋण की चुकौती के लिए उधारकर्ता की कुल लागत, जिसमें ऋण का ब्याज और अन्य प्रभार शामिल है, न्यायोचित होनी चाहिए।
- ऐसे ऋणों के संबंध में प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज की एक समुचित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसका उपयुक्त रीति से प्रचार किया जाना चाहिए।

5. इस परिपत्र की तारीख से तीन महीने के भीतर बैंक पुष्टि करें कि इस संबंध में उपयुक्त सिद्धांत और प्रक्रियाएं लागू कर दी गयी हैं।

6. इस बीच, कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

सी. एस. मूर्ति

प्रभारी मुख्य प्रबंधक

उद्धरण

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के संबंध में शिकायतें

168. रिजर्व बैंक और बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने से संबंधित हैं। हालांकि ब्याज दरें अविनियमित हो गयी हैं,

तथापि एक विशेष स्तर से अधिक ब्याज दर को सूदखोरी माना जा सकता है, जो न तो निर्वहणीय है और न ही सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुरूप है।

- अतः बैंकों के बोर्डों को सूचित किया जाता है कि वे समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज, प्रोसेसिंग और अन्य प्रभार न लगाया जाए।